आउटकम बजट

OUTCOME BUDGET

2007-2008

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

NUEPA DC
D14165

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

नई दिल्ली

NEW DELHI

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14165
Date : 6-3-2013
** Documentation Centre **

विषय–सूची

	पृष्ठ सं०
कार्यकारी सार	1-4
अध्याय–। प्रस्तावना	5-7
अध्याय–।। परिव्यय और अनुमानित आउटकम	8-77
अध्याय–।।। प्रमुख सुधार उपाय और नीतिगत पहलें	78-84
अध्याय–IV पिछले कार्यनिष्पादनों की समीक्षा	85-98
अध्याय–V वित्तीय समीक्षा	99-102
अध्याय–VI सांविधिक/स्वायत्त निकायों की समीक्षा	103-152

परिशिष्ट

परिशिष्ट I- व्यय की प्रवृत्ति	153
परिशिष्ट II- हाल ही के वर्ष में (योजनागत) बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की संपूर्ण प्रवृत्तियां	154-160
परिशिष्ट III- हाल ही के वर्ष में (योजनेतर) बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की संपूर्ण प्रवृत्तियां	161-165
परिशिष्ट IV- लक्ष्य शीर्षवार व्यय	166
परिशिष्ट V- जारी अनुदानों/ऋणों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र	167
परिशिष्ट–VI - राज्य सरकारों तथा अन्य कियान्वयन एजेंसियों के पास शेष अव्ययित राशि की स्थिति	168

कार्यकारी सार

वर्ष 1947 में देश की स्वतंत्रता के पश्चात उच्चतर शिक्षा की मांग में काफी वृद्धि हुई है और इससे विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 के दौरान डिग्री प्रदान करने वाले 27 संस्थानों की तुलना में भारत में इस समय (28.02.2007 तक की स्थिति अनुसार) उपलब्ध उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों जैसी डिग्री प्रदान करने वाली 375 संस्थाएं हैं।

शिक्षा संविधान की संघीय अनुसूची में प्रविष्टि 66 की समवर्ती विषय सूची में है। यह केन्द्र सरकार को उच्चतर शिक्षा के संस्थानों अथवा अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और उनके निर्धारण के लिए एकान्तिक विधायी अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग का कार्य केब के माध्यम से किया जाता है। केन्द्र सरकार देश में उच्चतर शिक्षा से संबंधित प्रमुख नीतियों के लिए जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में इसने सांविधिक निकायों की स्थापना की है, जैसे कि:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - उच्चतर शिक्षा में मानकों के समन्वय, उनके निर्धारण तथा अुनरक्षण के लिए,
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद - समूचे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की समुचित आयोजना तथा समन्वित विकास के लिए
- दूरस्थ शिक्षा परिषद - देश की शैक्षिक पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के लिए और ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, आकलन तथा अनुसंधान के मानकों के समन्वय एवं निर्धारण हेतु।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानकों के समन्वय, उनका निर्धारण और अनुरक्षण तथा अनुदान जारी करने के लिए जिम्मेदार है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, जैसी व्यावसायिक परिषदें पाठ्यक्रमों के पंजीकरण, व्यावसायिक संस्थाओं के संवर्धन और स्नातक पूर्व कार्यक्रमों को अनुदान देने तथा विभिन्न पुरुस्कार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय मूल्य निरूपण और प्रत्यायन परिषद उच्चतर शिक्षा के ऐसे संस्थानों का मूल्य निरूपण और प्रत्यायन करने के लिए वर्ष 1994 में यू.जी.सी. द्वारा स्थापित एक स्वायत संस्थान है जो निर्धारित मानदण्डों के आधार पर इस प्रकिया के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। अब तक एन ए ए सी द्वारा 129 विश्वविद्यालयों और 2954 कॉलेजों/संस्थाओं का प्रत्यायन किया गया है।

कार्यकारी सार

सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने उच्चतर शिक्षा में केम्पस तथा दूरस्थ शिक्षा दोनों के द्वारा अध्यापन एवं अध्ययन में वृद्धि करने के अत्यधिक अवसर प्रदान किए हैं। देश में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरूआत उच्चतर शिक्षा के लिए संभावनाओं की शिक्षा के लोकतन्त्रीकरण के उपकरण के रूप में बढ़ावा देने और इसे एक आजीवन प्रकिया बनाने के लिए की गयी थी। देश में पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1982 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गयी थी। 1985 में केन्द्र सरकार ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। इग्नू ने मानविकी विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ-साथ कम्प्यूटर अनुप्रयोग, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग तथा पर्यटन जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च कोटि के शैक्षिक कार्यकम तैयार, विकसित तथा प्रदान किए है। विश्वविद्यालय इस समय 125 कार्यकम जिसमें 900 पाठ्कम शामिल हैं, प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकांश कार्यकमों को मोडयूलर पैटर्न जिसके तहत प्रमाणपत्र, डिप्लोमा ताा डिग्री प्रदान किए जाते है, पर तैयार किया गया है। मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यकम लागत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान सेंभावनाएं बे हैं कि उनकी लागत तुलनात्मक कार्यकमों के संबंध में सामान्य रूप से परंपरागत पद्धति द्वारा की गई लागत से काफी कम है। मुक्त विश्वविद्यालयों की लागत कम होती है क्योंकि इसकी निर्धारित लागत का एक बड़ा हिस्सा बहुत से छात्रों में वितरित किया जाता है।

शैक्षिक क्षेत्र का एकमात्र प्रथम भारतीय सैटेलाइट एडूसैट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सामूहिक परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित एक पारस्परिक सैटेलाइट की मांग को पूरा करना है। यह सैटेलाइट राष्ट्रीय विकास विशेष रूप से दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की प्रयुक्त करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कई दशकों से इस विभाग बे उन अग्रणी संस्थाओं जिन्होंने उत्कृष्ट संस्थाओं का दर्जा प्राप्त किया है, की स्थापना भी की है अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषण भी किया है। उनमें सें कुछ संस्थाएं निम्न हैः

- 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
- 7 भारतीय प्रबंध संस्थान
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
- भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद

- 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- 3 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
- 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

नई संस्थाएं स्थापित करने संबंधी वर्तमान प्रयासों के भाग के रूप में भारत सरकार ने कोलकाता तथा पुणे में शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए दो भारतीय विज्ञान संस्थानों की स्थापना की है तथा तीसरे संस्थान को मोहाली (पंजाब) में स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए दो और भारतीय विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं सृजित करने संबंधी भारत सरकार के प्रयासों के मद्देनजर भारत सरकार ने शिलांग में एक भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर, अरूणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला नामक दो राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करने का निर्णय लिया है। गंगटोक, सिक्किम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है।

विभाग के बजट का लगभग 98% भाग सहायता अनुदान के रूप में खर्च किया जाता है तथा विभाग के विभिन्न कार्यकर्मों को स्वायत्त निकायों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये संगठन इन निकायों के कार्य-निष्पादन के लिए सरकार की समग्र नीति के अनुसरण में अपने कार्यकरण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इन निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा संबद्ध प्रबंधन बोर्ड तथा वित्त समितियों जिनके लिए संबद्ध प्रशासनिक विभाग के अधिकारी तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा वित्त के प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं, द्वारा की जाती है। सामान्य वित्तीय नियमों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभाग में सहायता अनुदान की संस्वीकृति के लिए अनुमोदन की जाँच की जाती है। अनुदान की पर्याप्त राशि यथासमय जारी की गई है तथा अनुदानग्राही संस्था के पास कोई राशि अप्रयुक्त तो नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निरीक्षण भी किए जाते हैं। वित्तीय समीक्षा के अध्याय-V में देय उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अनुदानग्राही संस्था/राज्य सरकारों के पास खर्च न की गई शेष राशि की सीमा का उल्लेख है। सी सी ए कार्यालय द्वारा संस्थावार परिव्यय तथा जारी की गई अनुदान राशि को मासिक आधार पर मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है।

विभाग ने, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रयोजनार्थ सभी विभागाध्यक्षों को सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में मनोनीत किया है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम के तहत यथापेक्षित दस्तावेजों की सूची को भी साइट पर रखा गया है। स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान जारी किए जाने के बाद, सिस्टम को व्यवस्थित किया जाता है तथा योजना, उसकी घोषणा तथा जारी की गई अनुदान राशि का विवरण वैबसाइट पर रखा जाता है तथा उसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है। विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्त संगठनों ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना अधिकारी भी मनोनीत किए है।

अध्याय–।

प्रस्तावना

कार्य

उच्चतर शिक्षा विभाग का कार्य सभी पहलुओं में शिक्षा नीति को शामिल करना और अनुसंधान सहित उच्चतर शिक्षा में मानकों का समन्वय और उनका निर्धारण करना है। इस विभाग को तकनीकी शिक्षा के विस्तार एवं विकास करने, पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार करने, छात्रवृतियों तथा अन्य योजनाओं को लागू करने, संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन एवं अनुसंधान का पोषण तथा प्रोत्साहन करने तथा इसके कार्यो का यूनेस्को के सहायता कार्यकमों तथा अन्य कियाकलापों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है।

भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के मुख्य उद्देश्यों का निम्नानुसार उल्लेख किया जा सकता है:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रखा जाना और इसके कार्यान्वयन का निरीक्षण।
2. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में विशेषकर लाभवंचित समूहों अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बालिकाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांगों की ओर विशेष ध्यान सहित पहुँच का विस्तार तथा गुणवत्ता सुधार सहित सुयोजित विकास।
3. भारतीय भाषाओं का विकास
4. पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां
5. पुस्तकों का संवर्धन तथा कापीराइट अधिनियमों को लागू करना
6. शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

संस्थागत ढांचा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। वर्तमान में उन्हें दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता दी जा रही है। मंत्री महोदय मंत्रालय को नीति तथा नेतृत्व प्रदान करते हैं।

कार्यकारी स्तर पर, उच्चतर शिक्षा विभाग की अध्यक्षता एक सचिव द्वारा की जाती है, जिनकी सहायता में एक अतिरिक्त सचिव, और कई संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष अधिकारी होते हैं। प्रत्येक संयुक्त सचिव एक ब्यूरो का अध्यक्ष होता हैं। वर्तमान में, विभाग का कार्य 6 ब्यूरो में निम्नानुसार बांटा गया है:

- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा, पुस्तक संवर्धन तथा कापीराईट
- तकनीकी शिक्षा
- दूरस्थ शिक्षा तथा छात्रवृत्ति
- योजना,
- यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रशासन, समन्वय, नीति आंकड़े तथा भाषाएं
- समेकित वित्त प्रभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग अपने कार्य का प्रमुख हिस्सा अपनी स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से करता है। उनमें मुख्यतः निम्न है:

1. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
   - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी)
   - भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एस एस आर)
   - भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई सी एच आर)
   - भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आई सी पी आर)
   - 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालय
   - भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, (आई आई ए एस) शिमला

2. तकनीकी शिक्षा

   - भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई)
   - 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी)
   - 6 भारतीय प्रबंध संस्थान (आई आई एम)
   - 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई टी)
   - 3 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी)

- 4 राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई टी टी टी आर)
- 4 प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण क्षेत्रीय बोर्ड
- 2 भारतीय शिक्षा तथा अनुसंधान विज्ञान संस्थान

3. भाषाएं

- संस्कृत के क्षेत्र में तीन सम विश्वविद्यालय अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (एस एल बी एस आर एस वी), नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आर एस वी), तिरूपति।
- केन्द्रीय हिन्दी संगठन (के एच एस), आगरा
- अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा केन्द्रीय संस्थान (सी आई ई एफ एल), हैदराबाद
- राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एन सी पी यू एल)
- राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एन सी पी एस एल)

4. विविध

- राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (एन आई ई पी ए)
- नेशनल बुक ट्रस्ट (एन बी टी)
- अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन सी एम आई ई)

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त

विभाग में तीन संबद्ध कार्यालय तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है, जो नीचे दिए गए हैः

- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय,
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
- भारतीय भाषा केन्द्रीय संस्थान (सी आई आई एल), मैसूर

6. पी एस यू

- एजुकेशनल कन्सलटैंट (इंडिया) लिमिटेड (एडसिल), नोएडा

अध्याय-।।

परिव्यय और अनुमानित आउटकम

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
1. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण के लिए ओवर साइट समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन									
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	सामाजिक समावेश एवं शैक्षिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु ओवरसाइट समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	576.00	शून्य	शून्य	ओवर साइट समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से 3 वर्ष की अवधि में दाखिला क्षमता में चरणबद्ध वृद्धि होगी ओर साथ ही 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अवसंरचनात्मक क्षमताओं और संकाय की संख्या में वृद्धि होगी। वर्ष के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला क्षमता में 5754 अर्थात 6 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। अतिरिक्त दाखिला क्षमता का संस्थावार ब्यौरा नीचे दिया गया है : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 447 दिल्ली विश्वविद्यालय 3142 हैदराबाद विश्वविद्यालय 63 जामिया मिलिया इस्लामिया 301 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 101 पांडिचेरी विश्वविद्यालय 69 विश्व भारती 156 असम विश्वविद्यालय 77 तेजपुर विश्वविद्यालय 31 मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय 28 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय 12 इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1134 पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय 64 नागालैंड विश्वविद्यालय 33 मिजोरम विश्वविद्यालय 20 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 17 मणिपुर विश्वविद्यालय 59			

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
तकनीकी शिक्षा									
2	दिल्ली, मुम्बई, रूड़की, गोवाहाटी, चेन्नई, कानपुर और खड़गपुर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	सामाजिक समावेश एवं शैक्षिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी/इंजीनियरी कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु ओवरसाइट समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन। इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों/कमजोर वर्गों को उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना है कि विस्तार की प्रकिया में शैक्षिक उत्कृष्टता का बलिदान न करना पड़े और न ही उभरती हुई ज्ञानात्मक सोसायटी की वह प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति भी प्रभावित न हो जो कि भारत को वैश्विक ज्ञानात्मक अर्थ व्यवसथा की स्थिति में ला सकती है।	988.00			ओवर साइट समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से 3 वर्ष की अवधि में दाखिला क्षमता में चरणबद्ध वृद्धि होगी ओर साथ ही सभी तकनीकी संस्थाओं में अवसंरचनात्मक क्षमताओं और संकाय की संख्या में वृद्धि होगी। वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिला क्षमता में 1788 अर्थात 16 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। अतिरिक्त दाखिला क्षमता का संस्थावार ब्यौरा नीचे दिया गया है : प्रतिशत — अतिरिक्त दाखिला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली 151 10% भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई 209 13% भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की 309 18% भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवाहाटी 101 13% भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई 204 13% भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर 267 18% भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर 295 13%	अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान अध्येताओं को उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करना		केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वित करने के लिए 2007-08 के दौरान 1661.45 करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता थी जैसा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की थी। तथापि, ओवर साइट समिति की सिफारिशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण कार्यान्वित करने के लिए 576 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है जो कि आंकलित राशि का एक तिहाई है। अतः प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की दाखिला संख्या में वृद्धि में आनुपातिक कटौती की गई है।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रु० में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्रत्याशित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
3	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)	क्षिक उत्कृष्टता एवं माजिक समावेशन को निश्चित करने के लिए नीकी/ इंजीनियरिंग लेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए वरसाइट समिति की फारिशों का कार्यान्वयन ना। इसका उद्देश्य रते ज्ञान समाज में म्पटेटिव स्तर को खोए ना और शैक्षिक उत्कृष्टता खोए बिना, जो विश्व न अर्थव्यवस्था में भारत आगे बढ़ा सकता है, वतर शिक्षा में सामाजिक से पिछड़े/कमजोर वर्ग लोगों को पहुंच प्रदान ना है।	80.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में भारतीय प्रबंध संस्थाओं में छात्रों की दाखिला क्षमता 157 तक वृद्धि होने की संभावना है जो कि कुल औसत का करीब 11 प्रतिशत तक है। अतिरिक्त दाखिला का संस्थानवार ब्यौरा निम्न रूप में संकेत किए गए है। अतिरिक्त दाखिला (प्रतिशत में) लखनऊ 45 16% कलकत्ता 18 6% बंगलौर 30 13 % अहमदाबाद 34 12% इंदौर 15 8% कोझीकोड 15 8%			1. सक्षम प्राधिकारी का समय से अनुमोदन 2. सिविल/कार्य/समानों के लिए संविदा निकालना। 3. संकाय और सहायक कर्मचारी की भर्ती।
4	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर		90.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता 280 से बढ़कर 330 तक वृद्धि होने की संभावना है जो कि करीब 18 प्रतिशत तक की होगी।			
5	राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (एन.आई.टी.	शैक्षिक उत्कृष्टता एवं सामाजिक समावेशन को	78.00	शून्य	शून्य	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में वर्ष 2007-08 के दौरान छात्रों की			1. सक्षम प्राधिकारी का समय से अनुमोदन

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकभ का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	)	सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी/इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए ओवरसाइट समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। इसका उद्देश्य उभरते ज्ञान समाज में कम्पेटेटिव स्तर को खोए बिना और शैक्षिक उत्कृष्टता को खोए बिना, जो विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत को आगे बढ़ा सकता है, उच्चतर शिक्षा में सामाजिक रूप में पिछड़े/कमजोर वर्ग के लोगों को पहुंच प्रदान करना है।				दाखिला क्षमता 3831 तक की वृद्धि होने की संभावना है जो कि 25 प्रतिशत के करीब है। अतिरिक्त दाखिल छात्रों का संस्थानवार ब्यौरा नीचे संकेत किया गया है: अतिरिक्त छात्रों की दाखिला(प्रतिशत में) कुरूक्षेत्र 102 12% जयपुर 247 27% इलाहाबाद 106 10% भोपाल 282 27% सूरत 250 36% कालीकट 317 27% हमीरपुर 60 10% जालंधर 165 21% दुर्गापुर 237 27% अगरतला 135 54% जमशेदपुर 100 18% सिल्चर 106 27% राउरकेला 235 29% पटना 102 18% रायपुर 136 18% सूरतकल 218 27% श्रीनगर 71 18% वारांगल 525 54% त्रिची 296 27% नागपुर 143 21%			2. सिविल/कार्य/समानों के लिए संविदा निकालना। 3. संकाय और सहायक कर्मचारी की भर्ती।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
6	राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई	शैक्षिक उत्कृष्टता एवं सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी/ इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए ओवरसाइट समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। इसका उद्देश्य उभरते ज्ञान समाज में कम्पटेटिव स्तर को खोए बिना और शैक्षिक उत्कृष्टता को खोए बिना, जो विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत को आगे बढ़ा सकता है, उच्चतर शिक्षा में सामाजिक रूप से पिछड़े/कमजोर वर्ग के लोगों को पहुंच प्रदान करना है।	16.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 57 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 18 प्रतिशत है।			1. सक्षम प्राधिकारी का समय से अनुमोदन 2. सिविल/कार्य/समानों के लिए संविदा निकालना। 3. संकाय और सहायक कर्मचारी की भर्ती।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
7	सन्त लॉंगोवाल इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लोगोंवाल, पंजाब		22.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 216 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 19 प्रतिशत है।			
8	भारतीय खनन विद्यालय (आईएसएम) धनबाद		58.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 144 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 11. 3 प्रतिशत है।			
9	राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढ्लाई प्रौद्योगिकी संस्थान रॉंची	शैक्षिक उत्कृष्टता एवं सामाजिक समावेशन की सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी/इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए ओवरसाइट समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। इसका उद्देश्य उभरते ज्ञान समाज में कम्पेटेटिव स्तर को	8.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 137 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 54 प्रतिशत है।			1. सक्षम प्राधिकारी का समय से अनुमोदन 2. सिविल/कार्य/समानों के लिए संविदा निकालना। 3. संकाय और सहायक कर्मचारी की भर्ती।

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रु0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	मात्रात्मक परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		खोए बिना और शैक्षिक उत्कृष्टता को खोए बिना, जो विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत को आगे बढ़ा सकता है, उच्चतर शिक्षा में सामाजिक रूप से पिछड़े/कमजोर वर्ग के लोगों को पहुंच प्रदान करना है।							
10	आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल, दिल्ली (एस.पी.ए.)		12.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 42 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 18 प्रतिशत है।			
11	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद		30.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 133 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 27 प्रतिशत है।			
12	अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर		12.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 61 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 18 प्रतिशत है।			1. सक्षम प्राधिकारी का समय से अनुमोदन 2. सिविल/कार्य/समानों के लिए संविदा निकालना।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
									3. संकाय और सहायक कर्मचारी की भर्ती।
13	पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग संसथान, जबलपुर	क्षिक उत्कृष्टता एवं ामाजिक समावेशन को ुनिश्चित करने के लिए कनीकी/ इंजीनियरिंग ॉलेजों में सीटों की ंख्या को बढ़ाने के लिए ोवरसाइट समिति की िफारिशों का कार्यान्वयन रना। इसका उद्देश्य भरते ज्ञान समाज में म्पटेटिव स्तर को खोए ना और शैक्षिक त्कृष्टता को खोए बिना, ी विश्व ज्ञान र्थव्यवस्था में भारत को गे बढ़ा सकता है, च्चतर शिक्षा में ामाजिक रूप से िछड़े/कमजोर वर्ग के ोगों को पहुंच प्रदान रना है।	14.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 120 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 50 प्रतिशत है।			

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रु0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
14	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआर)		12.00	शून्य	शून्य	वर्ष 2007-08 में छात्रों की दाखिला क्षमता में 1788 तक की वृद्धि होने की संभावना है जोकि औसत का करीब 16 प्रतिशत है। अतिरिक्त दाखिला का संस्थानवार ब्यौरा निम्न रूप में संकेत किया गया है। अतिरिक्त दाखिल (%) चंडीगढ 49 18% कोलकाता 29 54% चैन्ने 10 54% भोपाल 8 54%			
15	आई.सी.टी. के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	प्रतिभा का प्रोत्साहन एवं पहचान और जीवन पर्यन्त अध्यन करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतें को पूरा करने के लिए नॉलेज मोड्यूल का विकास करना, एवं आईसीटी के माध्यम सें उनके आकाक्षांओं की देखभाल करना। औपचारिक माध्यमों से प्राप्त मानव संसाधनों की क्षमता को प्रमाणीकरण तथामानव संसाधनों के रूपरेखा रखने वाला डाटा का	502.00	शून्य	शून्य	1. विभिन्न विषयों और कक्षाओं के लिए वेब पाठ्यकमों और वीडियों आधारित पाठ्यचर्या के साथ-साथ ई-कन्टेन्ट का विकास करना 2. गुणवत्ता आश्वासन का मानकीकरण और पूर्व में उपलब्ध विषयों का निर्धारण करना या उत्पन्न करना। 3. ज्ञान की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक अनुसंधान। 4. निम्न लागत वाली, निम्न बिजली उपयोग करने वाली तंत्र के विकास के लिए अनुसंधान। 5. डिजीटल साक्षरता को बढ़ावा देना।	साइबरस्पेस में भारतीय छात्रों को 'ज्ञान विश्व' के साथ बेहतर जुडाव उन्हें नेटिजन बनाना उनके स्वाध्याय कौशल का विकास	स्कीम प्रारूप स्तर पर है।	1. सक्षम प्राधिकारी का समय से अनुमोदन 2. सिविल/कार्य/समानों के लिए संविदा निकालना। 3. संकाय और सहायक कर्मचारी की भर्ती।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		विकास एवं अनुरक्षण। आईसीटी समर्थ ज्ञान के साथ-साथ शैक्षिक, व्यवसायिक, और जीवन पटुता में लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन प्रौद्योगिकी के स्तर को प्राप्ति के लिए निम्न छः क्षेत्रों पर भी ध्यान केन्द्रित करेगाः (क) प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत कम कीमत, कम पावर उपयोग करने वाले यंत्र का विकास करना। (ख) शिक्षार्थियों के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम हेतु शैक्षिक तकनीकी में अनुसंधान एवं शैक्षणिक रूप से सक्षम और अध्ययन मोड्यौलों का विकास (ग) विषयों को विश्व स्तर का बनाने के लिए उनका गुणवत्तापरक आश्वास एवं मानीकरण। (घ) वास्तविक				6. व्यवहारिक पहलू के लिए वास्तविक प्रयोगशालाओं का निर्माण। 7. बीटा फार्मेट वीडियो टेपों में उपलब्ध सामग्री को डिजिटल फार्मेट में बदलना। 8. उत्कृष्ट तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मानदण्ड विकसित करना। 9. कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर की छात्रवृत्तियों का इलेक्ट्रोनिक रूप से संवितरित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना।	कौशल का विकास करना समस्याओं को ऑनलाइन सुलझाने और अधिगम की उनकी सक्षमता का विकास करना		

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		प्रयोगशालाओं के क्षेत्र में अनुसंधान (ड.) प्रत्येक भारतीय को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए तकनीकें और कार्यनीतियां। (च) वास्तविक प्रौद्योगिकिय विश्वविद्यालय का निर्माण यह मिशन किसी क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण अनुसंधान की उपलब्धि करने के लिए देश की उच्चतर अधिगम संस्थाओं में तथा उनके बीच ज्ञान नेटवर्क निर्मित करने का भी प्रयास करेगा।							
ख	सामान्य कार्यकम								
	उच्चतर शिक्षा								
16	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	उच्च शिक्षा में शिक्षण तथा अनुसंधान की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना। समान रूप से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को	1798.00 पूर्वोत्तर क्षेत्र में 249.23 (ओ एस सी सिफारि	1638.75	–	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता (18) राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता (119) विश्वविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने का 150 वाँ वर्ष	पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता देने से वहां का क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त होगा तथा इस क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा	उच्च शिक्षा की सुलभता, समानता, गुणवत्ता एवं प्रासंगिक सत्तता पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है	परिणाम और आउटकम केवल वित्तीय परिव्यय की उपलब्धता पर ही निर्भर नहीं होते अपितु वैश्विक स्तर जो (सदैव बदलता रहा है) अप्रत्याशित होता है पर उच्चतर

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करना। उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। शैक्षिक उपायों तथा कारगर प्रबंधन और अभिशासन के लिए सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करनां	सिफारिश के लिए 576 करोड़ रूपए की राशि को छोड़कर)			मनाने के लिए सहायता (3) सम विश्वविद्यालयों को सहायता (25) कालेजों को सहायता (4811) दिल्ली कालेजों को सहायता (58) स्वायत्त कालेजों को सहायता (234) उच्चतर शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाना (300 संस्थाओं) अकादमी स्टाफ कॉलेजों को सहायता (51) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों को सहायता (21) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कालेजों को सहायता (97) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में (3004) मानवीय और समाज विज्ञान में बड़ी/छोटी अनुसंधान परियोजना (11000) वितीय सहायता कार्यकम सीएसए - 74 डीएसए- 145 डीआरएस-251 क्षेत्र अध्ययन कार्यकम (10 केन्द्र) महिलाओं के लिए छात्रावास (232 संस्थान) महिला अध्ययन केन्द्र (31)	में उच्चतर शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता तथा समानता संबंधी समस्याएं दूर होंगी। सहायता दिए जाने वाले राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने से देश के सभी भागों में और अधिक गुणवत्ता पूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने से क्षेत्रीय असमानता कुछ हद तक दूर होगी। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संबंधी आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से बुनियादी विज्ञान तथा मानवीकी में पुनः दिलचस्पी बढ़ेगी।	है जिसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद के वर्षो के दौरान और अधिक परिव्यय की आवश्यकता होगी।	होता है पर उच्चतर शिक्षा में मानक संबंधी क्षमता और गुणवत्ता में अर्धगामी वृद्धि के लिए सार्वजनिक निवेश संबंधी प्रासंगिक उच्चतर शिक्षा नीति भी परिणाम और आउटकम को प्रस्तावित कर सकती है। योजनागत आवंटन के लिए योजना आयोग से उच्चतर स्तर पर सम्पर्क किया गया है और यदि यह उपलब्ध होगा तो लक्ष्यों और प्रभावों के भावी समायोजन के लिए आवश्यक होगा।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
						विश्वविद्यालयों का नेटवर्क तैयार करना (150) अनु.जा./अ.ज.जा. हेतु उपचारी कोचिंग (110 केन्द्र) अ.जा./अ.ज.जा. हेतु विशेष प्रकोष्ठ (25) लाभवंचित अल्पसंख्यक समूह हेतु उपचारी कोचिंग (78) विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (19 विश्वविद्यालय तथा कालेज)	महिला छात्रावासों की संख्या में वृद्धि से महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी। महिला अध्ययन केन्द्र महिला-पुरूष समस्याओं को दूर करके तथा महिला अधिकारों पर बल देकर महिलाओं के सशक्तीकरण में मदद करेंगें। समाज के कमजोर तथा लाभवंचित वर्गो हेतु स्थापित उपचारी कोचिंग केन्द्र तथा अन्य स्कीम उच्चतर शिक्षा को अत्यधिक सुलभ बनाकर विकलांग व्यक्तियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के अलावा, अ.जाति/अ. जनजाति तथा		

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रु0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
							लाभवंचित अल्पसंख्यक समूहों हेतु सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे। यूजीसी इनफोमेट विश्वविद्यालय प्रणाली को ज्ञान के प्रचार-प्रसार, इसे अर्जित करने तथा अन्य को प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। व्यावसायोन्मुखी करण पर ज्यादा जोर देने से उच्चतर शिक्षा की नौकरी/स्वरोजगार बजार में प्रासंगिता बढ़ेगी। उत्कृष्ट केन्द्र, अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र, अनुसंधान तथा आधारभूत सुविधाओं का		

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
							सुदृढ़ीकरण तथा शैक्षिक स्टाफ कालेजों से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षण तथा अनुसंधान की गुणवत्ता सुधार में मदद करेंगे।		
17	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	अन्तर-विषयक अनुसंधान कार्यकमों को प्रोत्साहित करने तथा वित्तीय तथा तकनीकी सहायता, दिशानिर्देश, सलाह उपलब्ध कराने, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा तथा देश में सामाजिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पत्र-पत्रिकाएं आदि निकालने जैसे आवश्यक कदम उठाने के	22.20 (2.22 पूर्वोत्तर क्षेत्र में)	24.00	.00425 समूल्य प्रकाशनों, पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि की बिकी, फोटोकापी चार्ज, ग्रंथ सूची की आपूर्ति, सम्मेलन कक्ष के किराए, छात्रावास कमरों के किराए से	-अनुसंधान अनुदान योजनागत -60 (जारी-150) -फेलोशिप योजनागत-280 (जारी फेलोशिप-120) -अनुसंधान संस्थानों हेतु अनुरक्षण अनुदान पी/एन पी-27 -अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग योजनागत-150 -प्रशिक्षण पाठ्यकम योजनागत-20 -प्रकाशन प्रभाग योजनागत-60 -प्रलेखन सेवाएं योजनागत-3000	परिषद के कार्यकलाप समाजिक विज्ञान में अनुसंधान के नये क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करेंगें। परिषद द्वारा शुरू की गई अथवा वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं का परिणाम देश की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीतियों को नई दिशा देने के कार्य	फेलोशिप, अनुसंधान अनुदान, सेमिनार, कार्यशालाएं पाठ्यकमों आदि हेतु आवेदन/प्रस्ता व वित्त वर्ष के शुरू में आमंत्रित किए जायेंगे। जारी परियोजनाओं तथा अनुसंधान में लगे अध्येताओं को वित्तीय सहायता उनके कार्य की प्रगति की समीक्षा	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की शर्त के अधीन

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		कदम उठाने के लिए सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को समेकित करना। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, परिषद समाजिक विज्ञान में अनुसंधान में लगी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देती है, अन्तराष्ट्रीय सहयोग संबंधी समझौता करती है, फेलोशिप, अनुसंधान अनुदान, अध्ययन अनुदान देती है तथा प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराती है। परिषद एक अर्ध-वार्षिक पत्रिका, सेमिनार तथा सम्मेलनों की कार्यवाही रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है।				योजनागत-3000 -डाटा बैंक योजनागत-। -अध्ययन अनुदान योजनागत-120 -अन्य कार्यकम योजनागत-130 -पूर्वोत्तर कार्यकम योजनागत-60	देने के कार्य आयेगा।	करने के बाद दी जायेगी। बशर्ते संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान प्रदान करना एक सतत प्रकिया है। परिषद वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप अपने कार्यकलापों को शुरू करने का प्रस्ताव करती है।	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
18	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद	भारत सरकार ने इतिहास अनुसंधान और इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनेके विचार से 1972 में स्वायत संस्था के विषयों में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की स्थापना की थी। इस परिषद के व्यापक उद्देश्य इतिहासकारों को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करने, इतिहास अनुसंधान कार्यकम और परियोजनाएं प्रायोजित करना तथा इतिहास अनुसंधान में	4.00 (0.40 पूर्वोत्तर में)	5. 25	आई सी एच आर के प्रकाशनों और पत्रिकाओं के लिए 0.50 करोड़ रूपए राजस्व	1.अनुसंधान परियोजना-25 2.फेलोशिप (जूनियर पी डी एफ और राष्ट्रीय 200 3. अध्ययन और यात्रा अनुदान 4.विदेशी यात्रा अनुदान-30 5.प्रकाशन सब्सीडी-50 6. सी ई पी-03 7.आई सी एच आर सेमिनार/सम्मेलन- 07 8. इतिहासकारों के व्यावसायिक संगठन को सेमिनार, संगोष्ठी और सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता-60 9. आई सी एच आर सेमिनार की पाण्डुलिपि के प्रकाशन सहित आइ सी एच आर के प्रकाशन-30 10. आई सी एच आर पुस्तकालय कंप्यूटरीकरण 11. स्वतंत्रताओं और परियोजना-03 12. आर्थिक इतिहास परियोजना- 03 13. शब्दकोश परियोजना -03 14. 16 भाषाओं की मुख्य पुस्तकों का अनुवाद-50 निम्नलिखित नई परियोजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं:- (।) पारसी इतिहास का पाठ और अनुवाद (।।) 19 और 20 वीं शताब्दी में ग्लोबल हेजमोनिज और	परिषद इस बात को पुनः दोहराती है कि प्रक्षेपित बजट अनुमान से संचालित इसके कार्यकलाप इतिहास और इसकी प्रगति के लिए अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता करेगा। परिषद के प्रकाशन जो प्रत्येक वर्ष पर्याप्त संख्या में प्रकाशित किया जाता है देश और विदेश में उच्च स्तर पर इतिहास के विशेषज्ञों को महत्व प्रदान करेंगे। विदेश में इतिहास विशेषकर भारतीय इतिहास में अनुसंधान प्रोत्साहन		सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने की शर्त पर।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		संलग्न संगठनों और संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य अनुसंधानकर्ताओं के लिए इतिहास अनुसंधान के लिए फलोशिप संचालित करना तथा प्रदान करना, इतिहास अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करनार और इतिहास अनुसंधान के लिए प्रलेखन तथा पुस्तकालय सेवाओं के लिए सहायता केन्द्र स्थापित करना ही इस परिषद ने इतिहास के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है ताकि इसमें समाज,				इतिहास लेखन (।।।) पूर्व-आधुनिक दक्षिणी एशिया में धर्म और समाज, भारत और पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद तथा इतिहास लेखन की स्थिति (।।/) स्मृति और इतिहास : इतिहासकारों से पहले का इतिहास वर्तमान उच्च वैज्ञानिक कंप्यूटरीकृत विश्व भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। इस समय इसके दो क्षेत्रीय कार्यालय एक गुवाहाटी और दूसरा बंगलौर में है। परिषद की इन केन्द्रों से इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ने की जरूरत है ताकि उसे दिन प्रतिदिन की सूचना विशेषकर इतिहास अनुसंधान से संबंधित सूचना प्राप्त होती रहे। उक्त क्षेत्रीय केन्द्रों को सुदृढ़ किए जाने औरर आवश्यक उपस्कर, सामग्री तथा पुस्तकालय उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि इतिहासकारों/ पुरातत्वविदों/ पुरालेखशास्त्रियों को आकर्षित करने और हमारे देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सकिय करने की प्रकिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अकादमिक सम्पर्क के माध्यमसे इतिहास के क्षेत्र में ज्ञान की प्रचार-प्रसार करने के लिए है।		

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		अर्थशास्त्र, कला, साहित्य, दर्शनशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पुरालेखशास्त्र. मुद्राशास्त्र, पुरातत्व, सामाजिक-आर्थिक स्वरूप और सम्बद्ध विषयों का इतिहास शामिल किया जा सके।							
19	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	-शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के कांतिकारी विचारों के अनुसार ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यथा परिकल्पित ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प की सूक्ष्म आयोजना की चुनौतियों का सामना किया जा सके।	1.45 (0.15 पूर्वोत्तर में)	0. 50	-	1) ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को सुदृढ़ करना-0.20 2) नई तालीम गांधीवादी बेसिक शिक्षा संस्थाओं को सहायता- 0. 65 3) पूर्वोत्तर क्षेत्र की नई तालीम गांधीवादी बुनियादी शिक्षा संस्थाओं को सहायता- 0.15 4) विभिन्न संगठनों/संस्थाओं के साथ ग्रामीण शिक्षा, प्रशिक्षण, फील्ड शोध के जरिए गांधीवादी संस्थाओं का समेकन-0.05 5) गांधीवादी शिक्षा, विकास, अर्थव्यवस्था, प्रबंधन दृष्टिकोण मूल्यों आदि पर पाठ्यक्रम तथा मॉडयूल तैयार करके ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना-0.	इन सभी परियोजनाओं का प्रस्ताव परिषद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है।	इन परियोजनाओं को पूरा करने की सीमा 1 से 3 वर्ष है।	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		-गांधीवादी बुनियादी शिक्षा और नई तलीम के कार्यक्रमों में लगी संस्थाओं का विकास करना, उन्हें नेटवर्क में लाना तथ समेकित करना। -अन्य शैक्षिक संस्थाओं और स्वैच्छिक एजेंसियों को शिक्षा के गांधीवादी विचारों के अनुरूप प्रोत्साहित करना। -उभरते ग्रामीण व्यावसायों के अनुरूप तृतीयक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का डिजाईन -विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल देते हुए सभी संस्थाओं की विषयवस्तु को सुदृढ़ करना -ग्रामीण संस्थाओं के क्षेत्र प्रबोधन				10 6) एन सी आर आई प्रतिष्ठान का सुदृढ़ीकरण-0.05			

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रु0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना। -माइक्रो स्तरीय आयोजना के जरिए समुदाय के विस्तार सेवाओं को प्रोन्नत करना							
20	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	संस्थान का उद्देश्य जीवन के विषयों तथा समस्याओं और वे विचार जो गुढ़ मानवीय महत्व है के संबंध में स्वतंत्र तथा रचनात्मक छान-बीन करना और विद्वानों को विशेषकर मानविकी सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भारतीय संस्कृति तथा तुलनात्मक धार्मिक क्षेत्र के चयनित विषयों में शैक्षिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त	2.40	4.00	आई आई ए एस द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा प्रवेश शुल्क के जरिए 0.15 करोड़ रू. की आय।	1(क) फलोशिप जारी-20 नयी-15 (ख) राष्ट्रीय फेलोशिप जारी-शून्य नयी-10 2.(क)राष्ट्रीय सेमिनार-12 (ख)सम्मेलन/ कार्यशाला जारी-नया -निर्धारित किया जाना है। 3.(क) अतिथि प्रोफेसर-3 नए-10 (ख) अतिथि विद्वान-16 नए-30 4. बैठकें- जारी-2 नए-10 5. पुस्तकालय पुस्तकें तथा पत्रिकाएं -2400 नए-5000 6. अध्येताओं के लिए वर्ड प्रोफेसर (इलेक्ट्रानिक उपस्कर) जारी-4	संस्थान को अनुमान है कि अनुमानित बजटीय आकलन के आधार पर आयोजित कार्यकलाप सें मानवीकी, सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान, भारतीय संस्कृति तथा तुलनात्मक धार्मिक विषयों में अनुसंधान के नये क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा इसके प्रकाशन	संस्थान अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2007 तक के फलोशीप कार्यक्रम तथा अन्य शैक्षिक कार्यकलापों के लिए आवेदन पत्र/प्रस्तावों को अमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने की शर्त पर।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		वातावरण उपलब्ध कराना है।				नयी-10	से साहित्य समृद्ध होगा।		
21	भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति के इतिहास की परियोजना	वर्ष 2009-10 तक 96 खंडों/मोनोग्राफ प्रकाशित करने की योजना है। वर्ष 2006-07 के दौरान 6 खंडों के प्रकाशन का प्रस्ताव है। वर्ष 2007-08 हेतु 9 खंडों के प्रकाशन का प्रस्ताव है।	1.75	–	पीएचआई एसपीसी के प्रकाशनों से 18 लाख रू. की आय प्राप्त होने का अनुमान है।	वर्ष 2006-07 तक 47 खंड प्रकाशित किए जा चुके हैं, वर्ष 2006-07 के दौरान 4 पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी। वर्ष 2007-08 हेतु नौ खंड प्रकाशित किए जाएंगे।	पीएचआई एसपीसी पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है और विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा पुस्तकालयों के जरिए विभिन्न शोधकर्ताओं, पीएचडी करने वाले छात्रों की शोध के प्रयोजनार्थ ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।	तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2007-08 के भीतर ही पीएचआईएससी अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा।	वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आउटकम अनुदानों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
22	राष्ट्रीय शोध प्रोफेसरशिप हेतु वित्तीय सहायता	शिक्षाविदों तथा अध्येताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों अथवा विशेषज्ञताओं में शोध को सरल बनाना और ज्ञान सृजन में योगदान करना		0.42		11 राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर पदासीन है। राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर हेतु स्लॉटों की अधिकतम संख्या 12 है। इसके अलावा 4 पेंशनधारी हैं।	ज्ञान की विशेषज्ञतावाले क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु शोधकार्य को बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय शोध प्रोफेसरों की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की जाती है जिसे अगले पांच वर्ष की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
								तत्पश्चात् एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर आजीवन पेंशन का हकदार है।	
23	शिक्षा हेतु पुर्नवित्तीयन निगम की सीपना (नई स्कीम)	सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को बिना भेदभाव किए वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अन्यथा शैक्षिक रूप से योग्य हैं ताकि वे अपने पसंदीदा शैक्षिक संस्थाओं में अपनी पंसीदा विषयों में उच्चतर/व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेने में सक्षम हो सकें।	1.00	–	–	मात्रात्मक आपूर्तियोग्य मदें/वास्तविक परिणाम तैयार किए जा रहे हैं।	वास्तविक परिणाम स्कीम के कियान्वयन पर निर्भर होता हैं।	इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया गया है।	यह स्कीम तैयार की जा रही है।
24	राष्ट्रीय गुरूग्रंथ साहित अध्ययन संस्थान (नई स्कीम)	श्री गुरू ग्रंथ साहिब दैव वाणी, अंर्तधर्म संवाद का एक विपुल भंडार है और साथ ही मानव जीवन एवं	5.00	–	–	मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मदें/वास्तविक परिणाम तैयार किए जा रहे हैं।	वास्तविक परिणाम स्कीम के कियान्वयन पर निर्भर होता है।	इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया गया है।	यह स्कीम तैयार की जा रही है।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		सभ्यता के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण होने के नाते एक राष्ट्रीय श्री गुरू ग्रंथ साहिब संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि जहां एक स्वायत्त निकाय के रूप में वाणी का उद्भव, इसका संरक्षण, प्रचार-प्रसार एवं प्रभाव आदि का अध्ययन किया जा सके।							
25	क्षेत्र,गहन और मदरसा आधुनिकी करण कार्यक्रम	इस योजना के दो घटक हैं:- 1.अवसंरचना विकासः प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में जहां अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा राज्य सरकारों की स्कूल योजना अभ्यास के आधार पर आवश्यकता महसूस की	55.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5.50)	-		अंग्रेजी/गणित/विज्ञान विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकारें, मदरसों को सहायता प्रदान करेगी। विषय और शिक्षकों का चुनाव मदरसा प्रबंधों द्वारा किया जाता है।	यह सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।	यह योजनागत स्कीम है।	-मदरसा द्वारा प्राप्त सहायता और इसके समुचित कार्यान्वयन पर निर्भर है। -संबंधित राज्य सरकार का अनुमोदन

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		गई है, को बुनियादी शैक्षिक अवरंचना प्रदान करना। 2. मदरसा आधुनिकी करण: अपने परम्परागत शिक्षण में हस्तक्षेप किए बिना, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिये प्रत्येक शिक्षक को 3000/- प्रति माह की दर से प्रति मदरसे में दो शिक्षकों का वेतन							
दूरस्थ शिक्षा									
26 (क)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु अपेक्षित रोजगार की जरूरतों को पूरा करने से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र कार्यकर्मों को सुदृढ़ एवं विस्तार करना;	44.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 4.40)	1.00	237.71 करोड़ रू. (शुल्क एकत्र करके तथा आवर्ती कार्य को पूरा करने हेत	भारत सरकार की पैन अफ्रिकी ई-नेटवर्क टेली एजुकेशन पहल को सहायता। मैसर्स स्वामी नाथन रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम ज्ञान तथा ग्राम संसाधन केन्द्रों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों में 02 ग्रामीण क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना। विभिन्न क्षमता वाले व्यक्तियों हेतु प्रावधान सहित 25 अध्ययन	विद्यार्थियों की दाखिले में 4.3 प्रतिशत अथवा 20,000 की बढ़ोतरी।	दाखिले में बढ़ोतरी के संचयी प्रभाव हैं और कई कारकों पर निर्भर होते हैं। विभिन्न घटक जैसे केन्द्रों का सृजन, पाठ्य सामग्री तैयार	विभिन्न अलग-अलग विषयों के संकायों की कमी और विभिन्न कार्यकलापों की अनुमोदन प्रकिया में विलम्ब से लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी हो सकती है। क्षेत्र आधारित

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग विशेषतः समाज के लाभवंचित वर्गों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना; उत्कृष्टता के प्रोत्साहन हेतु विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में नवाचारी प्रणाली के प्रोत्साहन, जिसमें अध्ययन की पद्धतियों तथा गति, विषयों का समामेल, नामांकन हेतु पात्रता, दाखिले हेतु आयु, परीक्षा का आयोजन तथा कार्यक्रम लागू करने में लचीलापन तथा मुक्तता है।			हेतु अन्य आंतरिक स्रोतों के जरिए अपने संसाधनों से आय)	केन्द्रों की सीपना योजना आयोग तथा सच्चर समिति द्वारा निर्धारित शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 100 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना। वार्षिक नामांकन :5.0 लाख कुल नामांकन :19.00 लाख प्रस्तावित नए विद्यालय : 9 नई अध्ययन पीठें स्थापित करनाः 8 नए केन्द्र स्थापित करना : 2 नए कार्यक्रम : 11 नए पाठ्यक्रम : 60 नए क्षेत्रीय केन्द्र : 3 नए अध्ययन केन्द्र : 100 नए ओवरसीज अध्ययन केन्द्रों की संख्याः 8 आर.ओ.टी. की स्थापनाः 140 एस.आई.टी. की स्थापना : 2 800 से 1000 घंटे के श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों का संग्रहण इंटरनेट के माध्यम से 1 जी.डी. चैनलों का संप्रेषण		करना तथा कार्यक्रम प्रारंभ करने के इस श्रृंखला में विविध प्रारंभ बिन्दु हैं। उपाय करने पर अंतिम निर्णय संसाधनों की उपलब्धता संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर लिया जाएगा। अधिकतर घटकों का कार्य शैक्षिक प्रवृत्ति का है तथा इसे संसाधनों के उपलब्ध होने पर तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए। कार्यकलापों का दूसरा सेट दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में सूचना एवं संचार	कार्यक्रमों की शुरूआत क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा किया गया पहला प्रयास है। प्रस्तावित कार्यक्रम वर्तमान समय की पारम्परिक प्रणाली के समान नहीं है। अतः, संसाधन व्यक्तियों को पहचान करना कठिन होगा।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
								प्रौद्योगिकी के प्रयोग के उपायों का सुदृढ़ीकरण है। प्रत्येक तिमाही में 35 आर. ओ.टी. स्थापित करना। 200-250 प्रति तिमाही	
27 (ख)	राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता	मानकों के निर्धारण हेतु मुक्त तथा दूरस्थ अध्ययन प्रणालियों का समन्वयन, प्रोत्साहन, तथा संबद्धन। भारत में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना	64.00 (पूर्वोत्तर में 6.40)	--		उन एस.ओ.यू. की संख्या जिन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी :13 सी.सी.आई. की संख्या जिन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी : 75 एस.ओ.यू./सी.सी.आई. के शैक्षिक कार्यकमों की संख्या जिन्हें सहायता दी जानी है।	एस.ओ.यू. तथा सी.सी.आई. में छात्रों के नामांकन में 10 प्रतिशत की वृद्धि	प्रस्ताव आमंत्रित करना 30.04. 2007 प्रस्तावों की जांच 15.05. 2007 प्रस्तावों पर निर्णय 30.06. 2007 अनुदान जारी करना 31.7. 2007	आबंटनों का समय पर समुचित उपयोग, उपयोग प्रमाणपत्रों को समय से उपलब्ध कराना, प्रस्तावों को तैयार करने, परिषद की बैठकों, तथा भेजने में हुआ विलंब

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
								उपयोगः 2007-08 अंतिम मूल्यांकन 31.3.2008	
28	कॉनवेल्थ ऑफ लर्निंग	कॉनवेल्थ देशों में दूरस्थ अध्ययन के माध्यम से शिक्षा का प्रोन्नयन जिसमें शिक्षण सामग्री के विकास, सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।	--	2.46		एस.ओ.यू. तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को क्षमता विकास हेतु सहायता	कार्यक्रम को लागू करने की प्रणाली की कार्यक्षमता सुधार तथा अधिक महत्व के नए कार्यक्रम शुरू करना।	कॉनवेल्थ ऑफ लर्निंग एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। बजटीय राशि भारत सरकार का सहयोग है तथा अनुमोदन के पश्चात एक किस्त में जारी किया जाता है।	-
29	कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों हेतु छात्रवृत्ति स्कीम (नई स्कीम)	इंजीनियरी,मेडिकल तथा व्यावसायिक कार्यक्रमों सहित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभावान छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिसमें	14.00 (पूर्वोत्तर में 1.40)			वर्ष के दौरान 11,700 नई छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने की संभावना है।	11,700 प्रतिभावान छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।	प्रक्रिया पूरे वर्ष जारी रहेगी।	यह नई स्कीम होगी। दर्शाया गया आउटकम कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की प्रस्तावित स्कीम के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-14165
Date : 6-3-2013
Documentation Centre

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		शिक्षा के उसी स्तर पर वर्ष दर वर्ष आधार पर नवीनीकृत करने का प्रावधान होगा बशर्ते पात्रता की शर्तों को पूरा किया जाता हो।							
	भाषा का विकास								
30	हिन्दी निदेशालय		9.00 (पूर्वोत्तर में 0.90)	6.04					
	पत्राचार द्वारा हिन्दी सिखाने की स्कीम	हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार				योजना के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री की तैयारी और प्रकाशन	1,000 छात्रों को हिन्दी सिखाना 20 छात्रों हेतु व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम प्रकाशन-3	वार्षिक	
	कैसेटों के द्वारा हिन्दी	-वही-				हिन्दी सीखने की दर में वृद्धि	i. हिन्दी व्याकरण सहित विभिन्न विषयों हेतु 4 सी. डी. तैयार करना	वार्षिक	
	स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों तथा डी.बी.एच. पी. सभा को अनुदान	आम जनता की भागीदारी से हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार				लगभग दस लाख गैर हिंदी भाषी लोग हिन्दी सीख पाएंगे।	i.220 वी. एच.ओ. को अनुदान तथा प्रकाशन अनुदान जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा।	वार्षिक	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	प्रकाशन i) शब्दकोशों तथा बोल-चाल मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन ii) गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण iii) हिन्दी पुस्तकों का प्रदर्शन iv) भाषा (द्विमासिक), वार्षिकी तथा साहित्यमाला का प्रकाशन	हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार हेतु शब्दकोश तथा मानक संदर्भ सामग्री तैयार करना। इसमें संपूर्ण प्रकाशनों का प्रदर्शन तथा विज्ञापन के माध्यम से खरीदी गई पुस्तकों का निःशुल्क वितरण शामिल है।				i)मानक संदर्भ सामग्री तथा हिन्दी के प्रकाशनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ii) हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु iii) विभिन्न स्थानों पर 12 प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी iv) भाषा मैगजीन के 4 अंक जिसमें एक विशेषांक 'भारतीय यायावार साहित्य' शामिल है प्रकाशित किए जाने की संभावना है।	i) 4 शब्दकोश/ बोल-चाल मार्गदर्शिकाएं ii) 6000 पुस्तकें iii) 12 प्रदर्शनियां iv) 06+02	वार्षिक	
V.	हिन्दी लेखकों हेतु अवार्ड	मौलिक लेखनों तथा प्रसिद्ध लेखनों के अनुवाद को सम्मान के द्वारा हिन्दी का प्रचार-प्रसार					लेखकों के चयन की प्रक्रिया	वार्षिक	
31	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (योजनेत्तर)		4.00 (पूर्वोत्तर में 0.40)	1.65					
	1.तकनीकी शब्दावलियां/ शब्दकोश तैयार करना	1. हिन्दी की तकनीकी शब्दावली का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकास तथा मानकीकरण				20000 शब्दों का विकास तथा परिभाषा तथा लगभग 5000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण	शब्दों के विकास/परिभाषा हेतु 160 कार्यक्रम	एक वर्ष	

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	2. विश्वविद्यालय स्तर की हिंदी/क्षेत्रीय भाषा पुस्तकें मोनोग्राफिक/डाइजेस्ट जर्नल तैयार करना	xii. इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा कृषि के पाठ्यक्रमों की पहचान करना तथा इन तीन विषयों हेतु पाठ्यपुस्तकें तथा संदर्भ सामग्री तैयार करना				लक्षितों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर संदर्भ सामग्री, जर्नल आदि	20 प्रकाशन	एक वर्ष	
	3. राष्ट्रीय शब्दावली स्कीम	xviii. राष्ट्रीय शब्दावली बैंक स्थापित करना जहां पर साहित्य से जुड़ी समस्त शब्दावली एक स्थान पर उपलब्ध होगी				सभी उपयोगकर्ताओं को साहित्य के रूप में सुविधा उपलब्ध करना	राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना	एक वर्ष	
	4. शब्दावली सी.डी. का निर्माण तथा वेबसाइट का रखरखाव स्कीम	xix. आयोग के कार्य को सी.डी. के रूप में उपलब्ध कराना, वेबसाइट अपडेट करना तथा आम जनता हेतु इंट्रक्टिव रूप में उपयोग के लिए वेबसाइट का रख-रखाव				साहित्य शब्दावली को सी.डी. के रूप में उपलब्ध कराना तथा नेट के उपयोगकर्ताओं से इंट्रेक्ट करना	कम से कम 20 शब्दावली सी.डी. तैयार करना तथा वेबसाइट को समुचित तथा इंट्रेक्टिव फार्म में अपडेट करना	एक वर्ष	
	5. शब्दावली क्लब की स्थापना तथा रख-रखाव स्कीम	xx. देश के सभी राज्यों में शब्दावली क्लबों की स्थापना ताकि आयोग द्वारा प्रकाशित सहित्य सभी राज्यों में उपलब्ध हो।				शब्दावली क्लबों के माध्यम से राज्यों में आयोग साहित्य को उपलब्ध कराना	देश में विभिन्न राज्यों में कम से कम 5 शब्दावली क्लब स्थापित करना	एक वर्ष	
32	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा-एक	हिन्दी का भारत तथा विदेश में प्रसार	17.00 (पूर्वोत्तर में	7.40		1. मंडल भवनों का निर्माण क) मैसूर तथा दिल्ली केन्द्रों को तैयार तथा निर्मित करना	यह हिन्दी में प्रशिक्षण, शिक्षण तथा अनुसंधान	वार्षिक	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	मुश्त प्रावधान 05.07.31		1.70)			ख) आगरा में आडीटोरियम तथा प्रयोगशाला का निर्माण ग) आगरा में अंतर्राष्ट्रीय पुरूष छात्रावास का निर्माण घ) दीमापुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद तथा गुवाहाटी में भूमि अधिग्रहण 2. अध्ययन सामग्री तैयार करना।	हेतु एक उन्नत केन्द्र है तथा अनुप्रयुक्त हिन्दी भाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहा शीर्ष संस्थान है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के समीप लाना तथा हिन्दी को सभी स्तरों पर अच्छे संचार हेतु विकसित करना। अतः आउटकम का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह अस्पष्ट है।		
						क) 16 शिक्षु शब्दकोशों का विकास और उत्पादन (हिन्दी और जनजातीय भाषाओं में) ख) 5 जनजातीय भाषाओं में संग्रह और लोक कथाएं 3. प्रबोधन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का विस्तार एवं विकास क) 2000 शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण 4. भाषा तकनीक में नवाचार क) ए.वी.डी., सी.डी. और डी.वी.डी. तैयार करना ख) वेब साईट का विकास और वेबसाईट पर कार्यक्रम लांच करना			

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
						5. विदेशों में हिन्दी का प्रसार क) 100 विदेशी बच्चों को प्रशिक्षण 6. अहमदाबाद, भुवनेश्वर और दीमापुर केन्द्रों की स्थापना/विकास क) अहमदाबाद-350 सेवारत अध्यापकों/50 सेवा-पूर्व प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण ख) भुवनेश्वर-400 सेवारत शिक्षकों/50 सेवा-पूर्व प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण ग) दीमापुर-60 शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण और 100 शिक्षकों के लिए कार्यक्रम 7. कोलकाता में नए केन्द्र की स्थापना 8. संदर्भ शब्दकोष तैयार करना क) कारपोरा स्कीम में 4.5 मिलियन शब्द शामिल करना ख) हिन्दी लोक शब्द कोश के अन्तर्गत शब्दकोश			
33	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद	उर्दू भाषा का प्रोन्नयन, विकास और प्रसार करना	17.40 पूर्वोत्तर में 1.74)	-	-	223 विद्यमान डी.टी.पी. केन्द्रों को चलाना 25 नए डी.टी.पी. केन्द्र खोले जाएंगे। 25 नए डी.टी.पी. केन्द्र खोले जाएंगे। वर्ष के दौरान 10 नए सुलेखन और ग्राफिक डिज़ाइन केन्द्रों की बढ़ोतरी/ई.बी. और एफ.सी. अनुमोदन प्राप्त होने पर 2005 पुस्तकें + 60 जर्नल खरीदे जाएंगे। 56 नए शीर्षक प्रकाशित किए जाएंगे और 71 शीर्षक पुनः मुद्रित होंगे।	उर्दू शिक्षुओं को रोजगार के लायक कार्य शक्ति बनाने के लिए उर्दू को रोजगार से जोड़ने के लिए उर्दू बोलने वाले अल्पसंख्यकों को भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा देना ताकि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।	एक वर्ष	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
34	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	10 मास का शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स	24.10 (पूर्वोत्तर में 2. 50)	8.26	–	561 शिक्षक प्रशिक्षित		10 मास	
		प्रबोधन कोर्स/पुनश्चर्या ,कोर्स/राष्ट्रीय एकीकरण कैम्प				25 कोर्स		1 वर्ष	
		सेमिनार/सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यकम/विशेष व्याख्यान/ परियोजना कार्यशाला				250 सम्मेलन		1 वर्ष	
(i)	कथा भारती	(i) पुस्तकों का अतिरिक्त चयन (ii) अनुवाद निर्धारण (iii) प्रकाशन				50 25 25	भाषाओं में से सभी भारतीय भाषाओं का प्रसार और विकास	1 वर्ष	
(ii)	भाषा मंदाकिनी	200 वृतान्त क. बंगाली ख. कन्नड़ ग. मराठी घ. तमिल				65 वृतांत 50 ,, 20 ,, 65 ,,	संकट-ग्रस्त भाषाओं में से सभी भारतीय भाषाओं का प्रसार और विकास	1 वर्ष	
(iii)	अनुकृति	Anukriti.net साईट में डाटाबेस संशोधन और संवर्धन ट्रांसलेशन टुडे- 5 और 6 संस्करण -ट्रांसलेशन स्टडीज संदर्भिका				Anukriti.net साईट में डाटाबेस संशोधन और संवर्धन ट्रांसलेशन टुडे- 5 और 6 संस्करण -ट्रांसलेशन स्टडीज संदर्भिका -विश्व कोश तैयार करना	संकट-ग्रस्त भाषाओं में से सभी भारतीय भाषाओं का प्रसार और विकास	1 वर्ष	

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		-विश्व कोश तैयार करना अनुवादकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर मशीन अनुवाद (अंग्रेजी कन्नड (लगभग 3/4)				अनुवादकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर मशीन अनुवाद (अंग्रेजी कन्नड (लगभग 3/4)			
(iv)	भाषा-भारती और स्वचालित पुस्तकालय	क. एन.ई.आर.एल. सी., यू.टी.आर.सी. (सोलन) और यू.टी. आर.सी.लखनऊ पुस्तकालयों का अधोपरिवर्तन ख. अन्य सभी पुस्तकालयों और हस्तलिपिगार का नियमित अद्यतन				क. एन.ई.आर.एल.सी., यू.टी.आर.सी. (सोलन) और यू.टी.आर.सी.लखनऊ पुस्तकालयों का अधोपरिवर्तन ख. अन्य सभी पुस्तकालयों और हस्तलिपिगार का नियमित अद्यतन	संकटग्रस्त भाषाओं में से सभी भारतीय भाषाओं का प्रसार और विकास	एक वर्ष	
	नए कार्यक्रम								
(vi)	भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई आंकड़ा संघ						संकटग्रस्त भाषाओं में से सभी भारतीय भाषाओं का प्रसार और विकास	1 वर्ष	यह नई स्कीम होगी
	भाषाई मान्यता और संयोगात्मकता	5 भाषाओं के आंकड़े एकत्र				5 भाषाओं के आंकड़े एकत्र			
	अक्षर मान्यता	मानकों का विकास				मानकों का विकास			
	प्राकृतिक भाषा कार्य प्रणाली	4 भाषाओं में इलेक्ट्रानिक शब्दकोश और कोरपस की पी. ओ.एस. टैगिंग				4 भाषाओं में इलेक्ट्रानिक शब्दकोश और कोरपस की पी.ओ.एस. टैगिंग			
	क. आठवीं	1 मिलियन शब्द				1 मिलियन शब्द			

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	अनुसूची की सभी भाषाओं में लिखित सामग्री का क्वांटम								
	ख. 10 अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में बोली जाने वाली सामग्री का क्वाटंम	50 घंटे				50 घंटे			
	ग. अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी और पांच क्षेत्रीय भाषाओं में समानान्तर सामग्री का क्वांटम	1/4 मिलियर शब्द				1/4 मिलियन शब्द			
	घ. 5 भाषाओं में विशिष्ट सामग्री (भाषायी कमी आदि) का क्वांटम	एक लाख शब्द				एक लाख शब्द			
(vii)	राष्ट्रीय अनुवाद मिशज	देश में अनुवाद संसाधनों का सृजन				1. केन्द्रीय कार्यालय के लिए आधारभूत ढांचे की संरचना 1. अनुवाद सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए जी.आई.ए. 2. अनुवाद अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ और शिक्षावृत्ति 3. आधारभूत अनुवाद सामग्री का विकास	संकटग्रस्त भाषाओं में से सभी भारतीय भाषाओं का प्रसार और विकास	1 वर्ष	यह एक नई स्कीम होगी

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
						4. अनुवाद पुरस्कार 5. अनुवादकों के लिए प्रशिक्षण 6. गुणवत्ता जर्नल का प्रकाशन 7. एक अनुवाद मेला			
(viii)	भारतीय भाषायी सर्वेक्षण					1. अवर्गीकृत भाषाओं का वर्गीकरण 2. उप-वर्गीकरण और भाषाओं का भाषा परिवार संबद्धीकरण 3. भाषाओं का क्षेत्रवार/ प्रतीकात्मक वर्गीकरण 4. भाषायी और समाज-भाषायी विवरण 5. भाषा और पहचान	• रिपोर्टें(मूल एल.एस.आई. वोल्यूम से तुलना योग्य) • व्याकरणीय रेखाचित्र(व्यक्ति भाषाओं के और ग्रुप भाषाओं के भी) • शब्दकोश (प्रत्येक भाषायी विविधता का) • टैग किया गया कारपोरा (प्रत्येक बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और संकटग्रस्त भाषा का) • संदर्भिकाएं (101 लिखित भारतीय भाषाओं का प्रकाशन) • उद्धरण और डाटाबेस अनुवाद (भारतीय भाषाओं से और में) • ऑडिया डाटा लोक साहित्य		यह एक नई स्कीम होगी

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
							सहित (प्रत्येक भाषा विविधता का) • दृश्य-प्रलेखन (प्रत्येक मातृ-भाषा की यद्यपि आरम्भ बिन्दू भाषाएं ही होंगी। • भाषायी मानचित्र, चार्ट और ग्राफ (भाषा-वार, भाषा-परिवार-वार, क्षेत्र-वार और विस्तार-वार • बोली मानचित्रावली और विस्तृत बोली विभाजन-वार) • समाज-भाषायी प्रोफाईल (वृहद अभिलेखागार (वर्चुअल और वास्तविक) से केवल सैम्पल सर्वेक्षण भाषाओं सहित दी गई भाषा-प्रकार के मुख्य कार्यों का)		
(IX)	राष्ट्रीय परीक्षण सेवा	• सामान्य शिक्षा के सभी सात स्तरों पर लागू भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम के				• स्रोत/संसाधन तथा संदर्भ सामग्री चार भाषाओं में प्राप्त की जाएगी (अंग्रेजी + हिन्दी, तमिल तथा उर्दू)। • अंग्रेजी में 4 मॉडल (कक्षा 1,2 तथा स्नातक में प्रत्येक के	संकटापन्न भाषाओं की सभी भारतीय भाषाओं का प्रसार व विकास	1 वर्ष	यह एक नई स्कीम होगी।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		लिये ग्रेड युक्त पाठ्यचर्या की अवधारणा आधारित सांतत्यक तैयार करना। • उपयुक्त के लिये मानदंड तथा स्तर तैयार करना। • मातृभाषा/द्वितीय भाषा/विदेशी भाषा के संदर्भ में अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा दक्षता की आवधारणाओं को निर्धारित करना। • कक्षा 12 तथा स्नातक स्तरों पर विषय सामग्री तथा परिणामी प्रभावों का निर्णय करना। • केन्द्रीयकृत तंत्र विकसित करने के लिये उचित कार्रवाई करना जिसमें उपस्कर तथा पैमाने शामिल हैं।				12 तथा स्नातक में प्रत्येक के लिये 2) के साथ एन एल तथा एस एल/एफ एल सतत् पाठ्यचर्या प्रारूप फार्मेट तथा 4 भाषाओं में हिन्दी, तमिल तथा उर्दू (दो स्तरों के लिये कुल 16 प्रारूप फार्मेट) में उनको परिवर्तित करना। • 4(1+3) भाषाओं में विषय निवेशों तथा परिणामी प्रभावों के लिये पाठ्यचर्या का सतत प्रारूप अंतरभाषी तुलना हेतु केन्द्रीयकृत तंत्र तैयार करने के एक पूर्वानुमान के रूप में कई क्षेत्रीय फील्ड ईकाईयों के जरिये पायलट अध्ययन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। (फलक-वैधता सहित)			

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
(X)	पाली तथा बोढवादी अध्ययन	भाषाओं के इंडो-आर्यन परिवार के कई स्तर तथा शाखाएं हैं, और पाली तथा बोद्धवादी अध्ययन को श्रेण्य भाषाओं के अन्य स्तरों के साथ साहित्य, पाठ्य, व्याकरणीय पुस्तकों तथा दर्शन शास्त्र से जोड़ने के लिये सी आई आई एल केन्द्र का प्रयास होगा। अपेक्षा की जाती है कि यह अध्ययन इतिहास को दोबारा लिखने में तथा उनके संबंध स्थापित करने में सहायक होंगे। विशेष रूप से केन्द्र बौद्ध साहित्य, शिक्षण, कला आदि में इस बात का पता लगाने के लिये अनुसंधान करेगा कि क्या पूर्व एशिया तथा सिवो-तिबेतल सांस्कृतिक वातावरण में इसके व्यापक भाषाई वातावरण के साथ पाली भाषाओं के भाषाई तथा				1. रिसर्च मोनोग्राफ 2. पाली तथा बौद्ध अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां 3. पाली तथा बौद्ध अध्येताओं के लिये पुरस्कार 4. अनुसंधान आदि का प्रलेखन	संकटापन्न भाषाओं की सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार तथा विकास करना	1 वर्ष	यह एक नई योजना होगी।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		सांस्कृतिक संबंध प्रस्तावित हैं। पाली तथा प्राकृत अन्य प्राचीन इंडो-आर्यन भाषाओं के श्रेण्य चरणों से पाठ्यों को रूपांतरित करने का प्रस्ताव है। निरूपक पाली पाठ्य के एक सेट का आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, चूंकि श्रेण्य इंडो-आर्यन में विशेषज्ञों की संख्या कम होती जा रही है और केन्द्र पाली तथा बौद्ध अध्ययन शुरू करने के लिये अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने तथा प्रशिक्षित करने संबंधी मुद्दे को उठाएगा। चूंकि पाली भारत में केवल अपनी साहित्य परम्परा को संघठित करती है जो हिन्दूवाद तथा संस्कृत परम्परा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है और चूंकि प्राकृत के प्रभाव के समक्ष उत्पन्न इसका							

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		साहित्य सभी अन्य परम्पराओं से गुणात्मक रूप से इसको अलग करने में सुदृढ़ हो गया है और केन्द्र अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा विश्लेषण के जरिये उनको लाने का प्रयास करेगा और पाली में शिक्षण सामग्री तैयार करने में भी अंशदान करेगा। पाली के प्राचीन लेखों का अपना काव्य सिद्धांत, व्याकरण परम्परा तथा कला शास्त्र है और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान आधार भी है, केन्द्र इन सभी बातों के साथ इन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा। पाली तथा बौद्ध अध्ययन केन्द्र प्रिंट, फिल्म तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में उचित शिक्षण तथा प्रलेखन सामग्री तैयार करेगा ताकि छात्रों के साथ-साथ आम जनता को इसकी जानकारी दी जा सके।							

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
(XI)	लघु तथा विलुप्त भारतीय भाषाओं के विकास की योजना	100 लघु भारतीय भाषाओं का विकास तथा प्रोन्नयन				6. वर्णन तथा प्रलेखन संबंधी अभिलेखन हेतु आंकड़ा आधारित संरचना तैयार करना। 7. भाषाओं तथा अनुसूचियों का चयन, स्टाफ की नियुक्ति तथा उपस्करों की खरीद। 8. वेब साईट तथा इंडेक्स का विस्तार तथा स्तरोन्नयन एक्सपेंडिंग www.ciilgrammars.net 9. प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना (i) भाषाविदों के लिये तथा (ii) देश के विभिन्न भागों में मातृभाषा बोलने वालों के लिये जिनकी पहचान परियोजना में भाग लेने वालों के लिये की जाएगी (लिपि विकास तथा मानकीकरण संबंधी कार्यकलापों में)। 10 क्षेत्रीय फील्ड पुस्तिका तथा आंकड़ा संग्रह उपस्कर को सुदृढ़ बनाना। 11.सेमिनार/ सम्मेलन का	1. वर्णन तथा प्रलेखन संबंधी अभि लेखन हेतु आंकड़ा आधारित संरचना तैयार करना। 2. भाषाओं तथा अनुसूचियों का चयन, स्टाफ की नियुक्ति और उपस्कर की खरीद। 3. वेब साईट तथा सूचीबद्ध करने का विस्तार/ स्तरोन्नयन www.ciilgrammars.net का विस्तार करना 4. प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना(i) भाषाविदों के लिये तथा (ii)देश के विभिन्न भागों में उन मातृभाषा बोलने वालों के लिये जिनकी पहचान परियोजना में भाग लेने के लिये की जाएगी (विशेष रूप से लिपि विकास तथा मानकीकरण	1 वर्ष	यह एक नई योजना होगी।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
						आयोजन तथा संबंधित कार्यकलाप। 12 दृश्य दस्तावेज संबंधी कार्यकलाप शुरू करना 13.सहायता अनुदान कार्यकलाप	कार्यकलापों में)। 5. क्षेत्रीय फील्ड पुस्तिका तथा आंकड़ा संग्रह उपस्कर को सुदृढ़ बनाना। 6. सेमिनार/ सम्मेलन का आयोजन तथा संबंधित कार्यकलाप। 7. दृश्य दस्तावेज संबंधी कार्यकलाप शुरू करना 8. सहायता अनुदान कार्यकलाप		
35	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद	सिंधी भाषा, जो समाप्त हो रही थी, का संरक्षण जिससे भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण भाषा का बचाव करना।	1.00	-	-	70 पत्रिकाओं/पुस्तकों को एक साथ खरीदना, 75 सिंधी अध्ययन कक्षाएं, सिंधी में दो जीवन काल पुरस्कार और मुख्य लेखकों का 5 पुरस्कार, 4 अकादमियों को वित्तीय सहायता	सिंधी भाषा का प्रचार और सिंधी अध्ययन कक्षाओं के माध्यम से सिंधी शिक्षण		
36	सीआईएफईएल स्कीम 05..09.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण और	4.00 (पूर्वोत्तर	-	-	5000 अंग्रेजी शिक्षकों को प्रशिक्षण	युवा लोगों की रोजगार क्षमता के	वार्षिक	

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	31	पिछडे क्षेत्रों के जिले केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना	क्षेत्र में 0.40)				लिए तथा उनको वैश्वीकरण के रूप से स्वीकार्य हेतु अंग्रेजी भाषा शिक्षा का प्रसार। इससे अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ उन्नत होगी।		
37	तमिल विकास योजना	1. निम्नलिखित को जारी रखना- क) उत्कृष्टता केन्द्र ख) फैलोशिप ग) दस मुख्य परियोजनाएं 2. पुरस्कार 3. प्रकाशन 4. लघु परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता 5. कार्यक्रम 6. वेबसाइट को अद्यतन बनाना 7. न्यूजलैटर को जारी रखना 8. नोडल केन्द्रों की	5.00	-	-	प्रकाशन-50 न्यूजलैटर-4	तमिल भाषा का संरक्षण और विकास	एक वर्ष	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		स्थापना 9. केन्द्रीय प्राच्य तमिल संस्थान के लिए बुनियादी आधारभूत सुविधाओं का सृजन							
38	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	संस्कृत में परम्परागत अध्ययन और अनुसंधान को संरक्षित रखना, प्रचार करना और उसे आधुनिक बनाना तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानों द्वारा स्थापित पहले परिसरों का प्रबन्धन, अपने छात्रों को डिग्रियां और प्रमाणपत्र प्रदान करना। भारत के सभी संस्कृत संगठनों/संस्थाओं और संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय सहायता तथा एएसएम/शोध संस्थानों को सहायता देने की योजना देने के अन्तर्गत 20 स्नातकोत्तर स्तर की	33.00	18.75		इस वर्ष के दौरान पुरी, लखनऊ, गुरूवायोर, जयपुर और श्रृंगेरी में निर्माण के दूसरे चरण का कार्य जारी रहेगा। इन परिसरों में छात्रों का नामांकन 4500 से भी अधिक हो सकता है। और विभिन्न संस्कृत परीक्षाओं में लगभग 16000 छात्रों के भाग लेने की आशा की गई है। पहले और दूसरे वर्ष में प्रारम्भिक संस्कृत पत्राचार पाठ्यक्रम में दाखिल 800 छात्र इस पाठ्यक्रम की पूरा कर लेंगे। इस वर्ष संस्थान में लगभग 100 छात्रों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाएगी। 2003-04 में इस संस्थान द्वारा गैर औपचारिक संस्कृत शिक्षा के 1200 केन्द्र शुरू किए हैं और ये अगले वर्ष भी जारी रहेंगे। आशा है कि इससे 50 हजार छात्रों को लाभ मिलेगा।	संस्कृत शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाओं का सृजन, छात्रों को संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, संस्कृत भाषा की उन्नति और संस्कृत आधारित सेवाओं के लिए युवाओं की रोजगार संभावना को पूरा करना।		

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		शिक्षण संस्थाओं और तीन स्नातकोत्तर स्तर की अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता। शास्त्र चूडामणि स्कीम के अन्तर्गत युवा अध्येताओं को गहन प्रशिक्षण तथा संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों/विषयों के छात्रों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करना। अध्येताओं को अपने मौलिक अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए और दुर्लभ संस्कृत हस्तलिपियों के लिए छात्रों को अनुदान प्रदान करना।				दो नये आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। संस्थान के दो परिसरों को स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। इस संस्थान ने दूरदर्शन के माध्यम से "ज्ञान दर्शन" में भाषा मंदाकनी चैनल में संस्कृत शिक्षण भी शुरू किया है। यह 2007-08 के दौरान भी जारी रहेगा।			
39	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान (एकमुश्त प्रावधान) 07.00.31	पाठशालाओं के माध्यम से वेदों का अध्ययन। वैदिक अध्ययन की परंपरा का संरक्षण तथा विकास	3.00 (पूर्वोत्तर - क्षेत्र में 0. 30)	-		वर्ष 2007-08 के दौरान इन सभी योजनाओं में 4000 छात्रों को नामांकित किये जाने की संभावना है। वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने	वेद शास्त्रों का संरक्षण	वार्षिक	

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
						वाली नामांकित संस्थाओं की संख्या 180 है।			
40	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	अच्छे साहित्य को तैयार करने को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें तैयार करना और ऐसा साहित्य जनता को उचित कीमत पर उपलब्ध कराना तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर भारतीय पुस्तकों और उनके लेखन वृत्ति को उन्नत करना।	7.15 (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 0.72)	8.90		1. आर्थिक सहायता और मुख्य पुस्तक परियोजना -5 2. पंजाबी में पुस्तकों को पुनः तैयार करना-3 3. स्कूलों में पाठक कल्बों की स्थापना-3000 4. पुस्तक मेलों में भाग लेना-10 5. प्रदर्शनियां -2 6. प्रकाशन पर अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यकम आयोजित करना-4 7. पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में न्यास की भागेदारी-100 8. ग्रामीण स्तर की मोबाइल प्रदर्शनियां आयोजित करना-2000 9.सेमिनार, कार्यशालाएं, सलाहकारी, पैनल बैठक, पुस्तक विमोचन समारोह इत्यादि-30 10. क्षेत्रीय पुस्तक मेले/राष्ट्रीय पुस्तक मेले-12	पुस्तक मेलों और प्रकाशनों के माध्यम से साक्षरता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार तथा पढ़ने की आदत को सुनिश्चित करना।		
41	बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और जन	1. विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं	4.33 (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में	-		भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार का अध्ययन और जनता की जागरूकता सृजित करना।	निर्धारित नहीं किया जा सकता।	इसके लिए प्राप्त आवेदनों के	बहुत बड़ी संख्या में गैर जरूरी आवेदन प्राप्त हुए हैं।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रु0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	सुलभता स्कीम	में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना 2. जनता और शैक्षिक समुदायों के मध्य कॉपीराइट और बौद्धिक सम्पदा अधिकार मामलों के बारे में जनता जागरूकता सृजित करना। 3. उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विशेषज्ञता प्राप्त पाठ्यकर्मों में अध्ययन का विकास और उस अध्ययन को प्रोत्साहित करना 4. कापीराइट और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में राज्य पुलिस/आयकर जैसे अधिकारियों को परिवर्तन प्रशिक्षण	0.43)			बौद्धिक सम्पदा अधिकार की संस्थाओं को सहयोग देना-14 सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करना- 4		आधार पर केन्द्र स्थापित करने के लिए गए निर्णयों के आधार पर	इन संस्थाओं को चलाना शैक्षिक पदों और/या अनुसंधान के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होने पर करता है।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		5. कालेज, विश्वविद्यालयों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कापीराइट संबंधी मामलों/बौद्धिक सम्पदा अधिकार से संबंधित मामलों पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।							
42	आरोविले प्रबंधन	आरोविले की सम्पत्तियों के अधिग्रहण और अन्तरण हेतु संसदीय अधिनियम के तहत आरोविले फाउंडेशन की स्थापना करना और ऐसी सम्पत्तियों को इस प्रकार स्थापित फाउंडेशन में निहित करना जिससे की आरोविले के मूलचार्टर के अनुसार आरोविले के बेहतर प्रबंधन और विकास तथा तत्संबंधी मामलों	3.67	0.74		चूंकि इन कार्यकलापों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सके इसलिए इस स्कीम के अन्तर्गत निष्कर्षों को मापना या उनकी संख्या का पता लगाना संभव नहीं होगा। इसका व्यय आयोजित की गई बैठकों की संख्या और उनमें भाग लेने वालों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करता है।	–	–	–

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		हेतु दीर्घकालीन उपाय किए जा सके।							
43	यूनेस्कों के लिए अंशदान	'यूनेस्को के लिए अंशदान' नामक बजट शीर्ष निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए है। 1. इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होने की वजह से भारत द्वारा यूनेस्को बजट के लिए अंशदान 2. अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस के लिए स्वैच्छिक अंशदान 3. यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय के किराये की सहायता के लिए प्रतिपूर्ति और 4. महानिदेशक यूनेस्को की अपील पर अन्य कोई स्वैच्छिक अंशदान	–	6.88	–	परिणाम निर्धारित नहीं किए जा सकते।	शैक्षिक क्षेत्र में विदेशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना और यूनेस्को से संबंधित कार्यकलापों को शुरू करना।	–	–
	यूनेस्को संबंधित	विभिन्न देशों के साथ	2.80	–	–	परिणाम निर्धारित नहीं किए जा सकते।	विभिन्न देशों के साथ	इन बैठकों	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
44	कार्यकलाप	द्विपक्षीय शैक्षिक विनियम और यूनेस्को संबंधित कार्यकलाप					द्विपक्षीय शैक्षिक विनियम और यूनेस्को संबंधित कार्यकलाप शुरू करना	को आयोजित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। लम्बे पत्राचार के पश्चात द्विपक्षीय दौरों की अन्तिम रूप दिया जाता है। यूनेस्कों और संबंधित सहभागी संगठनों के साथ परामर्श करके यूनेस्कों संबंधी कार्यकलाप किये जाते हैं।	
45	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा की गई थी जिस पर 6	–	2.10		इस आयोग को वर्ष 2005 के दौरान 373 याचिकाएं/शिकायतें प्राप्त हुई थी। वर्ष 2006 (30.11.2006 तक) में इस आयोग को 3050 मामले प्राप्त हुए हैं जिनमें से 2100 मामलें निपटा दिये	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग द्वारा शिकायतों को सुलझाना।	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग को संविधान द्वारा गारंटी	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		जनवरी, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अल्पसंख्यक शिक्षा के संबंध में केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को सलाह देता है। यह शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन के लिए अल्पसंयकों के अधिकार को वंचित रखने या उल्लंघन करने के बारे में विशिष्ट शिकायतों की जांच करता है।				गये है।		दिये गये अपनी पसन्द के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन हेतु अल्पसंख्यक के अधिकारों के उल्लंघन और उससे वंचित रहने से संबंधित शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त होती हैं। इन याचिकाओं/ शिकायतों के विषय में अल्पसंख्यक स्तर प्रमाणपत्र जारी करने की मनाही, राज्य सरकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
								जारी न करने या जारी करने में विलम्ब, नये कालेजों/संस्थाओं को खोलने की अनुमति देने को अस्वीकार करने, अतिरिक्त संस्थाओं को खोलने की अनुमति को अस्वीकार करने से संबंधित मामले शामिल हैं।	
46	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में नियोजित अनुसंधान शुरू करना एवं उसे बढ़ावा देना, तथा इस क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्शी सेवायें उपलब्ध कराना, अन्य एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ	8.83	4.94	-	वर्ष 2007-08 में 54 प्रशिक्षण कार्यकर्मों का आयोजन करने और चालू अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।	शिक्षा क्षेत्र के लगभग 1600 कर्मचारियों/ प्रशासकों को प्रशिक्षण देना और आवश्यक परामर्शदाता उपलब्ध कराना।		

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		सहयोग स्थापित करने के लिए राज्यों एवं केन्द्रों के वरिष्ठ स्तरीय प्रशासकों के साथ-साथ मुख्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एवं उन्हें निपुण बनाना, शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अन्य देशों को विशेषकर एशियन क्षेत्र के देशों को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधायें उपलब्ध कराना, समाचार पत्र, पत्रिकायें और किताबें तैयार करना, उनका मुद्रण करना और उन्हें प्रकाशित करना, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता एवं अनुभव को अन्य देशों के साथ बांटना, तुलनात्मक अध्ययन करना और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराना।							

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	तकनीकी शिक्षा								
47	समुदाय पोलिटेक्नीक स्कीम	इस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशल श्रमशक्ति तैयार करने के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा में निवेश का पूरा लाभ ग्रामीण एवं वास्तविक भारतीयों की मिलना सुनिश्चित किया जाना है।	20.00 (पूर्वोत्तर के लिए 2.00)	-		औसततौर पर देश में 669 डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें हैं जो कि इस समय इस स्कीम को कार्यान्वित कर रही हैं। औसतः प्रत्येक समुदायिक पोलिटेक्नीक में आवश्यकता आधारित अनौपचारिक कौशल/ट्रेड में लगभग 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।	पॉलिटेक्निक से संबंधित इस स्कीम की समीक्षा की जा चुकी है और ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य बनाने में यह स्कीम काफी हद तक लाभप्रद पाया गया है।		
48	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान	राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्रों को उच्च गुणवत्ता प्रर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी तथा रूड़की) का संचालन करना। आधारभूत सुविधाओं का स्तरोन्नयन। प्रयोगशालाओं तथा डिजीटल संसाधनों का	301.00(पूर्वोत्तर के लिए 177.33) (ओ एस सी सिफारिश हेतु 988.00 करोड़ रू0 की राशि को छोड़कर)	442.00		आधारभूत सुविधाओं अर्थात् सभागार, समुदाय केन्द्र, छात्रावास, केन्द्रीय विद्यालय, व्याख्यान हॉल, संकाय आवास, सम्मेलन केन्द्र का निर्माण, भूमि एवं आंतरिक सड़कों का विकास आदि प्रयोगशालाओं तथा डिजीटल संसाधनों का आधुनिकीकरण, (आधारभूत सुविधाओं का विकास एक सतत् प्रकिया है और यह किसी विशेष वित्तीय वर्ष से जुड़ा हुआ नहीं है), अन्तर-विषयक कार्यक्रमों का विस्तार/उदयीमान प्रौद्योगिकियों में नये पाठ्यक्रमों की शुरूआत सहित राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्रों को पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी. स्तर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में (दिल्ली), बम्बई,	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्रों को 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली, बम्बई, मद्रास,कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी तथा रूढ़की) में पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी एच डी स्तर पर विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्तापूर्व तकनीकी शिक्षा प्रदान करना जारी रखा है। तथापि, यह किसी विशेष वार्षिक परिव्यय का परिणाम नहीं होगा	प्रकिया तथा समय-सीमा का ध्यान रखा जाता है तथा संस्थानों में नियमित रूप से निधि प्राप्त करने में लिए त्रैमासिक लक्ष्य अभिनिर्धारित किए गए हैं। नियमित रूप से निधियों के प्राप्पन के साथ-साथ इसका सतत मानीटरण	

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		आधुनिकीकरण। अन्तर-विषयक कार्यकमों का विस्तार-उदययीमान नए पाठ्यकमों की शुरूआत				मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी तथा रूड़की) में विश्वस्तरीय उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।	बल्कि पिछले कई वर्षों का परिव्यय का समेकित प्रभाव होगा। विभिन्न विषयों में छात्रों की दाखिला क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। नए कार्यकर्मों/पाठ्यकर्मों की शुरूआत किए जाने की भी संभावना है। इसके अलावा अनुसंधान, प्रकाशित पेपरों, किताबों के प्रकाशन, सम्मेलनों के आयोजन, पेंटेंटस/ट्रेड मार्क/ डिजाइन गुणवत्ता सुधार कार्यकम और सतत् शिक्षा कार्यकर्मों के क्षेत्र में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि की संभावना है।	निश्चित रूप से इन संस्थाओं के निष्पादन कार्य क्षमता में निर्धारित समय के आधार पर सुधार लयेगा।	
49	भारतीय प्रबंध संस्थान	कोटिपरक प्रबंध शिक्षा प्रदान करना।	33.00(पूर्वोत्तर के लिए 10.00) (ओ एस सी सिफारिश हेतु 80.00 करोड़ रू0 की	41.00		1.कोटिपरक प्रबंध शिक्षा प्रदान करना जारी रखना, सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत सुविधायें एवं पुस्तकालय से संबंधित सुविधाओं का विस्तार करना। संकाय क्षमता में सुधार एवं गुणवत्तापूर्ण क्षमता का अनुरक्षण करना। 2. अवधि कार्यकम (पी जी पी-लोक प्रबंधन एवं नीति) 3. भारतीय प्रबंध संस्थान (शिलांग) हेतु संकायों की भर्ती सहित आधारभूत एवं अन्य सुविधाओं का सृजन।	यह प्रबंध शिक्षा प्रदान करना जारी रखना।		1.सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय से अनुमोदन। 2. सिविल/ कार्य/उपस्कर हेतु ठेका देना। 3. संकाय एवं सहायक स्टाफ की भर्ती।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
			राशि को छोड़कर)						
50	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	यह एक स्नातकोत्तर स्तरीय संस्था है, जो विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के अनेक विषयों में कोटिपरक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट है।	106.00 (ओ एस सी सिफारिश हेतु 90.00 करोड़ रू0 की राशि को छोड़कर)	87.15	-	विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में विशेषकर इनके मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना। आधारभूत सुविधाओं का स्तरोन्नयन। प्रयोगशालाओं एवं डिजीटल संसाधनों का आधुनिकीकरण। अन्तरविषयक कार्यक्रमों का विस्तार एवं उदयीमान पाठ्यक्रमों को शुरू करना।	विज्ञान प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से हो रहे परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए कार्य प्रदर्शन में सुधार एवं संभावनाओं की तलाश।		
51 (क)	भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	(।) तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उपयुक्त योजना और समन्वित विकास, योजनाबद्ध मात्रात्मक वृद्धि की ध्यान में रखते हुए शिक्षा को प्रोत्साहित करना, और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों का विनियमन और उपयुक्त रखरखाव (।।) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न कार्यक्रमों को वित्तपोषण करता है।				(।) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न विषयों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 6200 संस्थाओं की कार्यप्रणाली को नियमित करना जारी रखेगा। इन विषयों में छात्रों की दाखिला क्षमता लगाभग 9 लाख (डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं सहित) है। (।।) 1690 कार्यक्रमों सहित 377 संस्थाओं को पहले ही प्रत्यायित करने के अलावा, शैक्षिक वर्ष 2007-08 के दौरान 2000 कार्यक्रमों सहित 400 संस्थानों की प्रत्यायन प्रकिया पूरी की जायेगी। (।।।) तकनीकी शिक्षा के विभिन्न संस्थाओं एवं स्टेकहोल्डरों को 18945 लाख (योजनागत निधि) और 6460 लाख रूपए (योजनेतर निधि) उपलब्ध कराये जायेंगे।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विभिन्न कार्यकलापों के अनुमानित निष्कर्ष से देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्यायन के माध्यम से तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, संकाय सदस्यों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण प्रणाली, छात्रों के कौशल और ज्ञान में स्तरोन्नत वृद्धि और औद्योगिक विकास करेगे।	एक वर्ष	कार्यक्रम के अनुमोदन की प्रकिया और प्रत्यायन संस्था की पहल पर आधारित है यद्यपि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अनुमोदन/ प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए संस्थाओं को दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
52 (ख)	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों के स्तर पर कोटिपरक इंजीनियरी और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।	113.00(पूर्वोत्तर के लिए 90.60) (ओ एस सी सिफारिश हेतु 780.00 करोड़ रू0 की राशि को छोड़कर)	233.10	8085.00 (आय के अन्य स्रोतों में शुल्क एवं परामर्शी सेवायें हैं)	(i) 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से छात्रों को कोटिपरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करना जारी रखना। (ii) इंजीनियरी और संबंधित विषयों में 50,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। इस समय इन कार्यकलापों में लगभग 2500 शिक्षण संकाय एवं 4600 शिक्षनेत्तर कर्मचारी लगे हुए हैं। (iii) मेसों, छात्रावासों का निर्माण, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का स्तरोन्नयन, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर केन्द्रों आदि का आधुनिकीकरण।	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में निवेश करके प्रदान की जा रही तकनीकी शिक्षा में सुधार होगा क्योंकि इससे छात्रों अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपस्कर, पुस्तकालय में अद्यतन पुस्तकें और सुधरी छात्रावास सुविधाएं प्राप्त होंगी। अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित नई आरक्षण नीति के कार्यान्वयन उपरोक्त सुविधाओं में और अधिक विस्तार एवं सुधार किया जायेगा।	प्रकिया/समय सीमा को ध्यान में रखा जाता है और संस्थानों की नियमित राशि को अभिनिर्धारित किया गया है। नियमित राशि प्रदान करने और निरन्तर मानीटरिंग से निर्धारित समय में संस्थाओं के कार्यनिष्पादन में सुधार होगा। वर्ष 2007-08 से त्रैमासिक मानीटरिंग को और सुदृढ़ किया जायेगा और प्रत्येक त्रैमासिक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों के निर्देशकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी।	1.संस्थान में सक्षम तकनीकी संकाय की उपलब्धता। 2. छात्रावासों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्य को समय से पूरा करना।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
52	राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई	i) तकनीकी/गैर-तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत कार्यपालकों को प्रबन्धन के विभिन्न स्तरों में प्रशिक्षण देना। ii) उद्योग तथा व्यापार संगठनों की समस्याओं का वैज्ञानिक हल ढूंढने के लिए और उत्पादकता को बढाने के लिए उन्हें तकनीकी परामर्श देना। iii) राष्ट्र निर्माण के समग्र उद्देश्य से उद्योग/व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योग्य जनशक्ति का निर्माण करना।	6.00 (ओवरसाइट समिति की सिफारिशों के 16.00 करोड रूपए की राशि को छोड़कर)	17.85		1. उद्योग/व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योग्य जनशक्ति का विकास जारी रखना।	1. दी जा रही तकनीकी शिक्षा में सुधार आएगा।	संस्थान को दी जाने वाली निधियों को नियमित रूप से प्रदान करने के त्रैमासिक लक्ष्य अभिनिर्धारित किए गए।	उद्योगों से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर प्रोजेक्टड आउट कम निर्भर है।
53	राष्ट्रीय फाउंडरी एण्ड फॉर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची	i) तकनीकी/गैर-तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत कार्यपालकों को प्रबन्धन के विभिन्न स्तरों में प्रशिक्षण देना। ii) उद्योग तथा व्यापार संगठनों की समस्याओं का वैज्ञानिक हल ढूंढने	12.00	4.95		अध्यापन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए, फाउंडरी तथा फार्ज प्रौद्योगिकी तथा संबंध विषयों से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में शोध आयोजित करने के लिए तथा उद्योगों को प्रौद्योगिकीय निर्देशन एवं प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना जारी रखना।	1. एन आई एफ एफ टी, रांची में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करके दी जा रही तकनीकी शिक्षा में सुधार किया जाएगा। 2. ओवरसाइट समिति की सिफारिशों के	संस्थान को दी जाने वाली निधियों को नियमित रूप से प्रदान करने के त्रैमासिक लक्ष्य	अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं से परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		के लिए और उत्पादकता को बढाने के लिए उन्हें तकनीकी परामर्श देना। ।।।) राष्ट्र निर्माण के समग्र उद्देश्य से उद्योग/व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योग्य जनशक्ति का निर्माण करना।					अनुसार अन्य पिछडे वर्गों के आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों में वृद्धि की जाएगी।	अभिनिर्धारित किए गए।	
54	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	वास्तुकला तथा योजना में सुप्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति प्राप्त करना और हुंमन हेबिटेट तथा पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।	4.00 (ओवर साइट कमेटी की सिफारिशों के लिए 12.00 करोड रूपए को राशि को छोड़कर)	6.30		1. 708 छात्रों को वास्तुकला तथा योजना में सुप्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति प्राप्त करने के लिए तथा हुँमन हेबिटेट तथा पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखना। 2. बंसत कुंज, नई दिल्ली में नए स्कूल परिसर के विकास के लिए प्रयास लिए जा रहे हैं।	।) स्कूल संस्थान को दी जाने वाली निधियों को नियमित रूप से प्रदान करने के त्रैमासिक लक्ष्य अभिनिर्धारित किए गए।	।) स्कूल के कार्यक्रमों में विस्तार करके दी जा रही वास्तुकला शिक्षा में सुधार किया जाएगा। ।।) छात्रों के दाखिले में वृद्धि होगी।	वास्तुकला/इंजीयिरों की तुलना में सामाजिक विज्ञान के छात्रों को गेट (जीएटीई) छात्रवृत्ति न उपलब्ध होने के कारण सामाजिक विज्ञान छात्र स्कूल में प्रवेश नहीं लेते।
55	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (भोपाल, चण्डीगढ़, चैन्ने तथा कोलकाता)	पॉलिटेक्निक इंजीनियरी कालेजों के अध्यापकों को तकनीकी शिक्षा उद्योग में अध्ययन/उत्कृष्टता को बढ़ावा दने के लिए	12.00 (पूर्वोत्तर राज्य में 2. 40)(ओव	18. 55		तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों को पाठ्यचर्या सुधार करने तथा निर्देशात्मक संसाधन विकास के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखना। अनुसंधान एवं विकास और विस्तार सेवाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की	सभी कार्यकलाप जैसे प्रशिक्षण,२ अनुसंधान तथा पाठ्यचर्या सुधार तथा निर्देशात्मक संसाधन विकास वर्ष	त्रैमासिक 1-लक्ष्य का 25 प्रतिशत त्रैमासिक - 2 तथा 3	- तकनीकी संस्थाओं में फैकल्टी की कमी। - पॉलिटेक्निकों द्वारा पाठ्यचर्या लागू करने में विलंब।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		व्यवसायोन्मुख शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करना। ये संस्थान लघु अवधि प्रशिक्षण के साथ साथ स्नातकोत्तर कार्यकम भी प्रदान करते हैं।	र साइट समिति की सिफारिशों के 12. 00 करोड रुपए की राशि को छोड़कर)			योजनाओं के अन्तर्गत सीधे केन्द्रीय सहायता की मॉनिटरिंग से संबंधित हैं।	भर चलने वाली प्रकियाएँ हैं। एनआईटीटीआर की अभिकल्पना तकनीकी शिक्षकों के लिए विश्व स्तर पर अनुसंधान संस्थान का स्तर प्राप्त करने की है।	प्रत्येक लक्ष्य का 30 प्रतिशत त्रैमासिक -4 मंत्रालय तथा संबंधित संस्थाओं के मध्य समझौता-ज्ञा पन के अनुसार प्रक्षेपित लक्ष्यों का 15 प्रतिशत ओवर साइट समिति की सिफारिशों के आधार पर 2007-08 से सभी कार्यकमों के लिए सीटों में वृद्धि की संभावना है।	- एनआईटीटीआर के प्रशिक्षण कार्यकमों के लिए शिक्षकों को आगे बढाने के लिए राज्यों का अपर्याप्त सहयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सीधे केन्द्रीय सहायता योजनाएँ। -संसाधनों के समग्र उपयोग के लिए छात्रों के लिए उपकरण प्राप्ति, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण तथा अन्य सुख-सुविधाओं की प्राप्ति में विलंब। पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं तथा सहयोग की कमी।
56	पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना	विशेषतः डिजाइन तथा निर्माण के क्षेत्र में अति	25.00	-		i) छात्रों के शैक्षणिक/अनुसंधान कार्यकलाप (स्नातक तथा स्नातक स्नातकोत्तर)	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर की	-	-

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	प्रौद्योगिकी, डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग संसथान, जबलपुर	योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति की मॉग कोपूरा करना।				2) शिक्षण का अच्छा स्तर तथा वर्तमान प्रायोगिक कार्य और अनुसंधान 3) बुनियादी सुविधाओं को बनाए रखना। 4) परिसर विकास ।) क्षेत्र-। क) दो बाल छात्रावास 800 छात्र ख) लेक्चर हॉल-4 5) इलैक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर विज्ञान यांत्रिकी इंजीनियरी के लिए कार्यशाला तथा प्रयोशलाओं की स्थापना और अन्य कोर प्रयोगशालाएं	मॉगों को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त जनशक्ति की संरचना तथा विकास		
57	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण अनुसंधान तथा विकास प्रदान करना।	12.00 (ओवर साइट समिति की सिफारिशों के लिए 30.00 करोड रूपए की राशि को छोड़कर)	4.86		छात्र दाखिला और विभाग तथा केन्द्रों की स्थापना के स्तर पर संस्थानों का विस्तार।	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर की मॉगों को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त जनशक्ति की संरचना तथा विकास	-	-
58	ए.बी.बी. आई.आई. आई.टी.एम ग्वालियर	सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन विकास में एकीकरण के जरिए इन क्षेत्रों में शिक्षा, शोध,	6.00 (ओएससी सिफारिशों के लिए	5.20		छात्रों के दाखिले और विभागों तथा केन्द्रों की स्थापना के संदर्भ में संस्थानों का विस्तार	आईटी सैक्शन में विश्वजनीत चुनौतियों को पूरा करने में सूचना प्रौद्योगिकी के		

क्र.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		परामर्शी और व्यावसायिक विकास के लिए सुविधाएं सृजित करना।	12.00 करोड़ रूपए को छोड़कर)				क्षेत्र में पर्याप्त जनशक्ति विकसित एवं सृजित करना		
59	आईआईआईटी डीएम कांचीपुरम	विशेष रूप से अभिकल्प और निर्माण में उच्च दक्ष एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरतों की पूरा करना	2.00	-		• पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि • छात्रों की संख्या में वृद्धि • विभागों/केन्द्रों में वृद्धि • शैक्षिक सत्र 2007-08 से आरंभ अवस्थापना का सृजन	आईटी सैक्शन में विश्वजनीम चुनौतियों को पूरा करने में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पयाप्त जनशक्ति विकसित एवं सृजित करना		
60	चार क्षेत्रों मुम्बई, चेन्नई, कानपुर और कोलकाता स्थित बीओएटी/बीओ पीटी में स्नातकों, तकनीशियनों और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के संबंध में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का कार्यान्वयन	चार क्षेत्रों में व्यावसायिक विषय क्षेत्रों तथा इंजीनियरी विषय क्षेत्रों में इंजीनियरों और तकनीशियनों के रूप में सुप्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति प्राप्त करना।	22.50 (एनईआर)	16.15		1. मुम्बई 30000 2. कानपुर 20000 3. चेन्नई 47000 4.कोलकाता 14000 कुल योग 111000 1. चार क्षेत्रीय बी.ओ.एटी/बीओपीटी में स्नातक तकनीशियनों और50 तकनीशियन(व्यावसायिक) प्रशिक्षुओंका स्थापन चार क्षेत्रीय बीओएटी/बीओपीटी में स्नातक तकनीशियनों/ और प्रशिक्षु तकनीशियनों/ व्यावसायिक अनुमानित 107000 स्थानों पर	अनुमान है कि 107000 स्नातक तकनीशियनों और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। 2. वृत्तिका मार्गदर्शन कार्यक्रम, पर्यवेक्षण विकास कार्यक्रम तथा अन्य सहगामी/ कार्यकलाप।	एक वर्ष	प्रशिक्षुओं की तीन श्रेणियों के लिए वजीफा की वर्तमान दरों की वजह से यह स्पष्ट होता है कि आकांक्षी व्यक्ति प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने में अनिच्छुक हैं। यदि निकट भविष्य में इन दरों की नहीं बढ़ाया गया तो प्रक्षेपित उत्पाद उपयुक्त सीमा तक प्राप्य न हो पाएंगे।
61	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद	I) भूमि विज्ञान और अन्य इंजीनियरी शाखाओं	8.98 (ओवर	17.50		छात्रों के छात्रावास कक्षों, क्लासरूमों प्रयोगशालाओं का निर्माण उपकरणों पुस्तकालय	छात्रों के छात्रावास, छात्राओं के छात्रावास		

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
		के क्षेत्र में उच्च कोटिपरक शिक्षा प्रदान करना। ।।) आधारभूत सुविधाओं को स्तरोन्नत करना। ।।।) नई उभरते पाठ्यक्रमों को शुरू करना।	साइट समिति की सिफारिश के 58.00 करोड रूपए की राशि को छोड़कर)			पुस्तकों की संख्या आदि उपकरण और प्रयोगशाला विकास कम्प्यूटर्स/पेरिफेरेल्स/ इन्टरनेट उपस्कर छात्र सुविधाएं/फर्नीचर एवं फिक्सचर पुस्तकें और पत्रिकाएं	का निर्माण कार्य, शैक्षिक भवनों का विस्तार आदि शिक्षण तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण (क) कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण (ख) छात्रों के छात्रावास तथा शिक्षक कालोनी/क्वार्टरों हेतु इन्टर नेट सुविधा का विस्तार छात्रों के छात्रावासों और छात्र कल्याण विभाग/अनुभाग की साज सज्जा (क) इन्डेट की गयी पुस्तकों का कय (ख) अनुमोदित सूचियों के अनुरूप पत्रिकाओं का कय		

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
62	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	1. बुनियादी विज्ञानों में कोटिपरक शिक्षा और अनुसंधान का सृजन करना 2. उच्च गुणवत्ता वाले अकादमिक संकाय को आकर्षित करना और उन्हें प्रोत्साहन देना 3. युवा आयु में ही अनुसंधान में प्रवेश देने के लिए +2 पाठ्यचर्या के बाद विज्ञान में स्नातकोत्तर समेकित कार्यक्रम तैयार करना। इसके अतिरिक्त ये संस्थान विज्ञान में स्नातक डिग्री धारकों हेतु समेकित स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम चलाएंगे। 4. विज्ञान में सीमारहित लचीली पाठ्यचर्या को संभव बनाना 5. वर्तमान विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के बीच सशक्त संबंध बनवाना और प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के बीच नेटवर्क बनाना। उच्च अनुसंधान प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय सुविधाओं की स्थापना।	125.00	-		- कोलकाता और पुणे में स्थित 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के अतिरिक्त 3 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की जाएगी। - इन 3 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में 2007-08 से शैक्षिक सत्र शुरू किया जाएगा। अवसंरचना का निर्माण	- कोर विज्ञान में अनुसंधान में वृद्धि होगी जोकि 4 वर्ष के बाद अपेक्षित है। - इस दौरान छात्रों/अनुसंधानकर्ताओं में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास होगा।	-	1. समय पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन। 2. सिविल/कार्य/ उपस्कर हेतु संविदा प्रदान करना। 3. संकाय और सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
63	वर्तमान पालिटेक्निकों का संवर्धन/नए पालिटेक्निकों की स्थापना	देश के जिन जिलों में इस समय कोई पालिटेक्निक नहीं है, ऐसे 65 विशेष अभिनिर्धारित जिलों में पालिटेक्निक स्तर की 65 संस्थाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 177 विशेष अभिनिर्धारित जिलों में कम से कम 1 पालिटेक्निक में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के स्तरोन्नयन का भी प्रस्ताव है।	50.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5.00)	-		परियोजना का कार्यान्वयन होने से 1 लाख से भी अधिक छात्रों को तकनीकी कौशल और रोजगार अनुभव का लाभ मिलेगा।	प्रस्तावित संस्थाएं विशिष्ट क्षेत्र चयन पर आधारित हैं अतः ये देश में तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ अजा/अजजा/ अल्पसंख्यकों को भी लाभ पहुंचाएंगी।		1. समय पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन।
64	नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देंगे और विज्ञान, प्रौद्योगिकी अथवा अर्थव्यवस्था जैसे जीवन-विज्ञान, डिजाइन, निर्माण अथवा वित्तीय सेवाओं में से किसी एक विशेष सेक्टर पर ध्यान देंगे।	1.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 0.10)	-		नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना 1. शैक्षिक सत्र की शुरूआत 2. अवसंरचना का निर्माण	सूचना प्रौद्यासेगिकी के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पर्याप्त जनशक्ति का निर्माण और विकास करना।		1. समय पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन। 2. सिविल/कार्य/ उपस्कर हेतु संविदा प्रदान करना। 3. संकाय और सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यकम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रकिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
65	3 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	इंजीनियरी, विज्ञान एवं मानविकी के साथ-साथ सामाजिक विज्ञानों में बौद्धिक रूप से जीवन्त अनुसंधान वातावरण में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु विश्व स्तरीय संस्थाओं का निर्माण	80.00	-		पहले बैच में 200 अवर स्नातक छात्र होंगे और अगले 6 वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 2000 कर दिया जाएगा।	सूचना प्रौद्यासेगिकी के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पर्याप्त जनशक्ति का निर्माण और विकास करना।		1. समय पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन। 2. सिविल/कार्य/ उपस्कर हेतु संविदा प्रदान करना। 3. संकाय और सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति।
66	संत लौंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोदाल, पंजाब	इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री एवं स्नातकोत्तर कार्यकमों जैसे विभिन्न स्तरों पर कुशल जनशक्ति का निर्माण करना	4.00 (ओवरसाइट समिति की सिफारिशों हेतु 22.00 करोड़ रू0 की राशि को छोड़कर)	10.50		अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यकमों में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। प्रमाण पत्र - 12 डिप्लोमा - 10 डिग्री - 9 स्नातकोत्तर - 4 सभी पाठ्यकम उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार लचीले माध्यम और पाठ्यचर्या के आधार पर चलाए जाते हैं। इस संस्थान में दाखिला लेने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर	दीर्घकालिक प्रमाण पत्र (360 छात्रों के दाखिले सहित 12 पाठ्यकम) डिप्लोमा स्तर पर 300 छात्रों के दाखिले से 10 पाठ्यकम डिग्री स्तर पर 350 छात्रों के दाखिले सहित 9 पाठ्यकम	2 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष (सभी	संकाय और कर्मचारियों की कमी स्नातकोत्तर पाठ्यकम हेतु और अधिक अवसंरचना की आवश्यकता है। प्रायोजक एजेंसियों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उद्योग-संस्थान संवाद कार्यकलापों में भाग लेने के लिए इच्छुक उद्योग बहुत कम हैं।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
						तक पढ़ाई जारी रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है।	86 छात्रों के दाखिले सहित 4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।	पाठ्यक्रम पूरे वर्ष चलाए जाते हैं) ओवर साइट समिति की सिफारिशों के आधार पर 2007-08 से सभी कार्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी	
67	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, संस्थाओं की क्षमताओं में सुधार करने जिससे वे उत्कृष्ट, मांग से प्रेरित, गुणवत्ता संवेदी, प्रभावी और दूरदर्शी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास का सामना कर सकें, से संबंधित भारत सरकार के सतत प्रयासों की सहायता और बढ़ावा देना है।	80.00	-	-	1. संस्था विकास क. शैक्षिक उत्कृष्टता का संवर्धन ख. संस्थाओं का नेटवर्क बनाना ग. समुदाय और अर्थव्यवस्था को सेवाएं 2. प्रणाली प्रबंधन क्षेता सुधार कार्यक्रम के पहले चरण में 128 अच्छी इंजीनियरी संस्थाओं को उत्कृष्ट केन्द्रों, अग्रणी संस्थाओं और नेटवर्क संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया है। प्रत्येक अग्रणी संस्था का कम से कम 2 इंजीनियरी संस्थाओं से नेटवर्क स्थापित है।	यह कार्यक्रम उत्कृष्ट कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करके प्रत्येक वर्ष 16,500 स्नातक छात्रों को लाभ देगा औरसाथ ही 1000 शिलकों के पेशेवर विकास में वृद्धि करेगा। यह कार्यक्रम जून, 2008 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण के कार्यान्वयन के संतोषजनक कार्यनिष्पादन को देखते हुए इस कार्यक्रम के तहत दूसरा चरण शुरू करने के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत की जा रही है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरे चरण हेतु समर्थन मिलने की आशा है और इसके लिए संपर्ण अवधारणात्मक नोट तैयार किया जाएगा।	प्रक्रिया/समयबद्धता का ध्यान रखा जाता है और संस्थानों हेतु निधियों के नियमित प्रवाह के लिए त्रैमासिक आधार पर लक्ष्यों का अभिनिर्धारण किया गया है।	
68	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी	विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के	5.50 (पूर्वोत्तर	11.55		सभी पाठ्यक्रम लचीली माडयूलर प्रणाली पर आधारित हैं। छात्रों को क्रडिट आधारित बहुअंकीय	दीर्घकालिक प्रमाणपत्र (6 पाठ्यक्रम)	2 वर्ष 2 वर्ष	नई सुविधाओं को लगाना और उनका अनुरक्षण।

क.सं.	सेक्टर/स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/आउटकम	परिव्यय 2007-08 (करोड रू0 में)		अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	वांछित परिणाम/वास्तविक परिणाम	प्राक्कलित आउटकम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम
			योजनागत	योजनेतर					
1	2	3	4			5	6	7	8
	संस्थान, ईटानगर	लिए इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों जैसे विभिन्न स्तरों पर कुशल जनशक्ति का निर्माण करना	क्षेत्र के लिए 5. 49)			प्रवेश का विकल्प दिया जाता है। छात्रों को अवर मॉडयूल से उच्चतर माडयूल में जाने की अनुमति दी जाती है। 90 प्रतिशत सीटें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आरक्षित हैं। छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाता है।	डिप्लोमा स्तरीय 6 पाठ्यक्रम डिग्री स्तरीय 7 पाठ्यक्रम कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	3 वर्ष 2 वर्ष (सभी पाठ्यक्रम पूरे वर्ष चलाए जाते हैं)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की धीमी गति

अध्याय-III

प्रमुख सुधार उपाय और नीतिगत पहलें

1. निरीक्षण समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

संविधान के 93वें संशोधन के फलस्वरूप अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। इस अनुच्छेद द्वारा राज्य कानूनी तौर पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा समाज के अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो की उन्नति के लिए ऐसे प्रावधान करें जो शैक्षणिक संस्थाओं, जिनमें सहायता प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट संस्थाएं शामिल है परंतु संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत स्थापित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं शामिल नहीं हैं, में उनकी भर्ती से संबंधित हों। केन्द्र सरकार ने अपने द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में अनुच्छेद 15(5) के प्रावधान के कार्यान्वयन का निर्णय लिया, अतः केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (भर्ती में आरक्षण) अधिनियम, 2006 लागू हुआ। यह अधिनियम अकादमिक सत्र 2007 से आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है। आरक्षण पर नीति के कार्यान्वय से अनारक्षित सीटों पर भर्ती होने वाले सभी वर्गो के नागरिकों को कोई हानि नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान है कि अनारक्षित सीटों की वर्तमान संख्या कम नहीं की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग (27%) को आरक्षण प्रदान करने के लिए और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की वर्तमान संख्या में आनुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता और उसके मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम तीन वर्षो की अवधि में संस्थाओं द्वारा नीति के कार्यान्वयन को चरणबद्ध करने का प्रावधान भी करता है।

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु एक रोड मैप बनाने के लिए विशेषज्ञों के पांच अलग-अलग समूहों-तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, मेडीकल शिक्षा, प्रबंध शिक्षा और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों प्रत्येक के साथ एक निरीक्षण समिति गठित की गई। समिति ने इन संस्थानों में 54% तक सीटों के प्रस्तावित विस्तारण के लिए 5 वर्षो की अवधि में व्यय करने हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 3297.71 करोड़ रूपए, केन्द्र द्वारा वित्तपोषित इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए 6745.52 करोड़ रूपए और प्रबंध शिक्षा के लिए 284.97 करोड़ रूपए की राशि के परिव्यय की सिफारिश की है। पूर्व शर्तो के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वार्षिक भर्ती में वर्तमान के 92011 से 49689 की वृद्धि और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 16440 से 29671 की वृद्धि होगी। इसी तरह प्रबंध शिक्षा में यह भर्ती 966 से बढ़कर 1791 हो जाएगी।

इस अवधि के दौरान संकायों की संख्या में लगभग 9000 की वृद्धि होगी। अवसंरचनात्मक और अकादमिक सुविधाओं के सृजन में हुए समय विलंब को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं ने तीन वर्षों की अवधि में अंतरीकरणीय तरीके से अतिरिक्त भर्ती केंद्र प्रावधान की योजना बनाई है।

वार्षिक योजनागत आवंटन (2007-08) के अनुसार, निरीक्षण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित राशियां आवंटित की गई है:-

1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		576 करोड़ रूपए
2:	तकनीकी शिक्षा		2042 करोड़ रूपए
	80 करोड़ रूपए (आई आई एम)		
3.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी		502 करोड़ रूपए
		कुल	3200 करोड़ रूपए

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आवंटित 576 करोड़ रूपए का देश के 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा। इसी तरह, 2122 करोड़ रूपए के आवंटन को 7 आई आई टी, 6 आई आई एम, 20 एन आई टी, 4 एन आई टी टी टी आर, 3 आई आई आई टी और अन्य तकनीकी संस्थाओं में क्षमता निर्माण अन्य व्ययों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। संस्थानों ने एक समयावधि में आवश्यक सीटों को बढ़ाने के लिए निरीक्षण समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन को चरणबद्ध तरीके से करने का प्रस्ताव रखा है।

वर्ष 2007-08 में मुक्त और दूरस्थ अध्ययन प्रणाली को सशक्त करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया जाएगा। अध्ययन प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभों के लिए ''सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन'' के नाम से एक नई योजना आरंभ की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य साइबरस्पेस में 'नॉलेज वर्ल्ड' के लिए अध्ययनकर्ताओं में संबंध स्थापित करने और उनके सव-अध्ययन कौशलों और ऑन-लाइन मुश्किलों को हल करने की उनकी क्षमताओं के विकास को बढ़ाने हेतु उन्हें 'नेटीजन' बनाना है। अध्ययनकर्ताओं की वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए सही मात्रा में नॉलेज माड्यूल की स्थापना के लिए भी मिशन कार्य करेगा। यह अध्ययनकर्ताओं द्वारा औपचारिक अथवा अनौपचारिक तरीकों से प्राप्त सक्षमताओं के

सर्टिफिकेशन के साथ मानव संसाधनों के प्रोफाइल वाले डाटा बेस का विकास और रख-रखाव का भी लक्ष्य रखता है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थित अध्ययन हेतु मिशन अपना ध्यान कम लागत और कम ऊर्जा की खपत वाले एसेस डिवाइस के विकास हेतु तकनीकी भेदन प्राप्त करने, प्रत्येक भारतीय को शैक्षिक उद्देश्य से मुफ्त बैण्डविड्थ उपलब्ध कराने और देश में उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के साथ और उनके मध्य ज्ञान नेटवर्क बनाने, में भी लगाएगा।

2. 'साक्षात'-एक एजूकेशनल पोर्टल का आरंभ

साक्षात छात्रों, शिक्षाविदों, शिक्षकों और जीवन पर्यन्त अध्ययन कर्ताओं की सभी शैक्षणिक और अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए वन स्टाप एजूकेशन पोर्टल का विकास करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ऐतिहासिक पहल है। पोर्टल व्यावसायिक शिक्षा और जीवन कौशलों के लिए अध्ययन सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों को K से 20 तक कवर करने वाली आध्ययनकर्ताओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं का एक जगह हल प्रदान करने की परिकल्पना करता है।

यह पोर्टल 50 करोड़ से अधिक भारतीयों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति और अध्ययनकर्ता समुदाय की सभी आवश्यकताओं के लिए एक जगह हल प्रदान करने की महत्वाकांक्षी दृष्टि रखता है। इस प्रयास के तीन दिशा-निर्देशित तत्व ज्ञान है - (क) देश की किसी भी प्रतिभा को बरबाद नहीं होने दिया जाएगा और (ख) पोर्टल की सभी सेवाएं मुफ्त होंगी और (ग) वेब पर उपलब्ध मुफ्त सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वही काम दोबारा न होते रहें।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहां कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के वृहद असमानता है वहां पोर्टल सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर ध्यान दिए बिना अध्ययनकर्ताओं को समय पर गुणवत्ता परक शैक्षणिक संसाधन और पूरे हफ्ते शिक्षक प्रदान कर इन अतंरालों को पाटने में मदद करेगा। यह एक ऐसा प्रयास है कि जिसके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शैक्षणिक संगठनों/एंजेसियों नामतः यू जी सी, ए.आई.सी.टी.ई, इग्नू, एन सी ई आर टी, के वी एस, एन वी एस, सी बी एस ई, आई आई टी, आई आई एस सी आदि द्वारा विश्व स्तरीय विषय के विकास के लिए किए गए प्रयासों को सहायता प्रदान करेगा। पोर्टल

के विकास में विभिन्न विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उच्चतर शिक्षा के संस्थाओं के वरिष्ठ संकाय सदस्य योगदान कर रहे हैं।

3. 150 वर्ष पूरे करने वाले 3 विश्वविद्यालयों की विशेष अनुदान

मंत्रालय ने देश के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों नामतः बंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय को उनके 150 वर्ष के समारोह के लिए 150 करोड़ रूपए का विशेष अनुदान आवंटित किया है। सरकार द्वारा प्रदत्त निधि को नानो विज्ञान और नानो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए उपयोग किया जाएगा।

4. तकनीकी शिक्षा

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने हेतु मंत्रालय ने संस्थान को 100 करोड़ रूपए का विशेष अनुदान जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंजीनियरिंग और प्रबंध शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय ने गर्वमेंट इंजीनियरिंग कालेज, अगरातला (त्रिपुरा) को नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की है जिससे एन.आई.टी. की कुल संख्या 20 हो गई है और वर्ष 2006-07 के दौरान शिलांग, मेघालय में एक नया आई आई एम स्थापित किया जाएगा।

5. मुक्त और दूरस्थ अध्ययन

वर्ष 2007-2008 में मुक्त और दूरस्थ अध्ययन प्रणाली को सशक्त करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया है। इग्नू, जो ओ डी एल प्रणाली के संबंध में अभी भारत सरकार की नोडल एजेन्सी है, की ओ डी एल प्रणाली में अध्ययनकर्ताओं को द्विपक्षीय अंतः किया के लिए एडूसैट की सुविधा के उपयोग की योजना है। यह प्रणाली देश में अध्यापन और अध्ययन के मध्य साम्य और असाम्य संपर्क की संभावना प्रस्तुत करती है।

एडूसैट के उपयोग को लामबंद करने की पहुंच कुल 30 शैक्षणिक संस्थाओं, 500 सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल और 5000 रिसीव ओनली टर्मिनल की स्थापना के माध्यम से की जाएगी। वर्ष 2007-08 में कुल 6 शैक्षणिक संस्थाओं, 125 एस आई टी और 1250 आर ओ टी की स्थापना की जाएगी।

6. शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सुधार, पहचान/प्रत्यापित एजेन्सियां

(क) शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए एजेन्सियों की पहचान/प्रत्यायन में सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य बिन्दुओं की पहचान की गई है:

(i) अभ्यावेदनों की आन-लाइन प्राप्ति

(ii) प्राप्त अभ्यावेदनों का आन-लाइन प्रक्रमण

(iii) शिकायतों को देखने के लिए उचित अपीली प्राधिकरण

(iv) निर्णयों को ऑन-लाइन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए

(v) अभ्यावेदनों की प्राप्ति से उनके निपटान के लिए समय-सीमा तैयार करना

(vi) निरीक्षण समितियों/चयन समितियों के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों के पैनल और टीमों में विशेषज्ञों के नामों की यादृच्छिक उत्पति के लिए प्रणाली विकसित करने की तैयारी

(vii) सीबीएसई द्वारा अंक तालिका/सर्टिफिकेट को ऑन-लाइन जारी करने के लिए प्रणाली का विकास

(viii) अनुदानों के लिए विश्वविद्यालयों से प्राप्त अनुरोधों का आन-लाइन कार्रवाई

(ix) पूर्णकालिक और योग्य संकाय की नियुक्ति जैसी शर्तों से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों के अनुदानों को लिंक करना।

(ख) अभ्यावेदनों को आन-लाइन प्राप्ति के लिए एआईसीटीई, एनबीए, एनएएसी और यूजीसी द्वारा आन-लाइन आवेदन पत्रों का विकास कर उन्हें वेबसाइट पर डाल दिया गया है, शिकायतों से निपटने के लिए एक अपीली प्राधिकरण कार्यरत है, अभ्यावेदनों के प्रमाण के लिए राष्ट्रीय कैलेण्डर अधिसूचित कर दिया गया है और संबद्ध एजेंसियों द्वारा वेबसाइट पर निर्णयों को अधिसूचित किया गया है।

(ग) ए आई सी टी ई, एन बी ए, एन ए ए सी और एन बी टी जैसी संस्थाओं ने अपने कार्यों को किस हद तक विकेन्द्रीकृत किया है और अनुमोदन की प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाया है। डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम/संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत किया गया है जिसमें अधिकतर उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों पर डाल दिया गया है और ए आई सी टी ई और एन बी ए द्वारा दिए जाने वाले अनुमोदन की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत और आसान

बना दिया गया है। ''संस्थाओं के लिए अनिवार्य प्रकटन'' द्वारा पारदर्शिता से छात्रों और अन्य पदधारियों को निर्णय लेने में मदद मिल रही है। जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध अनुमोदन प्रणाली को अधिसूचित कर दिया गया है।

7. (i) विकेन्द्रीकरण, (ii) सरलीकरण, (iii) पारदर्शिता, (iv) जावबदेही, और (v) ई-गर्वनेंस के संबंध में संस्थागत सुधार

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ। यह अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक नागरिकों की पहुंच के लिए सूचना के अधिकार को व्यावहारिक रूप में स्थापित करता है। यह सर्व साधारण को इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में विभिन्न संचार माध्यमों से भी सूचना प्रदान करता है।

(ख) मंत्रालय का राष्ट्रीय छात्रवृति प्रभाग शैक्षणिक सर्टिफिकेट के प्रमाणीकरण के काम में सुधार करने और राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयास कर रहा है। विकेन्द्रीकरण की कार्यनीति के रूप में प्रमाणीकरण का काम पहले ही 15 राज्यों को दिया जा चुका है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसी प्रकार का कार्य सौपने के लिए मंत्रालय विदेश मंत्रालय से विचार विमर्श कर रहा है। इसी प्रकार प्रमाणीकरण के दिशा-निर्देशों को संशोधित और सरल बनाया जा रहा है।

पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक संवाद वाले शैक्षणिक सर्टिफिकेटों के प्रमाणीकरण के कार्य के संबंध में संबद्ध सूचना/दिशा- निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिए गए है। सार्वजनिक स्थलों पर क्लोज सर्किट टी. वी. भी लगा दिए गए है। प्राप्त अभ्यावेदनों और प्रमाणीकरण कार्य का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। ई-पेमेंट मॉड के माध्यम से सीधे ही लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि वितरित करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है।

8. उपयोगिता प्रमाण पत्रों का ऑन-लाइन मानीटरन

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के विलंब के ऑन-लाइन मानीटरन की सुविधा हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विलंब इंटरनेट पर डाल दिया गया है। इसे कुछ हद तक उपयोगिता प्रमाण पत्रों के विलंब को और अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा

उनके तदनुसार उपयोग को देखने के लिए प्रशासनिक विभाग, समेकित वित्त प्रभाग और मुख्य लेखा नियंत्रक को भी सुविधा प्रदान की है।

9 व्यय स्थिति का ऑन-लाइन मानीटरन

अभी प्रत्येक माह के अंत तक व्यय की स्थिति को ऑन-लाइन किया जाता है और वेबसाइट को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। निधियों के सर्टिफिकेशन की प्रणाली को तथा निधियों के सर्टिफिकेशन और अनुदान प्राप्त कर्ता को उनके भुगतान को सरल और कारगर बनाने के प्रयास किए जा रहे है। वर्ष 2007-08 के दौरान इसके पूरा होने की आशा है।

अध्याय–IV

पिछले कार्यनिष्पादनों की समीक्षा

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)	(i) वर्ष 2002 से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन में वृद्धि। दसवीं योजना के आरम्भ में उच्चतर शिक्षा में नामांकन 8.8 मिलियन था। दसवीं योजना के अन्त तक इसे बढ़ाकर 12.5 मिलियन करने का प्रस्ताव किया गया था। परम्परागत और मुक्त शिक्षा को ध्यानपूर्वक समेकित करके वर्ष 2005 तक हमने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। वर्ष 2005 के अन्त तक इस आंकड़े को 13.2 मिलियन और दसवीं योजना के अन्त तक 12.5 मिलियन के लक्ष्य की तुलना में 14 मिलियन करने का प्रस्ताव किया गया है। (ii) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यायित विश्वविद्यालयों की संख्या (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने अभी तक 122 विश्वविद्यालयों और 2500 कॉलेजों को प्रत्यायित किया है। इनके अतिरिक्त वर्ष 2005–06 में 20 विश्वविद्यालयों और 1000 कॉलेजों को प्रत्यायित करने का प्रस्ताव किया गया है।) (iii) उपर्युक्त में से उन संस्थानों की संख्या जिन्होंने अपनी ग्रेड प्रणाली में सुधार कर लिया है। (मौजूदा संस्थाओं की ग्रेड प्रणाली में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद संस्थाओं को आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चय कक्ष स्थापित करने में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए	दसवीं योजना अवधि के अन्त में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए नामांकन लक्ष्य 12.5 मिलियन में योजना अवधि के अंतिम वर्ष में 1.3 मिलियन की वृद्धि की गई है। ii) इस वर्ष अक्तूबर में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने देश की 3,000 से भी अधिक प्रत्यायित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की सूची जारी की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद भारत की उच्चतर अध्ययन संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थानिक स्वायत्त निकाय हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित सात मानदण्ड अभिनिर्धारित किए हैं:– • पाठ्यचर्या पहलू • शिक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन • अनुसंधान, परामर्श और विस्तार • बुनियादी सुविधाएं और अध्ययन संसाधन • विद्यार्थी सहायता और प्रगति • संगठन और प्रबंधन • बेहतर पद्धति राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने संस्थाओं को दो विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है: विश्वविद्यालय और कालेज/ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने विश्वविद्यालय को केन्द्रीय अभिशासन संरचना

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
		कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित करती है। वर्ष 2005-06 में 600-700 आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चय कक्ष स्थापित करने और 100 कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है।)	के साथ-साथ अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर विभागों वाले विश्वविद्यालयों के रूप में परिभाषित किया है। प्रत्यायित कालेजों में अपने सभी विभागों और अध्ययनों सहित कोई सम्बद्ध, संघटक अथवा स्वायत्त कालेज शामिल हैं। मूल्यांकन मानदण्ड और प्रकिया विधि के बारे में व्यापक ब्यौरा एन.ए.ए.सी. की वेबसाइट. www.naac-india.com पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा तैयार की गई प्रत्यायित संस्थाओं की सूची में भारत के 129 विश्वविद्यालय और 2954 कॉलेज शामिल हैं जिनकी राज्य जांच कर सकता है।
		केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सहायता (18)	18 विश्वविद्यालय
		राज्य विश्वविद्यालय को सहायता (119)	122 विश्वविद्यालय
		उच्चतर शिक्षा का 150वां वर्ष मनाने वाले विश्वविद्यालयों को सहायता(3)	3 विश्वविद्यालय
		सम विश्वविद्यालय को सहायता (25)	25 विश्वविद्यालय
		कॉलेजों को सहायता(4811)	3835 कॉलेज
		कॉलेज को सहायता (58)	59 कॉलेज
		स्वायत्त कॉलेजों को सहायता (234)	178 कॉलेज
		उच्चतर शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाना (300 संस्थान)	278 विश्वविद्यालय
		शैक्षिक स्टाफ कॉलेज को सहायता (51)	45 विश्वविद्यालय

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
		उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों को सहायता(21)	1 विश्वविद्यालय
		उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेजों को सहायता(97)	47 कॉलेज
		विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में बड़ी/छोटी शोध परियोजनाएं (3004)	1046 परियोजनाएं
		विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान में बड़ी/छोटी शोध परियोजनाएं (11000)	8556 परियोजनाएं
		विशेष सहायता कार्यक्रम सीएएस-74 डीएसए-145 डीआरएस-258	500 विभाग
		क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम (40 केन्द्र)	
		महिलाओं हेतु छात्रावास (232 संस्थान)	
		महिला अध्ययन केन्द्र (34) विश्वविद्यालयों का नेटवर्क (150)	658 विश्वविद्यालय तथा कॉलेज
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु उपचारी कोचिंग(110 केन्द्र)	150 विश्वविद्यालय
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष प्रकोष्ठ(25)	50 केन्द्र
		लाभवंचित अल्पसंख्यक समूहों हेतु उपचारी कोचिंग(78)	25 विश्वविद्यालय
		विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (19 विश्वविद्यालय तथा कॉलेज)	19 विश्वविद्यालय
		पिछड़े क्षेत्र स्थित जिलों में अवस्थित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को सहायता(31 विश्वविद्यालय, 404 कॉलेज)	114 कॉलेज+31 विश्वविद्यालय

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
		नए विश्वविद्यालयों हेतु विशेष सहायता अनुदान(20)	23 कॉलेज+200 विश्वविद्यालय
		अनुसंधान संबंधी अवसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण (40 संस्थान)	40 विश्वविद्यालय
		अर्न्तविश्वविद्यालय केन्द्र (7)	7 विश्वविद्यालय
		राजीव गांधी पीठ की स्थापना(10)	128 विश्वविद्यालय
2.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वालों को दाखिला देना। वर्ष 2005-06 तक नामांकन के लिए समग्र लक्ष्य 15.60 लाख है।	देश में उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन का लगभग 24 प्रतिशत नामांकन देश में उच्चतर शिक्षा के विद्यार्थियों में से लगभग 10 प्रतिशत विद्यार्थी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश के 1.43 मिलियन विद्यार्थियों तथा 32 देशों के विद्यार्थियों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करता है। जनवरी,2006 में इस विश्वविद्यालय ने 429542 विद्यार्थी और समग्र रूप से कुल 1433490 विद्यार्थी नामांकित किए।
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	(i) 45,000 विद्यार्थियों को गुणवत्तामूलक तकनीकी शिक्षा प्रदान करना (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम 1961 के पैटर्न पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।	(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात अगरतला में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या 19 से बढ़कर 20 हो गई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पद्धति में कुल 39000 विद्यार्थी नामांकित किए गए हैं जिनमें तकनीकी शिक्षा की विभिन्न विधाओं में अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और पी.एच.डी. स्कॉलर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का परिसर स्थानन 70 प्रतिशत से बएकर 95 प्रतिशत हो गया है। (iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
			विधेयक पहले ही संस्था को भेज दिया गया है और यह आशा की जाती हैं कि संसद के बजट सत्र 2007 के दौरान इसे पारित करदिया जाएगा। इस विधेयक से सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा प्रिाप्त होगा और इन्हें संवैधानिक स्वायत्ता प्राप्त होगी।
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने गए विद्यार्थियों को 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (दिल्ली, मुम्बई,मद्रास,कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी और रूड़की स्थित) में स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी. स्तर पर विश्व स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा जिसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार, प्रयोगशालाओं तथा डिजीटल संसाधनों का आधुनिकीकरण अन्तर-विषयक कार्यक्रमों का विस्तार/उभरती प्रौद्योगिकियों में नए पाठ्यक्रम शुरू करना शामिल है।	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश की तकनीकी-आर्थिक क्षमता बढ़ाने और प्रौद्योगिकीय आत्म-निर्भरता बढ़ाने में कारगर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अपने अकादमिक कार्यकलापों और अनुसंधान कार्यक्रमों के द्वारा अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाया है। सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों के विभिन्न निधयन अभिकरणों के लिए प्रायोजित अनुसंधान और सतत शिक्षा कार्यक्रम भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए आदर्श बन गए हैं। ये संस्थान विश्व स्तरीय हो गए हैं तथा देश में तकनीकी मानवशक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों की कुल संख्या 2006-07 में बढ़कर 32000 हो गई है।
5.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (आई आई एस सी, बंगलौर)	ज्ञान की सभी शाखाओं में उच्चतर शिक्षा प्रदान करना तथा मौलिक जांच कार्य करना जिसकी भारत में धातुकर्मीय तथा औद्योगिकी कल्याण के संवर्धन की संभावना हैं और विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञानों, विशेषतः अग्रिम पंक्ति के विषयों में शोधकार्य करना।	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षण तथा शोध में लगा हुआ है। एम.ई., एम टेक, एम डेस., एम.बी.ए., एम एस सी (इंजी) तथा पी एच डी जैसे पारम्परिक कार्यक्रमों के अलावा, यह संस्थान विज्ञान संकाय में समेकित पी एच डी कार्यक्रम (जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायनिक तथा गणित विज्ञानों में) चलाता है। अन्य

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
			नवाचारी कार्यक्रमों में शामिल हैः- विज्ञान में युवा फेलोशिप कार्यक्रम तथा युवा इंजीनियरी फेलोशिप कार्यक्रम, सतत शिक्षा तथा दक्षता कार्यक्रम। भारतीय विज्ञान संस्थान के संकाय तथा शोधकर्त्ता विद्यार्थियों के संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में रिकार्ड संख्या में शोध लेख प्रकाशित हुए हैं जो किसी अन्य संस्थानों की तुलना में कहीं अधिक हैं। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान 100 करोड़ रू. का अतिरिक्त विशेष अनुदान जारी किया गया है ताकि विज्ञान एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में यह संस्थान विश्व में एक प्रमुख शोध केन्द्र के रूप में उभर सके।
6.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा उत्पादन संस्थान	सूचना प्रौद्योगिकी (डिजाइन तथा उत्पादन सहित) में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु दो मौजूदा आई आई आई टी का संचालन और एक नया आई आई टी डी एम स्थापित करना।	(i) इलाहाबाद तथा ग्वालियर में दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पहले से ही चलाए जा रहे हैं; जो 1361 विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आई आई आई टी, इलाहाबाद में संचालित पाठ्यक्रम हैः- बी. टेक, एम.टेक., एम बी ए (आई टी) तथा एम पी सी एल आई एस। (ii) आई आई आई टी, इलाहाबाद का एक विस्तार कैम्पस अमेठी में खोला गया है। जुलाई,2005 में 68 विद्यार्थियों को लेकर शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। (iii) आई आई आई टी एम, ग्वालियर में- (क) नया एम बी ए कार्यक्रम (एम बी ए, अनौपचारिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन तथा ई-अभिशासन, अवसंरचनात्मक प्रबंधन, आई टी सक्षम सेवा प्रबंधन); (ख) एम.टेक (सूचना प्रौद्योगिकी, उच्च नेटवर्किंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वी एल एस ई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी); (ग) 5 वर्षीय समेकित स्नातकोत्तर कार्यक्रम (घ) पी.एच.डी. कार्यक्रम (iv) आई आई आई टी एम,

क्र0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
			जबलपुर की स्थापना 2005 में की गई है और 8.8.2005 को 75 विद्यार्थियों को लेकर यहां शैक्षिक पाठ्यक्रम कम्प्यूटर विज्ञान तथा विद्युत इंजीनियरी में प्रारंभ किया गया। (v) कांचीपुरम में प्रस्तावित एक अन्य आई आई आई टी डी एम को भूमि की अनुलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं किया गया है। सभी आईआईआई टी ने वर्ष 2006-07 के दौरान विद्यार्थियों के नामांकन में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।
7.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	छः भारतीय प्रबंधन संस्थान उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा प्रदान करना जारी रखेंगे। इंदौर, कोझीकोड तथा लखनऊ स्थित तीन नए आई आई एम की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा।	भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने उच्च गुणवत्तायुक्त प्रबंधन शिक्षा प्रदान करना जारी रखा है। भारतीय प्रबंधन संस्थानों में संचालित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में भी वृद्धि हुई है जो 1498 से बएकर 1600 हो गया है। पूर्वोततर क्षेत्र अर्थात् शिलांग में वर्ष 2007 के दौरान एक नया भारतीय प्रबंधन शिक्षा का विस्तार किया जा सके।
8.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और इसकी योजनाएं	(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न विषयों में 6.23 लाख विद्यार्थियों के साथ चलाए जा रहे लगभग 5000 संस्थानों के कार्यकरण को विनियमित करती रहेगी। (ii) पहले से प्रत्यायित 1260 कार्यक्रमों का संचालन करने वाले 312 संस्थानों के अलावा, वर्ष 2005-06 के दौरान 1000 कार्यक्रमों वाले 260 से भी अधिक संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य पूरा किया जाएगा।	वर्ष 1997-98 में 562 डिग्री स्तरीय संस्थाओं की तुलना में इस समय कुल 1511 अनुमोदित इंजीनियरी कॉलेज हैं। दाखिला क्षमता में भी वृद्धि हुई है जो वर्ष 1997-98 में 134298 से बढ़कर इस समय 550986 हो गई है। एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों की कुल संख्या 224 से 1003 हो गई है जिनमें दाखिला क्षमता 56805 है। तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों को प्रत्यायित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान प्रत्यायित 409 कार्यक्रम और वर्ष 2004-05 के दौरान प्रत्यायित 570 कार्यक्रमों की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान 584 कार्यक्रम प्रत्यायित किए गए। वर्ष 2006-07 हेतु अभी तक प्रत्यायन हेतु 280 कार्यक्रमों पर विचार किया गया

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
			है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एडुसैट स्कीम के तहत अभिनिर्धारित तकनीकी संस्थाओं में 106 काल्पनिक शिक्षण कक्षों की स्थापना की है ताकि प्रगामी एवं सुस्थापित संस्थाओं के ज्ञान का अन्य संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान किया जा सके। ए.आई.सी.टी.ई. - एडुसैट नेटवर्क के तहत और अधिक संस्थाओं को शामिल करने हेतु इस स्कीम का विस्तार किया जाएगा। अपने स्टेकहोल्डरों को जानकारी देने और अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने हेतु परिषद अपनी वेबसाइट http://www.aicte.ernet.in सूचना की ओर नियमित रूप से प्रासंगिक एवं नवीनतम जानकारी से अद्यतन बनाते रहती है।
9.	भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	जिन 91 तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के बीच नेटवर्क स्थापित किया गया था उन्हें वर्ष 2005-06 के दौरान सुदृढ़ बनाया जाएगा।	अकादमिक उत्कृष्टता में सुधार, नेटवर्किंग के द्वारा संसाधनों की साझेदारी के द्वारा सभी 91 नेटवर्क्ड संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया गया तथा वे समुदाय और अर्थव्यवस्था की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
10.	समुदाय पॉलिटेक्निक	वर्ष 2005-06 के दौरान 3.5 लाख लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।	इस स्कीम के तहत निर्धारित संख्या में लाभार्थियों को शामिल करने संबंधी लक्ष्य को 10वीं योजनावधि के दौरान लगभग प्राप्त कर लिया गया है।
11.	भारतीय सामाजिक विज्ञान तथा शोध परिषद	शोध परियोजना-50 अध्येतावृत्ति(कनिष्ठ,पोस्ट डॉक्टरल, वरिष्ठ तथा राष्ट्रीय आकस्मिक-280 अध्ययन अनुदान-120 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-20 प्रलेखन सेवाएं-3000 डाटा बैंक-1 दिशानिर्देश तथा परामर्श सेवाएं	31 127 45 14 2100 1 40

क्र0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
		- 50 शोध संस्थानों का अनुरक्षण-27 क्षेत्रीय केन्द्र-6 प्रकाशन छूट-60 अन्य कार्यक्रम-130 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग(भारतीय तथा विदेश दौरे)-150 पूर्वोत्तर कार्यक्रम-60	 27 6 49 60 90 23
12.	ऑरोविले प्रबन्धन	i) श्री अरबिन्दो अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक शोध संस्थान (क) निर्माण कार्यकलाप-9 (ख) शोध कार्यक्रम संबंधित कार्यकलाप-21 ii) भारत निवास क) निर्माण कार्यकलाप-8 ख) विकास कार्यकलाप-26	 5 21 4 26
13.	चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में यूनेस्को हाऊस का निर्माण	यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय हेतु यूनूस्को हाऊस का निर्माण	शून्य
14.	यूनेस्को के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ समितियों/ सम्मेलनों तथा संगठनों की बैठकें आयोजित करना	यूनेस्को से संबंधित कार्यकलाप के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में सदस्यों को अवगत कराने हेतु आयोग की बैठकों का आयोजन।	यूनेस्को से संबंधित कार्यकलाप के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में सदस्यों को अवगत कराने हेतु आयोग की बैठकों का आयोजन।
15.	यूनेस्को के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोन्नयन में	इस शीर्ष हेतु कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। वित्त पोषित कार्यकलापों की संख्या प्राप्त	कार्यक्रमों/कार्यकलापों के संचालन हेतु 3 संगठनों को अनुदान दिए गए।

क्र0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
	लगे स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण	होने वाले उचित आवेदनपत्रों की संख्या पर निर्भर करता है।	
16.	बाह्य शैक्षिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण	इस स्कीम पर व्यय मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने हेतु विदेशों के साथ सचिवालयी प्रतिनिधिमंडलों के विनिमय तक सीमित है। ये दौरे दीर्घकालिक पत्राचार के पश्चात् तय किए जाते हैं। अतः इस स्कीम के तहत लक्ष्यों को वास्तविक रूप में संख्या में निर्धारित नहीं किया जा सकता। 6 भारतीय शिष्टमंडलों ने अन्य देशों का दौरा किया और 4 विदेशी शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया।	इस स्कीम पर व्यय मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने हेतु विदेशों के साथ सचिवालयी प्रतिनिधिमंडलों के विनिमय तक सीमित है। बे दौरे दीर्घकालिक पत्राचार के पश्चात् तय किए जाते हैं। अतः इस स्कीम के तहत लक्ष्यों को वास्तविक रूप में संख्या में निर्धारित नहीं किया जा सकता। 6 भारतीय शिष्टमंडलों बे अन्य देशों का दौरा किया और 4 विदेशी शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया।
17.	विदेशी शिष्टमंडलों का भारत दौरा	इस शीर्ष के तहत किया गया प्रावधान भारत का दौरा करने वाले विदेशी शिष्टमंडलों पर होने वाले व्यय के निमित्त है। ये दौरे दीर्घकालिक पत्राचार के पश्चात् तय किए जाते हैं। अतः इस स्कीम के तहत लक्ष्यों को वास्तविक रूप में संख्या में निर्धारित नहीं किया जा सकता।	इस शीर्ष के तहत किया गया प्रावधान भारत का दौरा करने वाले विदेशी शिष्टमंडलों पर होने वाले व्यय के निमित्त है। ये दौरे दीर्घकालिक पत्राचार के पश्चात् तय किए जाते हैं। अतः इस स्कीम के तहत लक्ष्यों को वास्तविक रूप में संख्या में निर्धारित नहीं किया जा सकता।
18.	शैक्षिक नीति के विकास हेतु अध्ययन, सेमिनार स्कीम		
	संगठनों को सहायता	38 प्रस्ताव	नवमबर,2006,-24 12 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।
19.	राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय		
क.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	53 कार्यक्रम	29कार्यक्रम (नवम्बर,06) मार्च,2007 तक 24 ओर कार्यक्रम
ख.	अधिकारियों का प्रशिक्षण	1600 संख्या	1034(नवम्बर,94)
20.	छात्रवृत्ति स्कीम और शिक्षा प्रमाणपत्रों का प्रमाणीकरण		
क.	राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र स्कीम	यह स्कीम मांग-आधारित है। अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका।	13,117 विद्यार्थी (जनवरी,2007)-जिसमें 7101 नई छात्रवृत्तियां और 6016 नवीनीकृत छात्रवृत्तियां शामिल हैं।
ख.	अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	यह स्कीम मांग-आधारित है। अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका।	774 विद्यार्थी (जनवरी,2007) जिसमें 495 नई छात्रवृत्तियां और 279 नवीनीकृत छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
ग.	शैक्षिक प्रमाणपत्रों का प्रमाणीकरण	प्राप्त मांग की संख्या पर निर्भर करता है। अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।	प्रमाणीकृत संख्या 39159
21.	बी.ओ.ए.टी.- शामिल किए गए शिक्षार्थियों की संख्या		
	1. मुम्बई	28000 शिक्षार्थी	12242 शिक्षार्थी
	2. चेन्नई	45000 शिक्षार्थी	28000 शिक्षार्थी
	3. कानपुर	18000 शिक्षार्थी	9056 शिक्षार्थी
	4. कोलकाता	12000 शिक्षार्थी	6502 शिक्षार्थी
	वर्ष के दौरान शिक्षार्थियों के आगे बढ़ने में कमी का कारण कम वजीफा दिया जाना, उद्योग से प्रतिक्रिया की कमी आदि रहा।		
22.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा		
क.	आयोजित ओरिएन्टेशन कोर्सो/रिफ्रैशर कोर्सो की संख्या	60	30
ख.	क्षेत्रीय केन्द्रों सहित, ओरिएन्टेशन/ रिफ्रैशर कोर्सो, में नामांकित छात्रों की संख्या	योजनेतर 1150 योजना 1800	800 1000
ग	एम.एड.स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या	20	8
घ.	नामांकित विदेशी छात्रों की संख्या	120	85
23.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय		
क.	पत्राचार के माध्यम से हिन्दी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या	10,000	4,000
ख.	व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों की संख्या	20	4
ग.	वार्तालाप	10	4

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
	गाइड का प्रकाशन		
घ.	विविध व्याकरण तथा भाषाई विषयों पर सीडी तैयार करना	6	4
ड.	हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनियों की संख्या	12	6
च.	गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में निशुल्क वितरित पुस्तकों की संख्या	60,000	21,350
छ.	आयोजित कार्यशाला/ सेमीनार अध्ययन दौरों संगोष्ठी आदि की संख्या	40	21
ज.	संस्थाओं की संख्या-हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता	220	113
झ.	प्रकाशनः- i) भाषा(मासिक, वार्षिकी, साहित्यमाला) का प्रकाशन ii) शब्दकोश/ वार्तालाप गाइड का प्रकाशन	06+03=09	04+01=05
24.	वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग		
क.	कार्यशालाएं	80 कार्यक्रम	87 कार्यक्रम
ख.	प्रदर्शनियां	6 प्रदर्शनियां	7 प्रदर्शनियां
ग.	कम्प्यूटरीकरण	एल ए एन कार्य	प्रगति पर
घ.	विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिए सहायता अनुदान	40	शून्य (राज्य सरकारों से कोई मांग नहीं)

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
25.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद		
क.	शैक्षिक संस्थाओं/ स्कूलों/ कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों में निशुल्क वितरित हेतु सिंधी पुस्तकों/ मैग्जीन/ श्रव्य-दृश्य कैसिटों/ सीडी/ वीसीडी का बड़ी मात्रा में क्रय	5500 मेगजीन्स	3500
ख.	साहित्य पुस्तकों के लिए सिंधी लेखों को पुरस्कार देने की दो योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना है। (i) सिंधी साहित्य में उत्कृष्ट जीवन पर्यन्त योगदान हेतु लेखक को साहित्यकार सम्मान (ii) कला, संस्कृति शिक्षा, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों पर हिन्दी भाषा में साहित्यिक कृति के लिए लेखक को साहित्य रचना सम्मान	(1) जीवन पर्यन्त उपलब्धि के लिए 50,000 रू. के दो पुरस्कार (2) सिधी भाषा में साहित्यक कृति के लिए 20,000/- रू. के पांच पुरस्कार (3)नए लेखक के लिए 5,000/- रू. के पांच पुरस्कार	--
ग.	सिंधी भाषा से संबंधित चुनिंदा प्रोत्साहनवर्धक कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	20 संगठन	18 संगठन
घ.	सिंधी पुस्तकों/ पाण्डुलिपियों आदि के	5 पुस्तक	4 पुस्तक

क0सं0	स्कीम का नाम	निर्धारित परिणाम (मात्रात्मक आपूर्ति योग्य मद)	उपलब्धि
	प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता		
ड.	अखिल भारतीय स्तर पर सिंधी भाषा अध्ययन कक्षाएं	50 संस्थान	27 संस्थान
26.	**राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान**		
क.	विभिन्न संस्कृत पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या	3200	3308
ख.	संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए सहायता अनुदान दिए गए संस्कृत संस्थाओं की संख्या	727	250
27.	**महर्षि सन्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान**		
क.	सभी योजनाओं में नामांकित छात्रों की संख्या	3400	2820
ख.	अनुदान दिए गए संस्थाओं की संख्या	165	150

अध्याय–V

वित्तीय समीक्षा

सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006–07 के दौरान माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग को 3616 करोड़ रूपए (योजनागत) और 3366.28 करोड़ रूपए (योजनेतर) आवंटित किए गए। इसमें माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, भाषा विकास, पुस्तक प्रोन्नति और कापीराइट, यूनेस्को संबंधित कार्यकलापों और आयोजना और प्रशासन के लिए आवंटन शामिल है। तथापि, बिजनेस नियमों के आवंटन में संशोधन के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्य 12 जुलाई, 2006 से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को अंतरित हो गया है। तदनुसार उच्चतर शिक्षा विभाग के पास क्रमशः योजनागत के लिए 2529.00 करोड़ रूपए और योजनेतर के लिए 2489.00 करोड़ रूपए का बजट आवंटन बचा है।

.2 दसवी योजनावधि के दौरान विभाग के लिए योजनागत और योजनेतर आवंटन और विभाग द्वारा किया गया व्यय संलग्नक –। में दिया गया है। पिछले 5 वर्षो के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग (अब उच्चतर शिक्षा विभाग) की मांग सं. 57 के अंतर्गत योजना–वार योजनागत और योजनेतर आवंटन का विस्तृत ब्यौरा संलग्नक–।। (योजनागत) और संलग्नक–।।। (योजनेतर) में दिया गया है। नीचे दिया गया चार्ट चालू योजनावधि के अंतर्गत परिव्यय में वृद्धि को दर्शाता है।

दसवीं योजना आवंटन और व्यय

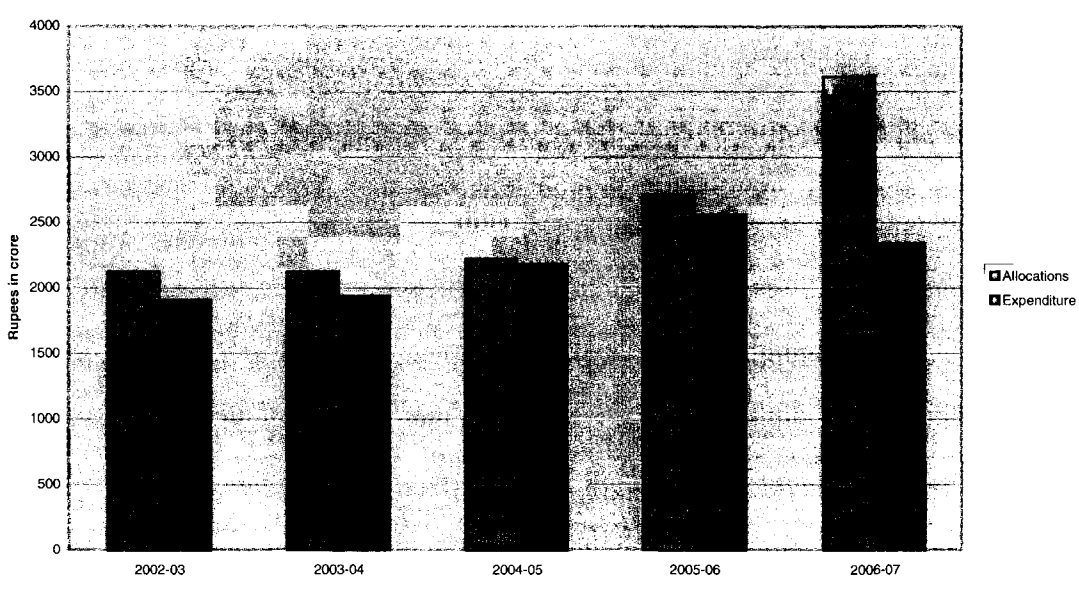

नोटः वर्ष 2006–07 के ग्राफ में 31.12.06 तक किया गया व्यय दर्शाया गया है।

5.2.1 जैसा कि स्पस्ट है इस अवधि में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान योजनागत आवंटनों में वृद्धि हुई है।

5.2.2 माध्यमिक शिक्षा विभाग (जब से स्थानांतरित हुआ है), उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, भाषा विकास और अन्य जिसमें पुस्तक प्रोन्नति और कापीराईट, यूनेस्को संबंधी कार्यकलाप और आयोजना और प्रशासन में निधियों का योजनावार आवंटन नीचे दिखाया गया है:

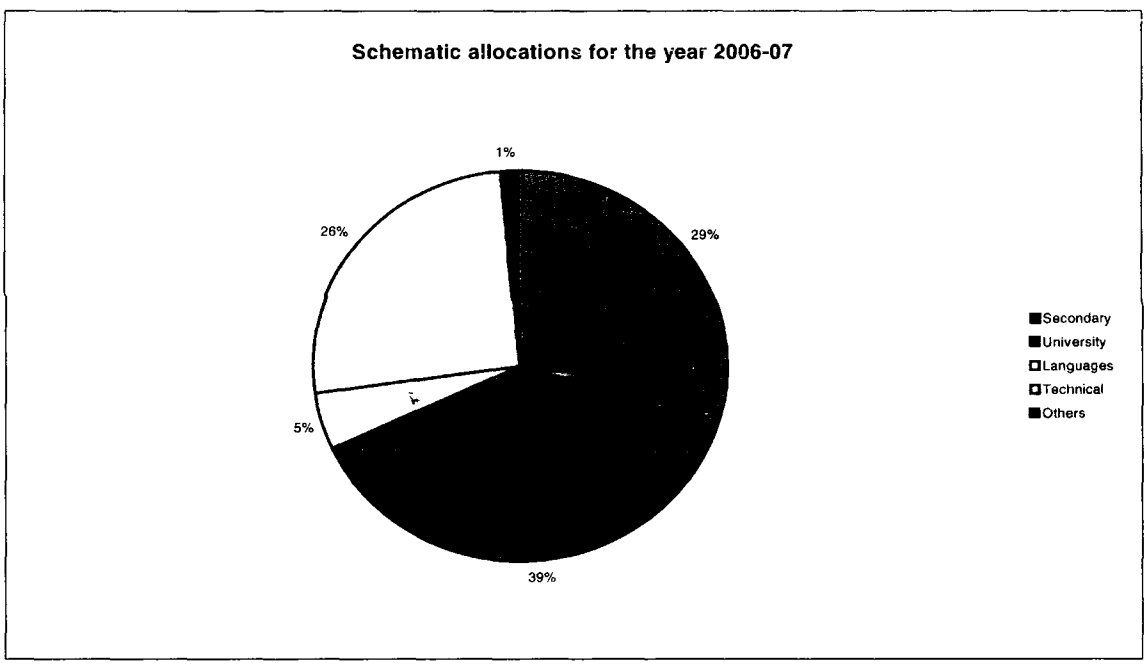

5.3 व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए योजना-वार ब्यौरा संलग्नक-।। और ।।। में दिया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान उच्चतर शिक्षा से संबंधित विषयों के लिए कुल आवंटित 5018.20 करोड़ रूपयों में से योजनागत के लिए 2529 करोड़ रूपए (50.40%) और योजनेतर के लिए 2489.20 करोड़ रूपए (49.60%) प्रदान किए गए। 5018.20 करोड़ रूपए के कुल आवंटन में से दिसबंर, 2006 तक विभाग ने 3447.59 करोड़ रूपए का उपयोग कर लिया था जो 68.70% है। विभाग के कुल व्यय का शीर्ष आधार पर भी विश्लेषण किया गया है और बजट शीर्ष-वार व्यय प्रतिशत संलग्नक-IV में दिया गया है। जैसा कि विवरण से स्पष्ट है लगभग 98% सहायता अनुदान के रूप में व्यय किया गया। यह नोट किया जाना चाहिए कि चूंकि विभाग के कई कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत आनेवाले स्वायत्त निकायों और अन्य एजेंसियों द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है अतः इन स्वायत्त निकायों और संगठनों द्वारा किया गया संपूर्ण व्यय जिसमें

उनके द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय भी शामिल है, को अनुदान मांग के राजस्व अनुभाग में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है।

5.4 संस्थाओं के पास उपलब्ध अव्ययित शेष, उनके व्यय की गति और निधियों को उनको आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग जहां तक हो सके व्यय को एकरूप करने का प्रयास कर रहा है। 1 अक्तूबर, 2005 से विभाग मासिक व्यय योजना और तिमाही व्यय आवंटन के अंतर्गत कवर हो रहा है। विभाग ने चारों तिमाहियों के लिए क्रमशः 17%, 25%, 25%, और 33% की योजनागत निधियों की रोकड़ आवश्यकता को और साथ ही वर्ष 2006-07 के लिए योजनेतर निधियों के लिए प्रत्येक तिमाही हेतु 25% की आवश्यकता को दर्शाया है। विभाग इस लक्ष्य के अनुसार ही व्यय कर रहा है और दिसंबर, 2006 तक विभाग में योजनागत बजट का 65.07% व्यय कर लिया था। इसी तरह योजनेतर के अंतर्गत दिसंबर, 2006 तक विभाग ने इस अवधि के लिए 75% के रोकड़ अनुमान के विरूद्ध कुल आवंटन का 72.39% व्यय कर लिया था। तथापि विभाग में आवंटित राशियों का केवल 68.70% तक ही व्यय किया है।

5.5 विभाग अनुदान प्राप्त संस्थाओं से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति का भी नियमित मानीटरन कर रहा है। एक डाटाबेस बना लिया गया है और जारी किए गए अनुदानों के लिए लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों वाली संस्थाओं को नए अनुदान जारी न किए जाने की सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 1.4.2005 को 10460.53 करोड़ रूपए की राशि के लिए 6906 उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित थे। विभागीय स्तर पर और सी.जी.ए कार्यालय के सतत प्रयासों के फलस्वरूप 10165.94 करोड़ रूपए के 4422 उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए और 31.12.2006 तक 294.59 करोड़ रूपए की राशि के लिए केवल 2484 उपयोग प्रमाण पत्र अब भी लंबित है। लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति संलग्नक-V में है।

5.6 विभाग के अंतर्गत विभिन्न अनुदान प्राप्त संस्थाओं के अव्ययित शेष की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। विभाग में प्रत्येक तिमाही में राज्य सरकारों और स्वयत्त निकायों द्वारा अव्ययित शेष की समीक्षा का मानीटरन किया जाता है। पहले जारी किए गए अनुदानों के उपयोग और व्यय की प्रगति के आधार पर ही आगे के अनुदानों को जारी किया जाता है। इन संस्थाओं को और अनुदान जारी करते हुए अव्ययित शेष पर निरपवाद रूप से ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2005 तथा 2006 के संबंध में 1 अप्रैल तथा 30 सितम्बर तक व्यय न की गई शेष राशि की स्थिति परिशिष्ट –I/। में दी गई है। यह देखा जा सकता है कि वर्ष

2005 तथा 2006 के प्रारंभ में अव्ययित शेष राशि क्रमशः 505.53 करोड रू. और 697.82 करोड रू0 की तुलना में 30 सितम्बर तक अव्ययित शेष राशि क्रमशः 928.86 करोड रू. और 870.21 करोड़ रू. हो गई।

अध्याय-VI

सांविधिक/स्वायत्त निकायों की समीक्षा

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसद अधिनियम के अधीन 1956 में विश्व शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और स्तरों के अनुरक्षण के लिए की गई थी। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों और उच्च अध्ययन संस्थाओं के बीच समन्वयन निकायों का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अनुदान देने के अतिरिक्त यह उच्च शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सलाह भी देता है। यह नई दिल्ली तथा इसके साथ-साथ बंगलौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता तथा पुणे में स्थित छः क्षेत्रीय कार्यालयों से भी संचालित किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान आरंभ की गई विभिन्न स्कीम वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान भी जारी रही। इनका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य-निष्पादन पर संघटित प्रभाव पड़ता है।

क) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों का सामान्य विकास

(i) विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दसवीं योजना सहित विभिन्न योजनाओं के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत योजनागत बजटीय प्रावधान करके विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। केन्द्रीय तथा कुछ सम विश्वविद्यालयों और दिल्ली तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों को योजनेतर और योजनागत के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है जबकि राज्य विश्वविद्यालय तथा उनसे संबद्ध कालेजों को केवल योजनागत के तहत सहायता दी जा रही है।

(i) केन्द्रीय विश्वविद्यालय

इस समय 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 18 विश्वविद्यालयों को विकास तथा अनुरक्षण तथा विकास अनुदान आबंटित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल का वित्तपोषण कमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण हेतु 707.46 करोड़ रु. की राशि तथा सामान्य विकास सहायता के रूप में 260.65 करोड़ रू0 दिए।

(ii) राज्य विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के अनुसार 17 जून, 1972 के पश्चात स्थापित कोई भी राज्य विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या भारत सरकार से निधियां प्राप्त कर रहे किसी अन्य संगठन से किसी प्रकार का अनुदान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि आयोग अपने को इस बात से संतुष्ट नहीं कर लेता कि ये राज्य विश्वविद्यालय उन सभी निर्धारित मानकों तथा शर्तों को पूरा करता है जो अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को उपयुक्त घोषित करते हैं।

इस समय 222 राज्य विश्वविद्यालय है जिनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चिकित्सा तथा कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर केवल 119 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए बजटीय योजनागत आबंटन कर रहा है। तथापि तकनीकी, कृषि विश्वविद्यालय जिनमें इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विभाग है, सहित अन्य राज्य विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान का लाभ भी प्राप्त होता है। विशेष योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहित सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान किया जा रहा है ताकि वे सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्राप्त कर सकें जो उन्हें राज्य सरकार या सहायता प्रदान करने वाले अन्य निकायों से सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती जिससे वे गुणात्मक विकास सहित उच्चतम स्तर प्राप्त कर सके। दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में सामान्य विकास हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को अभी तक 44.41 करोड़ रु. का योजनागत अनुदान प्रदान किया गया है।

(iii) सम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य उच्च अध्ययन संस्था जो विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर का कार्य कर रही है को

समविश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार की संस्थाओं को शैक्षणिक तथा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है इस समय 105 सम विश्वविद्यालय हैं। जिनमें से 12 सम विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण तथा विकास अनुदान आवंटन किया जा रहा है तथा 25 सम विश्वविद्यालयों का केवल विकास अनुदान आबंटित किया जा रहा है। तथापि सभी सम विश्वविद्यालय केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान सम-विश्वविद्यालयों को 63.00 करोड रू. का योजनेतर अनुदान तथा 6.83 करोड रू. का योजनागत अनुदान प्रदान किया गया।

(iv) कालेज

इस समय तकरीबन 18064 कालेज है जिसमें से 6109 कालेज अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) अधीन तथा 5525 कालेज धारा 2(एफ) तथा 12 (बी) के अधीन मान्यता प्राप्त है। सभी पात्र कालेजों को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

- बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तथा पुस्तकें, पत्रिकाएं, वैज्ञानिक उपकरण, स्टाफ, परिसर विकार, उपयुक्त निर्देशों हेतु आवश्यक अध्यापन सामग्री जैसे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कालेजों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए।
- अंतर तथा क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्त या कम करने के उद्देश्य से पिछड़े/ग्रामीण/पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित कालेजों के विकास के लिए।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य कालेजों को 28.84 करोड़ रू. तक तथा दिल्ली कालेजों को 4.62 करोड़ रू. की सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय कालेजों को 232.21 करोड़ रू. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक कालेजों को 2.56करोड़ रू. तथा विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कालेज को 14.67 करोड़ रू. की राशि दी गई।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनाबंटित अनुदान

आयोग सम्मेलनों में भाग लेने के लिए शिक्षकों/शोध छात्राओं को सेमिनारों तथा संगोष्ठियों के आयोजन के लिए शोध कार्य के प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा विजिटिंग प्रोफेसरों/फैलो की नियुक्ति

हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता शिक्षा की गुणवत्ता तथा स्तरों में सुधार, अध्यापन वर्ग में शोध संभावनाओं को प्रोन्नत करने तथा उन्हें शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में व्यापक अवसर प्रदान करने के लिए भी दी जाती है। वित्तीय सहायता की मात्रा के बारे में निर्णय, विश्वविद्यालय की संकाय संख्या के आधार पर लिया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान, केन्द्र, राज्य तथा सम विश्वविद्यालयों को कमशः 74.56 लाख रू., 2.11 करोड रू. तथा 24.07 लाख रू. उपलब्ध कराए गए।

(ग) महिला छात्रावास के निर्माण हेतु विशेष स्कीम

महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि महिलाओं के स्तर में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सके तथा महिला पुरूष में समानता लाई जा सके तथा सुरक्षित वातावरण सृजित कर महिलाओं की भागेदारी में वृद्धि की जा सके। महिलाओं के नामांकन की स्थिति अनुसार सहायता सौ प्रतिशत आधार पर दी जाती है। गैर-मैट्रो तथा मैट्रो क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए अधिकतम सीमा कमशः 1.00 करोड तथा 2.00 करोड रू. है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान अभी तक विश्वविद्यालयों को 1.86 करोड़ रू. की राशि तथा कालेजों को 24.85 करोड रू. की राशि प्रदान की गई है।

(घ) विश्वविद्यालयों में प्रबंधन विभागों के लिए विकास अनुदान

आयोग उन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनके विकास हेतु प्रबंधन विभाग हैं। दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12 विश्वविद्यालयों के प्रबंधन विभागों को 1.23 करोड़ रू. का अनुदान दिया।

(ड.) स्वायत्त कालेज

अवर स्नातक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से कालेजों को अभिनिर्धारित किया जा रहा है तथा शैक्षणिक और संचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके स्वायत्तता प्रदान की गई है। दसवीं योजना के अंत तक 10 प्रतिशत पात्र कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस समय 14 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश के 49 विश्वविद्यालयों में 249 स्वायत्त कालेज है। वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में इन स्वायत्त कालेजों को 14.46 करोड़ रू. तक का अनुदान प्रदान किया।

(च) विश्वविद्यालयों में दिवस रक्षा केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिवस रक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों में भुगतान आधारित स्कीम शुरू की है। यह स्कीम तीन माह से छः वर्ष तक की आयुवर्ग के उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता (विश्वविद्यालय कर्मचारी/छात्र) दिन के समय बाहर रहते है। 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालयों को 8.50 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।

(छ) विश्वविद्यालयों में महिला छात्राओं, अध्यापकों तथा गैर शिक्षण स्टाफ के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं।

स्कीम का लक्ष्य, विश्वविद्यालयों में छात्राओं, अध्यापकों और गैर अध्यापन स्टाफ हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं सृजित तथा सुदृढ़ करने हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करना है। लक्षित वर्ग छात्राएं, अध्यापक और विश्वविद्यालय का गैर अध्यापन स्टाफ है। वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालयों को अभी तक 31.30 लाख रू.का अनुदान दिया गया।

(ज) साहसिक खेल

स्कीम का मूल उद्देश्य "विश्वविद्यालयों/कालेजों में साहसिक खेलों/कार्यकलापों का आयोजन करना है ताकि छात्रों में जोखिम उठाने, तुलनात्मक टीम कार्य करने की भावना सृजित हो सके तथा चुनौती भरी परिस्थितियों का साहस से सामना कर सकें। इस स्कीम का उद्देश्य सभी युवा छात्रों को साहसिक खेलकूद सुविधाओं का अवसर प्रदान करना और शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के प्रथम पीढ़ी के प्रशिक्षुओं तथा युवा छात्रों को सहायता देना है। वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को 76.21 लाख रू. की राशि प्रदान की गई।

(झ) पिछड़े इलाकों में विश्वविद्यालय तथा कालेजों के लिए विशेष विकास अनुदान

स्कीम का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों पर ध्यान देना तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना है ताकि अधिकतम अध्यापन समानता तथा कम से कम बुनियादी स्तर पर पहुँच प्राप्त की जा सके। इससे विश्वविद्यालय/कालेज ऐसा स्तर विकसित करने में सक्षम होंगे जहां पर वह शिक्षा में नवाचार प्रारंभ करने तथा उच्चतर शिक्षा की वैश्वीकरण की चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को क्रमशः 2.59 करोड रू. तथा 14.96 करोड़ रू. का अनुदान दिया।

(ञ) **नए विश्वविद्यालय तथा कालेजों के लिए विशेष विकास अनुदान**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मूलभूत और न्यूनतम अवंसरचनात्मक सुविधाएं सृजित करने और नए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की वर्तमान मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि वहां अधिक छात्र अध्यापक आये और वे नए पाठ्यक्रम आरंभ कर सकें। वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को कमशः 4.36 करोड रू. तथा 11.96 करोड़ रू. का अनुदान प्रदान किया।

(ट) **प्रौढ तथा सतत शिक्षा**

निरक्षरता उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रौढ तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम के अधीन आयोग ने अभी तक 87 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा विभागों को 92.44 लाख रू. की राशि दी गई।

(ठ) **विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य की शिक्षा को प्रोन्नत करना**

विश्वविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों तथा गैर अध्यापन स्टाफ के सर्वांगीण विकास हेतु योग, अच्छे स्वास्थ्य, वैयक्तिक विकास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोग ने योग केन्द्र स्थापित करने के लिए अभी तक 64 विश्वविद्यालय अनुमोदित किए है। गेस्ट स्पीकर/विशेषज्ञों आदि को आमंत्रित करके एड्स, नशीली दवाओं के सेवन, सेक्स एजूकेशन तथा रिप्रोडेक्टिव हेल्थ, स्वस्थ जीवन की कला, तनाव तथा प्रबंधन आदि पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों को भी सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान उन 10 विश्वविद्यालयों को 18.22 लाख रू. का कुल अनुदान प्रदान किया गया जहां स्कीम कार्यान्वित की गई है।

(ड) **मानव अधिकार तथा कर्त्तव्य शिक्षा**

मानव अधिकार तथा कर्त्तव्य शिक्षा तथा नैतिक विचारों एवं मानव मूल्यों को प्रोन्नत करने का कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बीच विचार विनिमय की बढ़ावा देना है इसके अतिरिक्त शोध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा नागरिकों को अधिकारों तथा शिक्षा में मूल्यों के बारे में बताने के लिए तथा जीवन शैली में सुधार हेतु मूल्यों हेतु प्रतिबद्धता जागरूकता सृजित करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को 12.76 लाख रू. की राशि प्रदान की गई।

(ढ) **सामाजिक चिंतकों और नेताओं पर विशेष अध्ययन**

बड़े-बड़े चिंतकों और सामाजिक नेताओं के विचारों और कार्यों से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को अवगत कराने तथा उन्हें अनुसंधान अध्ययन में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामाजिक चिंतको और नेताओं पर विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिए चुनिन्दा आधार पर विश्वविद्यालयों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान कर रहा है। दसवीं योजना के दौरान अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 25 विश्वविद्यालय/कालेज (23 गांधीवाद अध्ययन केन्द्र/16 नेहरू अध्ययन केन्द्र, 16 अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र, 8 बौद्ध अध्ययन केन्द्र, 3 गुरू नानक अध्ययन केन्द्र, 2स्वामी विवेकानन्द अध्ययन केन्द्र, 2 जाकिर हुसैन अध्ययन केन्द्र, एक के.आर. नारायण अध्ययन केन्द्र) स्थापित किए है। इन केन्द्रों की अवधि योजनावधि के साथ सह-लक्षित होंगी। 2006-07 के इन अध्ययन केन्द्रों कोअभी तक 1.92 करोड रू. का अनुदान जारी किया गया है।

(ण) **महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना**

इस योजना में अनुसंधान करने, पाठ्यचर्या तैयार करने और प्रशिक्षण आयोजित करने, लड़के लड़कियों की समानता के विषय में विस्तार कार्य, शैक्षिक आत्म निर्भरता, बालिका शिक्षा, जनसंख्या मुद्दे, मानवाधिकार और शोषण इत्यादि के लिए विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता देने पर विचार किया गया है।

(त) **विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेल की स्थापना**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति और विश्वविद्यालयों और कालेजों में भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और मानीटरिंग को सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेल स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी है। अभी तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में 123 सेल स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे सेल को अभी तक 24.65 लाख रू. का कुल अनुदान जारी किया जा चुका है।

(थ) **विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर सुधारात्मक शिक्षण**

समाज के सुविधाविहीन वर्गों को सामाजिक समानता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में सहयोग देने हेतु आयोग ने अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण योजना शुरू की है। यह योजना552 विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2006-07 के दौरान अभी तक विश्वविद्यालयों और कालेजों को 15.82 करोड रू. का कुल अनुदान जारी किया है।

(द) **अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों विश्वविद्यालयों और कालेजों में अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण कक्षाएं**

विभिन्न विषयों में छात्रों की शैक्षिक कुशलता और भाषायी दक्षता में सुधार करने और परीक्षा में छात्रों के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 245 विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहयोग दे रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान उन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को, जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं, 5.59 करोड रू. का कुल अनुदान जारी किया गया।

(न) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए अजा./अ.ज.जा. के लिए कक्षाएं

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो कि विश्वविद्यालय या कालेज में लेक्चरार बनने के लिए आवश्यक पात्रता शर्त है, के लिए छात्रों को तैयार करके विश्वविद्यालय और कालेजों में लेक्चरारों के रूप में भर्ती के लिए उपयुक्त संख्या में अर्हता प्राप्त अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवार उपलब्ध कराना है। चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसके लिए शत-प्रतिशत अनुदान इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक लेक्चरार अनुमोदित कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये कक्षाएं मानदेय आधार पर शिक्षकों को नियुक्त करके आयोजित की जाएं। इस समय 50 विश्वविद्यालय इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान चुनिन्दा विश्वविद्यालयों को 1.22 करोड रू. की राशि दी गई है।

(प) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षण कक्षाएं**

इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी हेतु छात्रों के लिए शिक्षण कक्षाएं आयोजित करने के लिए चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में शत-प्रतिशत अनुदान

उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्र आवंटित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा शिक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा और उनमें शिक्षण प्रदान करने के इच्छुक संकाय सदस्य उपयुक्त संख्या में होंगे। अभी तक 18 चुनिन्दा विश्वविद्यालय इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालयों को 36.55 लाख रू. की राशि जारी की गई है।

(फ) सेवा में प्रवेश के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के लिए शिक्षण कक्षाएं

भारत और राज्य क्षेत्रीय सेवाओं सहित समूह 'क' 'ख' और 'ग' में लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से यह योजना 2004-05 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण केन्द्र में स्थाई आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है और केन्द्र में कक्षाओं की मानदेय आधार पर शिक्षकों को आमंत्रित करके व्यवस्था की जाती है। इस समय यह योजना 239 विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2006-07 के दौरान अभी तक इन संस्थाओं को 11.09 करोड रू.की राशि दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष अभियान में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए बनाए गए विभिन्न उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित करके पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित 5 विश्वविद्यालयों और 80 कालेजों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ब) सेवाओं में प्रवेश के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शिक्षण कक्षाएं

इस शिक्षण योजना का मूल उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना है जिससे वे समूह ग, ख, क और अखिल भारतीय/राज्य सेवाओं के लिए लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस समय यह योजना 145 विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यान्वित की जा रही है।

वर्ष 2006-07 के दौरान विश्वविद्यालय और कालेज, जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं, को 3.50करोड रू. काकुल अनुदान जारी किया गया है।

(भ) विभिन्न प्रकार के अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

(म) विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा और विशेष शिक्षा में शिक्षकों को तैयार करना

उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विभिन्न तरह के विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न प्रकार के अशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षा में शिक्षकों को तैयार करना तथा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा नामक दो योजनाएं चला रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष शिक्षकों तथा काउन्सलरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना तथा विभिन्न तरह के अशक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न रूपों में सुविधाएं प्रदान करना है। अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा और विशेष शिक्षा में शिक्षकों को तैयार करने की योजना के अन्तर्गत 54 विश्वविद्यालयों और कालेजों को अभिनिर्धारित तथा अनुमोदित किया है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान इन विश्वविद्यालयों और कालेजों को अभी तक 14.05 लाख रू. प्रदान किए गए हैं।

(य) कैरियर उन्मुख कार्यक्रम

यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन छात्रों ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं वे सामान्य रूप में वेतनभोगी क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने और विशेष रूप से स्व-रोजगार करने के लिए ज्ञान, कुशलता तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते है ताकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर कम दबाव हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक वर्ष 2006-07 से कैरियर उन्मुख कार्यक्रम शुरू करने के लिए 304 कालेजों, एक राज्य विश्वविद्यालय और एक सम विश्वविद्यालय का चयन किया है। वर्ष 2006-07 के लिए आवंटित बजट की तुलना में इन चुनिन्दा संस्थाओं को अभी तक 3.28 करोड रू. की राशि दी गई है।

(र) यात्रा अनुदान

आयोग कालेज शिक्षक, कुलपतियों और आयोग के सदस्यों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोधपत्र प्रस्तुत करने और आगे अनुसंधान करने के लिए अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने और काम करने के तंत्र और तकनीकी/अच्छी पद्धतियों को जिनका अनुसरण मेजबान देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सहायता देने हेतु 35 कालेज शिक्षकों, 16 कुलपतियों और एक आयोग सदस्य का चयन किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष में अभी तक 71.83 लाख रू. की राशि प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्त्रोत सामग्री एकत्र करने और फैलोशिप उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सक्षम बनाने हेतु शत-प्रतिशत आधार पर यात्रा अनुदान प्रदान कर रहा है। 2006-07 के दौरान विदेश दौरों हेतु आठ उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है।

(ल) क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

आयोग 25 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के रूप में अभिज्ञात 39 केन्द्रों को किसी एक क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित अध्ययन शुरू करने और एक तुलनात्मक ढांचे के भीतर अंतः विषय क्षेत्रीय अनुसंधान और अध्यापन विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। विशेष बल ऐसे देशों और उन क्षेत्रों की ओर रहता है जिनके साथ भारत का निकट और सीधा सम्पर्क रहा है। दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान अभी तक इन अध्ययन केन्द्रों को 20.43 लाख रू. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(व) अन्तः विषय क्षेत्रीय और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान

यह कार्यक्रम अन्तः विषय क्षेत्रीय और उभरते क्षेत्रां में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित स्नातकोत्तर स्तर के विशेषीकृत पाठ्यक्रमों को और अध्यापन, अनुसंधान, शैक्षिक उत्कृष्टता, सामाजिक विकास और विभिन्न विषयों के उन प्रासंगिक कियाकलापों को, जो राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों प्रकार की शैक्षिक आवश्कयताओं को पूरा करते है, प्रभावित करने के लिए देदीप्यमान विचारों और नवाचारी प्रस्तावों को समायोजित करने में सहायता देने के लिए है। वर्ष 2006-07 के दौरान अन्तः विषय क्षेत्रों और उभरते विषयों में इन पाठ्यक्रमों की आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालयों को अभी तक 1.33 करोड रू. की राशि प्रदान की गई है।

(स) गुणवत्ता का विकास और उत्कृष्टता

उत्कृष्टता की सम्भावना वाले विश्वविद्यालयों को अभिनिर्धारित करने और विश्वविद्यालय स्तर प्रदान करने के लिए पुणे, हैदराबाद, मद्रास, जादवपुर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नामक पांच विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में चार और विश्वविद्यालय जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुम्बई विश्वविद्यालय, नेहू और मदुरै कामराज को उत्कृष्टता की सम्भावना के विश्वविद्यालय के रूप में अभिनिर्धारित तथा इसका दर्जा प्रदान किया गया है। 12 और विश्वविद्यालयों को विशेष विषय में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। अभिनिर्धारण के प्रथम चरण के दौरान 47 कालेजों और चरण ।। में 50 कालेजों को उत्कृष्टता की संभावना का स्तर प्रदान करने हेतु चुना गया है। चरण-।।। के

दौरान उन राज्यों में जहां चरण । और चरण ।। में जिनके सी पी ई स्तर के लिए निर्धारित कोटा पूरा नहीं हुआ है, अभिनिर्धारण और सीपीई स्तर प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2006-07 के दौरान अभी तक अभिनिर्धारित विश्वविद्यालयों और कालेजों को 18.37 करोड रू. की राशि वितरित की गई है।

(श) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन्फोनेट कार्यक्रम

संबंधित सुलभता और गुणवत्ता के साथ प्रासंगिक और उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और अध्यापन, अधिगम और शिक्षा प्रबंध का एकीकरण करके भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों का एक नेटवर्क अर्थात यूजीसी इन्फोनेट नामक विशाल कार्यक्रम शुरू किया है। यह नेटवर्क इरनेट इंडिया द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाएगा। यू.जी. सी. के एक स्वायत्त अन्तः विश्वविद्यालय केन्द्र, अर्थात पुस्तकालय नेटवर्क के लिए सूचना इरनेट और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के बीच समन्वय और सहायता के लिए एक नोडल एजेंसी है। अभी तक पूरे देश से 149 विश्वविद्यालय को इलेक्ट्रीकल रूप से जोडा गया है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान 8.45 करोड रू. का बजट आबंटित किया गया और अनुदान की प्रतिपूर्ति का कार्य किया जा रहा है।

(ष) अनुसंधान और शिक्षण सामग्री का डिजिटल रिपोजीटरी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए अध्ययन के सभी विषयों में छात्रों को इन्टरनेट पर साहित्य उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा समन्वित और कार्यान्वित किया है। वर्ष 2006-07 के दौरान सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र को इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अभी तक 11.00 करोड रू. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ह) शिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लेक्चरार के लिए पात्रता और कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करता है ताकि विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षण व्यवसाय और अनुसंधान में प्रवेश करने वालो के न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किए जा सकें।

इस समय ये परीक्षाएं 82 विषयों में देशभर में फैले हुए 66 केन्द्रों और विदेशों में 6 केन्द्रों में आयोजित की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लेक्चरर के पद के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु विभिन्न राज्यों को प्रत्यायन प्रदान करता है। दिसम्बर, 2005 में आयोजित यू.जी.सी. नेट परीक्षा में 1.10 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इनमें से, 8363 (7.61 प्रतिशत) अभ्यर्थी लेक्चररशिप हेतु पात्र घोषित किए गए है और 1081 अभ्यर्थी/यूजीसी जेआरएफः 300, सीएसआईआर ने आरएफ-781) को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए पात्र घोषित किए गए।

(झ) संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन

उच्च शिक्षा को सहायता देने की अपनी परम्परा को पुनःजीवित करने और विश्वविद्यालयों के विकास में समाज को पहले से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने 'संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन' नाम से एक योजना तैयार की है। इस स्कीम के उद्देश्य ये हैः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का योगदान विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंशदान को 25 प्रतिशत की सीमा तक होगा, जो प्रति वर्ष अधिक से अधिक 25.00 लाख रूपए तक होगा। वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान यूजीसी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता के रूप में 75.00 लाख रूपए और राज्य विश्वविद्यालयों को 169.50 लाख रूपए की राशि और सम-विश्वविद्यालयों को अपने समान अंशदान से 44.48 लाख रूपए की सहायता प्रदान की।

(ञ) कालेजों में यूजीसी नेटवर्क संसाधन केन्द्रों की स्थापना

इस स्कीम का उद्देश्य स्टाफ और छात्रों में प्रशासन, वित्त, परीक्षा और अनुसंधान जैसे विभिन्न कियाकलापों में कम्प्यूटर के प्रयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा भारत और विदेशों में विख्यात स्थानों पर मल्टीमीडिया में अध्यापन और अधिगम की सामग्री तक पहुंचने में उन्हें समर्थ बनाना है। कम्प्यूटर और इंटरनेट संयोज्यता प्रदान करके यूजीसी नेटवर्क संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान, सभी पात्र कॉलेजों को अब तक 3.63 करोड रूपये जारी किए जा चुके है।

(टक) विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)

दिनांक 31 मार्च,१ 2006 की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु अनुमोदित विभागों की संख्या 477/सीएएस-74 डीएसए-145, डीआरएस-258) है। वर्ष 2006-07 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी विभागों को 10.62 करोड रूपये का कुल अनुदान प्रदान किया है।

(कख) विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुरक्षण कियाकलाप (आईएमएफ)

यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (च) तथा 12 (बी) के अधीन स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय और कालेज आईएमएफ केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान, आईएमएफ केन्द्रों को 30.26 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई।

(कग) अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र

1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (गगग) के अधीन विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर स्वायत्त केन्द्र स्थापित करता हैं, जिन्हें अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र कहते हैं। इन केन्द्रों को स्थापित करने के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ऐसे विश्वविद्यालयों को साझी केन्द्रीकृत सुविधाएं/सेवाएं सुलभ कराना जो बुनियादी ढांचे और अन्य इनपुटों के लिए बाहरी निवेश करने में समर्थ नहीं हैं।
- सारे देश में अध्यापकों और शोधकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम विशेषज्ञता सुलभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- अनुसंधान और अध्यापकों के समुदायों को ऐसे अधुनातन उपस्कर और उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाएं सुलभ कराना जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के मुकाबले की हों।

न्यूक्लियर विज्ञान केन्द्र ऐसा पहला अनुसंधान केन्द्र था जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। यूजीसी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने में भी रूचि रखता है। इसने ऐसा पहला केन्द्र, अर्थात मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अंतर-विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया है। इस केन्द्र का मुख्य प्रयोजन समसामयिक विकास मुद्दों की तरफ बहुविषयक्षेत्रीय दृष्टि से ध्यान देना होगा। आज की स्थिति में, विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत छः अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र काम कर रहे हैं। 2006-07 के दौरान, योजनागत और योजनेतर-दोनों के अधीन इन अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्रों को कुल मिलाकर 35.34 करोड रूपए का अनुदान प्रदान किया गया।

(कघ) अनुसंधान पुरस्कार

इस स्कीम के अधीन यूजीसी, अवार्ड प्राप्तकर्ता का पूरा वेतन सम्बन्धित संस्थान को दे देता है तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं, रसायनों और उपकरण सम्बंधी खर्च वहन करने के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 2.50 लाख रूपए तक का और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 4.00 लाख रूपए तक का अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है। 2006-07 के दौरान ऐसे अनुसंधान अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को जोकि विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत थे। अब तक 81.88 करोड रूपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

(कड.) एमिरिट्स अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों/सस्थानों के अनुसंधान एवं शिक्षणकार्यक्रमों में वर्षों से सकिय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं संस्थाओं के अत्यन्त योग्य, अनुभवी एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के लिए एमिरिट्स अध्येतावृत्तियों की स्कीम शुरू की थी। वर्ष 2006-07 के दौरान, विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत एमिट्रिस अध्येताओं को 52.70 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।

(कच) भारतीय राष्ट्रीकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जेआरएफ)

इस स्कीम के अधीन, जिन छात्रों/शोधर्थियों ने यूजीसी-सीएसआईआर, एसएलइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें विभिन्न संकायों से एमफिल/पीएचडी को पूरा करने के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान, इन कनिष्ठ अध्येत्ताओं के भुगतान के लिए 15-91 करोड रूपये की राशि खर्च की गई।

(कछ) एकल बालिका संतान हेतु इन्दिरा गाँधी पीजी छात्रवृत्तियां

इस स्कीम का उद्देश्य छात्रवृत्ति के माध्यम से ऐसी बालिकाओं को सहायता देना है जो अपने परिवार की इकलौती संतान है और छोटे परिवार के मानंदड का अनुसरण करने वाले अभिभावकों को लाभ पहुचाना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायता हेतु विशेषज्ञसमिति के माध्यम से 1200 स्लोटों की संख्या की तुलना में 1613 बालिकाओं का चयन किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित छात्राओं में छात्रवृत्ति की राशि का वितरण हेतु आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब तक, 1325 अभ्यर्थियों की राशि अनुमोदित की जा चुकी है और उन्हें वितरण हेतु बैंक को भेज दी गयी है। इनमें से, 900 चयनित छात्राओं के बैक एकाउंट में छात्रवृत्ति राशि भेज दी

गयी है ताकि वे स्मार्ट/केडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से अपनी राशि निकाल सकें। वर्ष 2006-07 की राशि आबंटित की गई है।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, अब राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, सम विश्वविद्यालय,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित एवं वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करना, उसे बढ़ावा देना एवं संचालित करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्शी सेवायें उपलब्ध कराना, राज्यों एवं केन्द्रों के वरिष्ठ स्तरीय प्रशासकों के साथ-साथ मुख्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एवं उन्हें निपुण बनाना अन्य एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अन्य देशों को विशेषकर एशियन क्षेत्र के देशों को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधायें उपलब्ध कराना, समाचार पत्र, पत्रिकायें और किताबें तैयार करना, उनका मुद्रण करना और उन्हें प्रकाशित करना, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता एवं अनुभव को अनय देशों के साथ बांटना, और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना।

विश्वविद्यालय के पास राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन और अन्तर विषयक क्षेत्रों में सुसज्जित पुस्तकालय/प्रलेखन केन्द्र है। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रबंध के क्षेत्र में यह संभवतः एशिया क्षेत्र, का सबसे सम्पन्न पुस्तकालयों में से एक है। यह संकाय,१ अनुसंधा विद्वानों एवं विभिन्न कार्यक्रमों के सहभागियों के साथ-साथ अन्तर-पुस्तकालय नेटवर्क के माध्यम से अन्य संगठनों के लिए भी उपलब्ध है। पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में सभी को पढने की अनुमति है। पुस्तकालय के पास 57,798 खण्डों से भी अधिक का संग्रह है, इसके पास 347 पत्रिकाओं की सदस्यता है और इसके पास पुस्तकों एवं लेखों का कम्प्यूटरीकृत सूची है।

वर्ष के दौरान रखे गए 53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना में संस्था ने वर्ष 2005-06 के दौरान 56 कार्यक्रम और वर्ष 2006-07 (नवम्बर, 2006) के 29 कार्यकम आयोजित किए। वर्ष 2006-07 की समाप्ति तक 24 और कार्यकम पूरे किए जाने की संभावना है। जैसाकि अनुमान लगाया गया था वर्ष के दौरान अब तक 1034 कर्मचारी लाभांवित हुए हैं।

3. भाषा विकास

भाषा ब्यूरो के प्रशासकीय नियंत्रण में 5 स्वायत्त संगठन कार्य कर रहे हैं जिनके नाम हैं:

(1) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

(2) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(3) राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद, बडोदरा

(4) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (सम विश्वविद्यालय) और

(5) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

ये सभी संगठन विभिन्न भाषाओं अर्थात संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन, उर्दू, हिन्दी, सिंधी आदि के प्रचार-प्रसार एवं विकास में लगा हुआ हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थाओं के समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत दिए गए नियमों तथा शर्तों के अनुसार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के आधार पर कार्य-निष्पादन किया है।

4. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, सरकार के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

क) बेहतर साहित्य को प्रकाशित करना और उसके प्रकाशन को प्रोत्साहित करना तथा ऐसे साहित्य को जनता को सस्ती दर पर उपलब्ध कराना;

ख) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकों को नियमित रूप से अंग्रेजी, हिंदी और संविधान में मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं में प्रकाशित करना।

ग) जनता में पुस्तकों को अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढाने के लिए पुस्तक सूची प्रकाशित करना, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित करना तथा अन्य आवश्यक उपाय करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, अन्य कार्यकलाप भी आयोजित करता है जिन्हें निम्नलिखित पांच मुख्य शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

1. विभिन्न आयु समूह के नाम पाठकों के लिए अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करना
2. उच्चतर शिक्षा वर्ग के लिए पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए लेखकों और प्रकाशकों को सहायता देना।
3. अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, सम्मेलन, पुस्तक प्रदर्शनियां और मेले तथा राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह आयोजित करना।
4. भारतीय पुस्तकों के निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा अन्य कार्यकलाप करने के लिए विदेश में पुस्तक प्रदर्शनियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले आयोजित करना; और
5. भारत की सभी भाषाओं में राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र के माध्यम से बच्चों के लिए मूल्यपरक पुस्तकों को तैयार करना तथा उनके लेखन को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कलकत्ता, मुम्बई और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय न्यास के प्रकाशनों की बिक्री तथा मार्केटिंग के लिए आवश्यक हैं। क्षेत्रीय कार्यालय को दिया गया मुख्य दायित्व पुस्तक व्यापार तथा सरकारी पुस्तक खरीद एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना है।

न्यास विभिन्न श्रृंखलाओं जैसे राष्ट्रीय जीव विज्ञान, भारत प्रदेश तथा लोग, युवा भारतीय पुस्तकालय, लोकप्रिय विज्ञान, नेहरू लाल पुस्तकालय, आदान प्रदान, विश्व साहित्य, लोकप्रिय सामाजिक विज्ञान, ब्रेल पुस्तकें आदि के अन्तर्गत विभिन्न आयु वर्गों के लिए सामान्य पठनीय सामग्री प्रकाशित करता है। 2005-06 के वित्तीय वर्ष के दौरान, न्यास ने वास्तविक पुनःमुद्रित शीर्षकों को मिलाकर 1344 शीर्षकों का प्रकाशन किया जबकि उसका लक्ष्य 650 शीर्षक प्रकाशित करना था।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निम्न पुस्तक प्रोन्नयन प्रकियाएं संचालित की जाती हैं।

क) पूरे देश में प्रत्येक वर्ष 14 से 20 नवम्बर तक राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया जाता है।

ख) अब तक हर दूसरे वर्ष मनाया जाने वाला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। सम्पूर्ण भारत से ही नहीं बल्कि समृद्ध प्रकाशन उद्योग वाले अन्य देश भी इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। 17वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 27 जनवरी से 4 फरवरी,

2006 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 250.00 लाख रूपए के अनुमानित बजट की तुलना में कुल व्यय राजस्व का शुद्ध 242.28 लाख रूपए था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कार्यों में बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के माध्यम से बाल साहित्य को प्रोन्नत करना, अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना, सम्पादन, विपणन, उत्पादन, अभिकलपना इलेक्ट्रोनिक, प्रकाशन, कापीराइट आदि विषयों पर लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, सेमिनार/कार्यशालाएं तथा चलती फिरती प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2006 में फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेलों प्राधिकरण ने भारत को एफएसबीई 2006 के लिए अतिथि देश घोषित किया। न्यास को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुख्य अतिथि प्रस्तुतीकरण के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में अभिहित किया गया।

5. इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में संसदीय अधिनियम (1985 के 50वें) के द्वारा स्थापना की गई थी। उस समय से अब तक, इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने तेजी से विस्तार किया है और मुक्त दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में प्रकट हुई है। इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लक्ष्य हैं:

क) देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए रोजगार की आवश्यकता से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को बढावा देना;

ख) जनता के बहुत बडे भाग, विशेषतः समाज के अलाभकारी भाग, को उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना;

ग) ज्ञान के स्तर को प्रोन्नत करना तथा नवाचार एवं अनुसंधान के संदर्भ में प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना;

घ) सीखने की गति, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए पात्रता, दाखिले की आयु, उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए परीक्षाओं का संचालन तथा कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण के संबंध में उदार तथा मुक्त और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पद्धति में नवाचार को प्रोत्साहन देना;

ड.) मानकों के निर्धारण हेतु ओपन तथा दूरस्थ अधिगम प्रणाली का समन्वय, प्रोन्नयन, पहुंच तथा प्रत्यायन; और

च) शिक्षा की सभी पद्धतियों के अभिसारण के द्वारा मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

11 अध्ययन विद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिए इस समय लगभग 1.7 मिलियन छात्र नामांकित है इनमें डाक्टोरल से सर्टिफिकेट जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार आतिथ्य प्रबंध तथा सूचना प्रौद्योगिकी से जागरूकता कार्यक्रम जैसे ग्रामीण दस्ताकारी और एचआरवी/एड्स। पूरे देश में, विश्वविद्यालय के पास 59 क्षेत्रीय केन्द्र (जिनमें 8 पूर्वोत्तर क्षेत्र, 5 आर्मी, 8 वायु सेना, 4 नौसेना, 1 असम राईफलस और 7 सीआरपीएफ) 6 उप-क्षेत्रीय केन्द्र और 1428 शिक्षा केन्द्र (57 पंजीकृत शिक्षा केन्द्र जिनमें आर्मी, नौसेना, और असम राइफल्स शामिल है) इसके अतिरिकत विश्वविद्यालय के पास 5 साझेदार संस्थाएं, चेन्नई में 6 संस्थाओं के अन्तर्गत मेल जोल तथा, 151 सीडब्ल्यूडीएल डाउन-लिंकिंग केन्द्र शामिल हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के पास, 32 देशों में 37 साझोदार संस्थाएं हैं। वर्ष 2005-06 में आवर्ती खर्च पैटर्न का औसत इकाई लागत प्रति छात्र 4435 रूपये था।

इग्नू का एक अन्य केन्द्र बिन्दू पूर्वोत्तर राज्यों के शैक्षिक विकास करना भी है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए वार्षिक योजना परिव्यय का 10 प्रतिशत अनन्य रूप से 8 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना किया गया है।

इग्नू व्यापक रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीयों (आईसीटी) का प्रयोग करता है। स्वयं सहायक मुद्रित सामग्री के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अपना कार्यक्रम ऑडियो/वीडियो टेप, टेलीकान्फ्रेसिंग, ज्ञान वानी (एफ एम रेडियो), ज्ञान दर्शन (शैक्षिक टीवी चैनल) और कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करता है। महामहिम भारत के राष्ट्रपति डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा अक्तूबर, 2006 में शुरू किए गए इन स्टोप एजुकेशन पोट्रल (कम्प्यूटर नेटवर्क प्रौद्योगिकी) जिसका अनन्य रूप से प्रयोग इग्नू अपने छात्रों को शिक्षा एवं ज्ञान संसाधनों को प्रदान करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप करेगा।

इग्नू ज्ञान दर्शन के बैनर तले चार शैक्षिक टीवी चैनल के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ज्ञान दर्शन चैनल इनसैट 3 सी के सी बैण्ड ट्रान्स साझेदर का प्रयोग करती है जो पूर्णत डिजिटाइज्ड है। इनमें से जीडी-। एक 24 घंटे चलने वाला एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षिक चैनल है जो राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इग्नू और एनसीईआरटी/सीआईईटी जैसी संस्थाओं का एक सहयोगी उपक्रम है। विश्वविद्यालय द्वारा जीडी2 चैनल का प्रयोग टेलिकाउंसलिंग, टेलिप्रशिक्षण,टेलिकन्वोकेशन के लिए अन्योन्य कियापूर्ण चैनल के रूप में किया जा

रहा है। इसके तहत देश भर में डाक्टरेक्ट रिसिवर सेटों (डीआरएस) से संचालित विभिन्न केन्द्रों पर जमा छात्रों को शिक्षकों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा संबंधित किया जाता है। इसका प्रयोग पाक्षिक रूप से कार्यकारी क्षेत्रीय केन्द्रों के बीच अर्न्तसम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। जी.डी.3, जिसको 'एकलव्य' चैनल भी कहा जाता है, देश ीार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य इंजीनियरिंग के छात्रों के लाभ के लिए नितान्तः तकनीकी शिक्षा के प्रति समर्पित है। जीडी4, जोकि व्यास चैनल के नाम से जाना जाता है। पाठ्यचर्या आधारित उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित करता है।

इग्नू महिला छात्रों के लिए अनेक शैक्षिक कार्यक्रम का भी संचालन करता हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इग्नू में करीब 125 काग्रकमों में 250897 (4,29,542) छात्रों का नामांकन हुआ था। इन नामंकित छात्रों में अनुमानतः 35 प्रतिशत छात्र महिला और 24 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग हैं। देश के विभिन्न भागों में करीब 800 आडियों और 2000वीडियों प्रोग्राम पेय किए गए और 289 नए अध्ययन केन्द्रों को बनाए गए। आलोच्य वर्ष के दौरान छात्रों के लिए 23 नए प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया। दिसम्बर, 2006 तक देश के विभिन्न भागों में 16 एफएम रेडियो स्टेशन खोले गए और जुलाई 2007 तक 11 अतिरिक्त स्टेशन खोले जाने की संभावना है। विश्वविद्यालय 4 ज्ञान दर्शन चैनल संचालित करता है जिसमें 3 चैनल 24 घंटे प्रसारित होता है वहीं एक चैनल सम्पूर्ण टेलीकॉन्फेरिंग के लिए समर्पित है। वर्तमान वर्ष के दौरान, इग्नू 4 नए कार्यक्रमों को शामिल किया है। क्षेत्रीय केन्द्र और अध्ययन केन्द्र नेटवर्क क्रमशः 58 से 59 तथा 1331 से 1438 तक बढ़ा दिया गया है। 9 स्थित समूहों के लिए 211 विशेष केन्द्र के तुल्य अध्ययन केन्द्र नेटवर्क की स्थापना हुई।

दूरस्थ शिक्षा परिषद तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

इग्नू के प्राधिकारी के रूप में दूरस्थ शिक्षा परिषद इग्नू अधिनियम, 1985 के सांविधि 28 के तहत एक उच्च निकाय है जो देशभर में मुक्त और दूरस्थ प्रणाली में प्रोन्नयन, समन्वय और मानकों के अनुसरण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मुक्त और दूरस्थ प्रणाली के तहत देश भर में 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 119 अन्य दूरस्थ शिक्षा संस्थान है जो परंपरागत विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत आते है। अपने उद्देश्य के अनुपालन में दूरस्थ शिक्षा परिषद परंपरागत विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करने और मानकों का निर्धारण करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। दूरस्थ शिक्षा परिषद, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा

संस्थानों को वित्तीय, शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2006-07 के दौरान, दूरस्थ शिक्षा परिषद 31 दिसम्बर, 2006 तक 12 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयो तथा 52 दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को 22.40 करोड रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करके सहायता की है।

राष्ट्रमंडल शिक्षण (सी.ओ.एल.)

राष्ट्रमंडल शिक्षण (सीओएल) की स्थापना वर्ष 1988 में राष्ट्रमंडल देश के सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन के द्वारा हुई थी। भारत सीओएल की स्थापना के लिए 1 मिलियन (250 लाख रूपये) की एकमुश्त रखा था। सीओएल के लिए 250 लाख का भेजा गया था। वर्ष 1995-96 से प्रत्येक वर्ष भारत सीओएल के लिए अपना अंशदान प्रदान करता है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों द्वारा सीओएल को स्वैच्छिक रूप से निधियाँ प्रदान की जाती है और भारत का स्थान दाताओं में यू.के. एवं कनाडा के बाद तीसरा है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष (2006-07) के दौरान सीओएल को प्रत्येक वर्ष भारत 2.46 करोड रूपये का अंशदान दिया है। वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय अंशदान के 50 प्रतिशत (1.23 करोड रूपये) नई दिल्ली में सीओएल के बैंक खाता में जमा किया गया हैं और शेष राशि (1.23 करोड रूपये) कैनेडियन डॉलर में सीओएल को भेजा गया है। सीओएल ने शासी परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व सचिव (उच्चतर शिक्षा) करते हैं।

सीओएल शैक्षिक सामग्री, दूरंसचार तथा प्रौद्योगिकी, सूचना सेवा में लोक प्रशिक्षण जैसा कार्यकलापों में अपना ध्यान केन्द्रित करता है। भारत के संबंध में सीओएल का मुख्य उद्देश्य इग्नू राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों, और राष्ट्रीय मुक्त स्कूलिंग संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) को परामर्शी सत्र सजोसमान, स्टडी विजीट, कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान फेलोशिप आदि प्रदान करके सहायता प्रदान करना है।

6. **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.), नई दिल्ली।**

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोन्नत करने विभिन्न विषयों का सुदृढ़ीकरण करने, अनुसंधान की मात्रा एवं गुणवत्ता का विस्तार करके और इसका उपयोग राष्ट्रीय नीति निर्माण करने के लिए की गई थी। इस उद्देश्य के लिए परिषद ने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए उपयुक्त आधारिक तंत्र के विकास की परिकल्पना की थी जिसमें संस्थात्मक बुनियादी ढांचा, अनुसंधान प्रतिभा की पहचान, अनुसधान कार्यक्रम का निर्धारण, व्यवसायिक संगठनों को सहायता और अन्य देशों में समाज वैज्ञानिकों के साथ सम्बंध स्थापित करना शामिल है। आईसीएसएसआर देश भर में फैले 27 अनुसंधान संस्थानों को अनुरक्षण और विकास अनुदान देती है।

स्थानीय प्रतिभाओं पर अनुसंधान और उनके विकास और विकेन्द्रीकृत तरीके से इसके कार्यकमों और कियाकलापों की सहायतार्थ क्षेत्रीय केन्द्रों को आईसीएसएसआर के विस्तृत भाग के रूप में स्थापित किया गया है। उक्त अवधि के दौरान परिषद के मुख्य कार्य निम्नवत हैं:-

(i) 25 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है;

(ii) विभिन्न वर्गों में 168 फैलोशिप प्रदान की गई;

(iii) 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए गए; और

(iv) वर्ष के दौरान 120 सेमीनार/कांफ्रेंस आयोजित की गई।

वर्ष 1976 से आईसीएसएसआर सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में अनुसंधान-सर्वेक्षण कर रहा है। सभी विषयों में सर्वेक्षणों की प्रथम सीरिज प्रकाशित हो चुकी है। आईसीएसएसआर इन सर्वेक्षणों को प्रत्येक पांच वर्षों में अद्यतन कर रहा है। छह प्रमुख विषयों नामतः अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान (लोक प्रशासन सहित), मनोविज्ञान, सामाजिक (सामाजिक मानव शास्त्र सहित), भूगोल और शिक्षा में अनुसंधान सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं और ये अंतिम चरणों में हैं। परिषद् अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मानव शास्त्र विषयों में सार और समीक्षाओं का अर्द्ध-वार्षिक जरनल, लोक प्रशासन के प्रलेखीकरण और भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा का छमाही जरनल प्रकाशित करता है। इस अवधि के दौरान 18 रिपोर्टें प्रकाशित की गई।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखीकरण केन्द्र भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, भारत में सीडी-रोम डाटाबेस की सूची और भारत में सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय और सूचना केन्द्रों जैसे मशीन द्वारा पढ़े जा सकने वाले डाटाबेस का विकास करने में लगा हुआ है। नासडॉक सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान सामग्री और कोर जरनल प्राप्त करता है, शिक्षाविदों को अनुसंधान दस्तावेजों की फोटोकापी सप्लाई करता है, अनुरोध पर शिक्षाविदों के लिए लघु ग्रंथसूची संकलित करता है और विभिन्न सी.डी.-रोम डाटाबेज से साहित्य की खोज करता है। नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से सूचना विज्ञान के प्रोफेशनलों को सुपरिचित बनाने हेतु नासडॉक में 120 शिक्षाविदों को अध्ययन अनुवाद प्रदान किए, 40 सामाजिक विज्ञान डाटाबेस प्राप्त किए और ग्रंथसूची अध्ययन तैयार करने के लिए 18 व्यक्तियों को अनुदान दिए।

ग) ज्ञान के स्तर को प्रोन्नत करना तथा नवाचार एवं अनुसंधान के संदर्भ में प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना;

घ) सीखने की गति, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए पात्रता, दाखिले की आयु, उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए परीक्षाओं का संचालन तथा कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण के संबंध में उदार तथा मुक्त और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पद्धति में नवाचार को प्रोत्साहन देना;

ड.) मानकों के निर्धारण हेतु ओपन तथा दूरस्थ अधिगम प्रणाली का समन्वय, प्रोन्नयन, पहुंच तथा प्रत्यायन; और

च) शिक्षा की सभी पद्धतियों के अभिसारण के द्वारा मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

11 अध्ययन विद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के लिए इस समय लगभग 1.7 मिलियन छात्र नामांकित है इनमें डाक्टोरल से सर्टिफिकेट जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार आतिथ्य प्रबंध तथा सूचना प्रौद्योगिकी से जागरूकता कार्यक्रम जैसे ग्रामीण दस्ताकारी और एचआरवी/एड्स। पूरे देश में, विश्वविद्यालय के पास 59 क्षेत्रीय केन्द्र (जिनमें 8 पूर्वोत्तर क्षेत्र, 5 आर्मी, 8 वायु सेना, 4 नौसेना, 1 असम राईफलस और 7 सीआरपीएफ) 6 उप-क्षेत्रीय केन्द्र और 1428 शिक्षा केन्द्र (57 पंजीकृत शिक्षा केन्द्र जिनमें आर्मी, नौसेना, और असम राइफल्स शामिल है) इसके अतिरिकत विश्वविद्यालय के पास 5 साझेदार संस्थाएं, चेन्नई में 6 संस्थाओं के अन्तर्गत मेल जोल तथा, 151 सीडब्ल्यूडीएल डाउन-लिंकिंग केन्द्र शामिल हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के पास, 32 देशों में 37 साझोदार संस्थाएं हैं। वर्ष 2005-06 में आवर्ती खर्च पैटर्न का औसत इकाई लागत प्रति छात्र 4435 रूपये था।

इग्नू का एक अन्य केन्द्र बिन्दू पूर्वोत्तर राज्यों के शैक्षिक विकास करना भी है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए वार्षिक योजना परिव्यय का 10 प्रतिशत अनन्य रूप से 8 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना किया गया है।

इग्नू व्यापक रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीयों (आईसीटी) का प्रयोग करता है। स्वयं सहायक मुद्रित सामग्री के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अपना कार्यक्रम ऑडियो/वीडियो टेप, टेलीकान्फ्रेसिंग, ज्ञान वानी (एफ एम रेडियो), ज्ञान दर्शन (शैक्षिक टीवी चैनल) और कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करता है।

एनसीआरआई ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण विकास के 5 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करता है नामतः (i) स्वास्थ्य (ii) ग्रामीण जल सप्लाई, (iii) संचार और आई डी, (iv) गैर-परंपरागत ऊर्जा, (v) खेती के उपरांत और बीज प्रौद्योगिकी। ये सेवा-कालीन सेक्टर हैं जिनमें उच्चतम रोजगार अवसर और संभावनाएं हैं जो विकसित ग्रामीण जीवन यापन और उनके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे। इन लक्ष्यों को यूजीसी, एआईसीटीई जैसे नीतिगत निकायों के साथ नेटवर्किंग और समन्वय और सीएसआईआर, आईसीएआर आदि को आर एण्ड डी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एनसीआरआई सहायता और वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की पहचान कर रहा है जिन्हें उपयुक्त संस्थाओं जिनमें सर्वाधिक संगठन शामिल है द्वारा आरंभ किया जाना है। पूर्ण रूप से 18 संस्थाओं को सहायता देने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 81.06 लाख और वर्ष 2006-07(दिसम्बर 06) के दौरान 202.92 लाख रूपए के अनुदान जारी किए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के त्रिपुरा राज्य के लिए एक परियोजना भी संस्वीकृत की गई। अब तक विभिन्न संगठनों/संस्थाओं को 80.71 लाख रूपए (दिसम्बर, 2006) की राशि जारी की गई है।

9. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास, मात्रात्मक विकास के सन्दर्भ में गुणवत्तात्मक सुधार को प्रोत्साहन और मानदण्डों तथा मानकों का अनुरक्षण करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद(एआईसीटीई) की स्थापना 1945 में की गई थी, जिसे बाद में संसद के एक अधिनियम द्वारा 1987 में सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था।

वर्ष 1997-98 के 562 डिग्री स्तरीय संस्थाओं के मुकाबले अनुमोदित इंजीनियरिंग कालेजों की कुल संख्या अब 1511 है। दाखिला क्षमता वर्ष 1997-98 के 134298 से बढ़कर अब 5,50,986 हो गई है। एमसीए पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या 224 से बढ़कर 1003 हो गई है जिनमें 56805 दाखिले होते हैं। तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों की प्रत्यापन प्रकिया को तेज कर दिया गया है। वर्ष 2003-04 में 409 कार्यक्रम, वर्ष 2004-05 में 570 कार्यक्रम और वर्ष 2005-06 में 584 कार्यक्रम प्रत्यापित किए गए। वर्ष 2006-07 के लिए अब तक 280 कार्यक्रमों पर प्रत्यायन हेतु विचार किया जा रहा है।

एनबीए द्वारा पूरे संस्थान को प्रत्यायन प्रदान करने के बजाय कार्यक्रम स्तर पर जैसे दसवीं के पश्चात् 3-वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम, 10+2 के पश्चात् 4 वर्ष का स्नातक पूर्व इंजीनियरिंग कार्यक्रम और स्नातक डिग्री के पश्चात एम.ई./एम.टेक. के चार सेमिस्टर, प्रत्यायन प्रदान करने की नीति है। इन कार्यक्रमों को पांच वर्ष के लिए प्रत्यायन, तीन वर्ष के लिए प्रत्यायन और प्रत्यायन नहीं करना, प्रत्यायन स्तर के 1000 प्वांइट स्केल पर उनके द्वारा प्राप्त अंकों पर निर्भर करता है।

अनुसंधान और संस्थागत विकास ब्यूरो परिषद् का प्रमुख अंग है जो मूल अनुसंधान, उद्योग संवाद के विकास के लिए तकनीकी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और युवा शिक्षकों को उत्साह प्रदान करता है। इस बड़े मिशन की प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के पणधारियों को आकर्षित करने के लिए परिषद के पास कई योजनाएं हैं। इस वर्ष के दौरान पर्यवेक्षित और निधियन के लिए विचारित निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत परिषद् को कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

योजना	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
अनुसंधान प्रोत्साहन योजना	628	211
अप्रचलन का आधुनिकीकरण और निष्कासन	1314	195
औद्योगिक समन्वयन के साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय सुविधाएं	09	02
उद्यम प्रबंध और विकास	85	17
राष्ट्रीय समन्वय परियोजना	17	5
उद्योग-संस्थान भागीदारी सेल	67	15

दक्षताओं के उन्नयन और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए अवसर प्रदान करने के वास्ते एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के कैरियर विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित करती है, जैसेकि कोटि सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी), पाठ्यक्रम सामग्री माड्यूलों का निर्माण, अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा अध्यापकों के लिए कैरियर पुरस्कार, यात्रा अनुदान और सेमिनार अनुदान प्रदान करने के लिए स्कीमें आदि। एआईसीटीई ने अब मास्टर/पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने हेतु फार्मेसी, वास्तुशिल्प एवं नगर आयोजना, प्रबन्ध और अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प जैसे तकनीकी शिक्षा के अन्य विषयों में कार्यरत शिक्षकों पर भी क्यूआईपी योजना लागू कर दी है। इसके अलावा, यह योजना पालिटेक्निक शिक्षकों पर भी लागू कर दी गई है। सेवानिवृत्त

फैलोशिप स्कीम के अंतर्गत फैलोशिप और फुटकर अनुदान प्रदान करने के माध्यम से एआईसीटीई सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुसंधान कार्य जारी करने के वास्ते एक अवसर प्रदान करती है। युवा छात्रों को अध्यापन वृत्ति के प्रति आकृष्ट करने के लिए एआईसीटीई त्वरित संकाय पदार्पण कार्यक्रम (ईएफआईपी) भी चला रही है।

विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी जनशक्ति की अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग का अनुमान लगाने, मांग और आपूर्ति में संभावित अंतरालों का मूल्यांकन करने तथा क्रियाकलापों की भावी आयोजना के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण के संबंध में एआईसीटीई एक राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली(एनटीएमआईएस) का वित्तपोषण करती है। सम्प्रति, यह एनटीएमआईएस योजना सारे देश में स्थित 20 नोडल केन्द्रों में काम करती है।

परिषद ने शीर्षस्थ और सुस्थापित संस्थानों के ज्ञान का अन्य संस्थानों के साथ आदान-प्रदान करने के लिए एडुसेट के अधीन अभिज्ञान तकनीकी संस्थानों में 106 वास्तविक क्लासरूम स्थापित करने की दिशा में शुरूआत की है। चरणबद्ध रूप में इस योजना का विस्तार वांछित संस्थानों में किया जाएगा।

11. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी)

बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रूड़की में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी) की स्थापना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के अधीन 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों' के रूप में की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य है : इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना; संगत क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा अध्ययन में उन्नति और ज्ञान का प्रसार करना। ये संस्थान मूल विज्ञानों और मानविकी में शिक्षा और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

11.1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई की स्थापना, वर्ष 1958 में तत्कालीन सोवियत रूस सरकार के सहयोग और भागीदारी से यूनेस्को के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी जो देश में प्रौद्योगिकीय शिक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने, उद्योग के लिए उच्च कोटि की जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए देश में

स्थापित 7 प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है और इसका कार्य अधुनातन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना है।

जुलाई 2006 में संस्थान ने 598 स्नातकपूर्व, 2 वर्षीय एमएससी के लिए 119, एम.टेक. के लिए 539, पीएचडी के लिए 168, एमडेस. के लिए 47, एम. फिल के लिए 14 और एमएमजीटी के लिए 54 दाखिले किए।

अभी आईआईटी, बंबई में विभिन्न स्नातकपूर्व, स्नातकोतर और पीएचडी कार्यकमों के अंतर्गत छात्रों की संख्या लगभग 5270 है। अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय जनशक्ति के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने के लिए संस्थान ने अपने पी.एच.डी. कार्यकमों पर विशेष ध्यान दिया है। पी.एच.डी. कार्यकमों के लिए छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं। यह तथ्य कि उनमें से अधिकतर (60%) के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, यह देश की बढ़ती हुई तकनीकी जनशक्ति आवश्यकता के विषय में बहुत महत्त्व रखता है। वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 1296 डिग्रियां प्रदान की गईं; पी.एच.डी.(105), एम.टेक.(551), एम.एम.जी.टी. (47), एम.डी.ई.एस.(30), एम.फिल.(10), एम.एस.सी(128), एम.एस.(1), पी.जी.डी. आईआईटी(2) और बी.टेक.(422)।

इस अवधि के दौरान उद्योगों की तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सतत शिक्षा कार्यकम ने अपने कियाकलापों में वृद्धि दर्शायी है। दूरस्थ इंजीनियरिंग शिक्षा कार्यकम केन्द्र अब पूरी तरह से कार्यकारी हैं और आई.आई.टी, बंबई में इंजीनियरिंग कालेजों और तकनीकी संस्थाओं में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यकमों के प्रचार के लिए वी.सी.डी. और डी.वी.डी. प्रारूपों का विकास करता है। भारत में छह राज्यों में फैले 13 दूरस्थ केन्द्रों को एक साथ उपग्रह प्रसारण के लिए भी वीडियो पाठ्यकम प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस अवधि में सात भारतीय पेटेंट और एक पी.सी.टी. आवेदन फाइल किया गया और 2 पेटेंट प्रदान किए गए। पहली बार एक ट्रेडमार्क आई आई टी, बंबई का लोगो टेकफेस्ट पंजीकृत किया गया।

वेबएनसी, सीएनसी मशीनिंग के माध्यम से सामान्य रूप से बनाए जाने वाले प्रिसमेटिक भागों के उत्पाद डिजाइन और प्रणाली आयोजना के लिए इंटरनेट आधारित साफ्टवेयर को मार्किटिंग और इस्तेमाल के लिए उद्योग को अनुज्ञापित किया गया।

पेट्रोलियम और अन्य दहन से संबंधित पहले विकसित क्षेत्रों में ईधन दहन और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करने वाले उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया। औद्योगिक डिजाइन केन्द्र के संकाय द्वारा सीमेंट और अन्य सामग्री की पैकेजिंग के लिए नए डिजाइन विकसित किए गए और उन्हें इस्तेमाल करने वाले उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया।

11.2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

यह ब्रहमपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 285 हेक्टेयर के हरित क्षेत्र में स्थित है। अपनी स्थापना के बाद से इस संस्थान ने बहुत प्रगति की है। वर्ष 2006-07 की शुरूआत में आई आई टी, गुवाहाटी ने अपने अकादमिक कार्यक्रमों के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

जुलाई, 2006 में संस्थान ने कुल 692 छात्रों में से बी.टेक, बी.डी.ई.एस. और समेकित एम.एस.सी में 346, एम.टेक में 206, एम.एम.सी. में 77 और पी. एच.डी. में 63 को दाखिला दिया। संस्थान में इंजीनियरिंग फिजीक्स और गणित और कंप्यूटिंग में चार वर्षीय बी.टेक. कार्यक्रम आरंभ किए। सितंबर 2006 में कुल छात्र संख्या 1834 थी। संकाय की कुल संख्या 171 और गैर-शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या 280 थी।

आई.आई.टी, गुवाहाटी में स्थापन परिदृश्य प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है और वर्ष 2005-06 में कैंपस स्थापन बहुत अच्छा हुआ। कैंपस भर्ती के माध्यम से बी. टेक/बी.डी.ई.एस. के 97.4%, एम.टेक के 87.97% और एम.एस.सी 44.68% का स्थापन हुआ। उच्चतम वेतन पैकेज 24.41 लाख रूपए प्रति वर्ष था।

संस्थान ने संयुक्त अकादमिक और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस वर्ष राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, जापान; फिलीप्स अनुसंधान प्रयोगशालाएं, बंगलौर; सी-डीएसी और ई-आरनेट के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

11.3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के एक संस्थान के रूप में वर्ष 1959 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श को बढ़ावा देना है। इंजीनियरिंग डिजाइन में दोहरी डिग्री कार्यक्रम के लिए एक ग्राफिक आर्ट स्टूडियो, एक डेस्कटॉप वास्तविक प्रयोगशाला, एक मेकाट्रानिक्स प्रयोगशाला, वाहन गातिकी प्रयोगशाला का सृजन किया गया है। तीन विषयों नामतः विकास अध्ययन, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में एम.ए. डिग्री देने वाले मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एक नया पंचवर्षीय समेकित स्नातकोतर कार्यक्रम जुलाई, 2006 से आरंभ किया गया जिसमें छात्र संख्या 30 थी। जुलाई 2006 से टीवीएस मोटर्स, होसर के साथ समन्वय में आटोमोटिव टेक्नोलाजी में भी एक अन्य यूसर ओरिएन्टेड एम.टेक. कार्यक्रम आरंभ किया गया।

जुलाई, 2006 में कुल 1275 डिग्रियां प्रदान की गई; पीएचडी में 101, एमएस में 118, एमटेक में 459, एमबीए में 44, एमएससी में 78, दोहरी डिग्री में 98 और बी.टेक में 377 स्नातकों में : 50 क्यूआईपी उम्मीदवार (अन्य कालेजों से शिक्षक), 28 प्रायोजित उम्मीदवार और 66 यूओपी उम्मीदवार, 161 महिलाएं शामिल हैं जिनमें 18 पीएचडी, 19 एमएस, 65 एम.टेक, 14 एम.एस.सी. और 12 एम.बी.ए., 5 दोहरी डिग्रियों और 28 बी.टेक. छात्र शामिल हैं।

आई.आई.टी, मद्रास ने इस वर्ष बहुत से अनुसंधान किए। मध्यस्थ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जरनलों में लगभग 691 अनुसंधान पेपर प्रकाशित हुए और संकाय सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेसों में 742 पेपर प्रस्तुत किए गए।

सार्थक मुश्किलों को संबोधित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संकायों को एक-साथ लाने के लिए अंतः अनुशासनात्मक अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की हैं। 13 समूहों द्वारा आरंभ किए गए कार्यों में विभिन्न विभागों के लिए गए लगभग 15-20 संकाय शामिल हैं; विभिन्न संगठनों के 9 संकाय सदस्यों और 15 छात्रों को उत्तम पेपर/थीसिस पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 2005-06 में 15 पेटेंट फाइल हुए और 8 पेटेंट प्रदान किए गए।

वर्ष 2005-06 में कुल 283.80 मिलियन रूपयों के लिए 113 सकिय परियोजनाएं प्रायोजित की गईं। इस अवधि में कुल 132.4 मिलियन रूपयों के लिए 533 सकिय परामर्शी परियोजनाएं चालू की गईं। चालू वर्ष 2006-07 में सितंबर,

2006 तक 251.9 मिलियन रूपयों की 36 प्रायोजित परियोजनाएं और 11301 मिलियन रूपए की 216 परामर्शी परियोजनाएं प्राप्त की गई। आई.आई.टी.एम. में केटालाइसिस रिसर्च के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की गई जिसके लिए डी.एस. टी. ने 160.5 मिलियन रूपए प्रदान किए। इस वर्ष उद्योग के साथ समन्वय के लिए औद्योगिक सम्मिलन योजना में 258 सदस्य हैं। इस वर्ष औद्योगिक सहयोग सदस्यों के लाभार्थ 6 तकनीकी मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उद्योगों में काम करने वाले प्रोफेशनल और अन्य तकनीकी संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लाभ के लिए सतत शिक्षा केन्द्र कियाकलापों को सक्रिय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। चालू वर्ष में सितंबर 2006 तक सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 26 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए और अन्य संस्थाओं से 694 संकाय सदस्यों ने भाग लिया। इस वर्ष में पुस्तक लिखने की योजना के अंतर्गत 5 पुस्तकें प्रकाशित की गई। इस योजना के अंतर्गत हमारे संकाय द्वारा अब तक 46 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

देश में अन्य इंजीनियरिंग संस्थाओं के मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में आई.आई.टी.एम. एक अहम भूमिका निभाता है। अभी इस संस्थान में कुल 90 क्यू. आई.पी. शिक्षाविद्,73 पी.एच.डी. और 17 एम.टेक जिनमें पी.एच.डी. में 12 महिलाएं और एम.टेक में 5 महिलाएं शामिल हैं। शिक्षाशास्त्र और अध्ययन कौशल के क्षेत्रों में ई.एफ.आई.पी. और क्यू.आई.पी. परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

आई.आई.टी.एम द्वारा समन्वित सभी आई.आई.टी और आई आई एस सी सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वृद्धि अध्ययन का राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने 3 सितंबर 2006 को वीडियो और वेब के माध्यम से लगभग 300 पाठ्यक्रम जारी किए। इन पाठ्यक्रमों को भारत में सभी इंजीनियरिंग और प्रबंध संस्थाओं में इमदादी दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे देश में तकनीकी शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी।

11.4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईटीडी)

1961 में इंजीनियरी कालेज के रूप में स्थापित इस संस्थान को "प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1961 के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व के एक संस्थान के

रूप में घोषित किया गया और इसे 1963'' में 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली' का नाम दिया गया।

यह संस्थान विज्ञान और इंजीनियरी विषयों में अवरस्नातक और स्नातकोत्तर - दोनों स्तरों के अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनमें ये शामिल हैं : इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के नौ विषयक्षेत्रों में एक चार-वर्षीय बी.टेक. कार्यक्रम, पांच क्षेत्रों में पांच-वर्षीय दोहरी डिग्री कार्यक्रम, पांच-वर्षीय एकीकृत एम.टेक कार्यक्रम, तीन विषयों में दो वर्षीय एमएससी कार्यक्रम, इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, प्रबंध मानविकी और समाज विज्ञानों में 36 एमटेक कार्यक्रम, औद्योगिक डिजाइन में दो-वर्षीय एम. डिजाइन कार्यक्रम, दो एमबीए कार्यक्रम, छह क्षेत्रों में एमएस अनुसंधान कार्यक्रम। संस्थान अपने 13 विभागों और 9 अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से डाक्टोरल अनुसंधान के लिए भी अवसर प्रदान करता है।

संस्थान कोटि सुधार कार्यक्रम और सतत शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उद्योगों और सरकारी एजेंसियों के तकनीकी कार्मिकों व अन्य इंजीनियरी कालेजों के अध्यापकों में जागरूकता बढ़ाने और गुणवत्ता को उन्नत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवधि के दौरान, संकाय सदस्यों द्वारा अनेक अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों को विभिन्न विभागों में मास्टर और डाक्टोरल कार्यक्रमों में दाखिल किया गया। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कालेज शिक्षकों और उद्योग के कार्मिकों की आईटी दक्षताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से संस्थान के कंप्यूटर सेवा केन्द्र ने अनेक पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

शिक्षण और शैक्षणिक अनुसंधान के साथ-साथ आईआईटी, दिल्ली अनुसंधान और विकास कियाकलापों पर अधिक बल देता है। संस्थान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और सम्प्रति, विभिन्न सहयोगात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं।

11.5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (आई आई टी के)

संस्थान ने बी.टेक. एम.टेक. और साथ ही पीएच.डी. स्तरों पर कई नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। जीव वैज्ञानिक विज्ञानों और जैव-इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यक्रमों ने आईआईटी, कानपुर के शैक्षणिक कियाकलापों में एक नया आयाम जोड़ दिया है। संस्थान ने दोनों विज्ञानों और साथ ही इंजीनियरी में डाक्टोरल और एम.ए. स्तर के छात्रों के दाखिले में काफी वृद्धि कर दी है। शैक्षणिक कियाकलापों में

विज्ञान सामग्री को बढ़ाने के उद्देश्य से पाठ्यचर्या में विज्ञान वैकल्पिक स्कीम शुरू की गई।

भारत-फ्रांसीसी साइबर विश्वविद्यालय नामक एक अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परियोजना पैरिस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से हाथ में ली गई है। इस परियोजना में तीन क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की पेशकश किए जाने की परिकल्पना की गई है - इष्टतमीकरण, संगणात्मक द्रव गतिकी और सम्मिश्रण सामग्री। संस्थान ने एनपीटीएल स्कीम के अधीन वीडियो और साथ ही वेब-आधारित पाठ्यक्रम सामग्री के विकास के लिए अच्छा काम किया है।

संस्थान ने नवाचार और उद्भवन के लिए एसआईडीबीआई केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं और इसमें 7 उद्भवन यूनिट हैं। सभी आईपीआर मुद्दों पर इसी केन्द्र द्वारा कार्रवाई की जाती हैं। यह केन्द्र आईपीआर को राजस्व धारा में बदलने की अवधारणा को प्रोत्साहित कर रहा है।

11.6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की (आईआईटीआर)

विख्यात रूड़की विश्वविद्यालय को सितम्बर 2001 में आईआईटी, रूड़की के रूप में बदल दिया गया। उसके बाद से, संस्थान में बड़ी तेजी से उन्नति हुई है। संस्थान में 3929 छात्र दाखिल हैं जबकि संकाय सदस्यों की संख्या 340 और सहयोगी स्टाफ की संख्या 1250 है। संस्थान का मुख्य परिसर रूड़की (365 एकड़) में है और एक छोटा परिसर रूड़की से 50 किलोमीटर दूर सहारनपुर (25 एकड़) में है। ग्रेटर नोएडा में (10 एकड़) एक विस्तार केन्द्र का काम चल रहा है।

संस्थान 11 बी.टेक/बी.आर्क. कार्यक्रमों, 50 एमटेक/एमएससी कार्यक्रमों तथा तीन दोहरी डिग्री(बीटेक + एमटेक) कार्यक्रमों की पेशकश करता है। संस्थान के सभी 18 शैक्षणिक विभागों और 01 शैक्षणिक केन्द्रों द्वारा पीएच.डी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

संस्थान ने 2006-07 के दौरान अनेक नई पहलें कीं, जैसेकि इन कामों में अग्रणी होना, एक नया शैक्षणिक कार्यक्रम, उत्कृष्टता के नए क्षेत्र शुरू करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नए सहमति ज्ञापन, एमओयू के अधीन छात्र और संकाय विनिमय, इंटरनेट और पुस्तकालय संसाधन का सुदृढ़ीकरण, चार मंजिला केन्द्रीय वातानुकूलित पुस्तकालय के लिए नया अधुनातन भवन आधारिक तंत्र का सृजन, एक तीन कमरों/सूट वाला वीवीआईपी गैस्ट हाउस, समूह 'क' कर्मचारियों के लिए 56 यूनिटों का सात मंजिला परिसर। खेलकूद क्षेत्र का आधुनिकीकरण और अंतः आईआईटी क्षेत्र प्रतियोगिता, 2005 का आयोजन। परिसर में टेलीफोन और विद्युत

आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण तथा संस्थान के ग्रेटर नोएडा स्थित केन्द्र में निर्माण कियाकलापों की शुरूआत।

इसके अलावा, इस संस्थान ने लघु जल विद्युत, निर्धनों के पक्ष में आईटी पहलें और ई-अभिशासन, राजमार्ग विकास और यातायात प्रबंध, पारिस्थितिकीय मूल्यांकन, भूकम्प उपशमन और प्रबंध, रेलवे इंजीनियरी आदि क्षेत्रों में आर एंड डी परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा।

संकाय/विभागों की क्षमता/विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने उत्कृष्टता के तीन बहुविषय क्षेत्रीय केन्द्रों का सृजन किया है, अर्थात् परिवहन प्रणालियों के लिए केन्द्र, आपदा उपशमन के लिए प्रबंध, प्रबंध और नैनो-प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र ताकि इन क्षेत्रों में गहन अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

11.7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (आई आई टी, खड़गपुर)

खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी, खड़गपुर) की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के निमित्त की गई थी। चूंकि आई आई टी, खड़गपुर सभी आई आई टी में सबसे पुराना आई आई टी है, इसलिए उसने देश में तकनीकी शिक्षा के प्रति नजरिये में एक कान्तिकारी बदलाव लाने में अपेक्षित नेतृत्व प्रदान किया है।

यह संस्थान इंजीनियरी की 16 विभिन्न शाखाओं में बी. टेक (आनर्स) की, वास्तुशिल्प और क्षेत्रीय आयोजना में बी आर्क (आनर्स) की तथा पांच विज्ञान धाराओं में एम एस सी कार्यक्रमों की पेशकश करता है। बदलते हुए विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गुणवत्ता पर बल देते हुए पाठ्यक्रमों की अंतर्वस्तु बराबर संशोधित की जाती है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की उन्नति बहुत शानदार रही है। सम्प्रति, यह संस्थान ऐसे लगभग 50 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है जिनके बाद एम. टेक./एम. सी. पी. और एम. बी. एम., एम. एम. एस. टी. डिग्रियां प्राप्त होती हैं।

12. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की स्थापना 1909 में हुई थी। संस्थान ने 1911 में दो विभागों के साथ काम करना शुरू किया था और लगभग 9 दशकों की अवधि के दौरान इसने धीरे-धीरे उन्नति करके देश के भीतर उच्चतर अध्ययन के संस्थानों में अपनी मौजूदा अग्रणी स्थिति प्राप्त कर ली है यह संस्थान एक स्नातकोत्तर संस्थान है जो कि विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विभिन्न विषय

क्षेत्रों में कटिंग एज पर उत्तम शिक्षा प्रदान करता है और अनुसंधान तथा विकास में उत्कृष्टता का परिचय देता है। सम्प्रति, इसके भौतिक और गणितीय विज्ञानों, वैद्युत विज्ञानों, यांत्रिक विज्ञानों और सूचना विज्ञान और सेवाओं के 40 से अधिक विभाग तथा केन्द्र मौजूद हैं। संस्थान में 500 संकाय, 2000 छात्र और 1000 सहायक स्टाफ हैं। छात्रों-शिक्षक संकाय अनुपात ईर्ष्या करने योग्य है।

संस्थान एमई, एम टेक, एम डी, एम बी ए, एम एस सी (इंजीनियरिंग) और पी. एच. डी. डिग्रियों वाले उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम प्रदान करता हैं। विज्ञान संकाय में एक समेकित पी. एच. डी. कार्यक्रम देश के सर्वोत्तम वी एस सी स्नातकों को आकर्षित करता है। विज्ञान और युवा इजीनियरिंग फैलोशिप कार्यक्रम में युवा फैलोशिप कार्यक्रम युवा छात्रों को अनुसंधान कैरियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संस्थान की नई पहल है। इसी लक्ष्य हेतु डी एस टी के बी पी वाई कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी संस्थान राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट है। हाल के वर्षों में उपग्रह प्रौद्योगिकी, इंटरनेट विज्ञान और इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल विज्ञान शामिल हैं।

13 अटल विहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान (एबीवी-आईआईआईटीएम), ग्वालियर

एबीवी-आईआईआईटीएम, ग्वालियर की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 1966 में की गई थी। शैक्षणिक कार्यक्रम वर्ष 1998-99 में शुरू किए गए थे। संस्थान द्वारा किए गए शैक्षणिक प्रयोग में आईटी को बुनियादी प्रबंधकीय कार्यों के साथ जोड़ दिया जाता है जिसकी उद्योग जगत द्वारा अत्यधिक सराहना की जाती है। संस्थान के लक्ष्य इस तरह रखे गए थे ताकि सूचना विज्ञान और प्रबंध विकास के क्षेत्र में सीवनहीन एकीकरण के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श और व्यावसायिक विकास के लिए सुविधाएं उत्पन्न की जाएं। इस संस्थान को 26 मार्च, 2001 को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

संस्थान ने वर्ष 1998-99 में सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध में दो-वर्षीय एमबीए कार्यक्रम के साथ शुरूआत की थी। सम्प्रति, पंचवर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर दोहरे डिग्री कार्यक्रम में 92 छात्रों के दाखिले सहित यह संस्थान पांच एमबीए कार्यक्रमों और पांच एम.टेक कार्यक्रमों की पेशकश करता है। इस संस्थान में पी.एच. डी. कार्यक्रम भी है जिसकी वर्तमान क्षमता 584 है। ये सभी कार्यक्रम अंतः विषयक्षेत्रीय प्रकृति के हैं। 2 छात्र पी.एच.डी कार्यक्रम कर रहे हैं। संस्थान में आईटी, प्रबंध और एमडीपी और सतत शिक्षा विभाग हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम समकक्ष अधिगम, परामर्श, केश टूल्स, सामूहिक अध्ययन और सहकारी अध्ययन सहित अनेक शिक्षाशास्त्रीय नवाचारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

14. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी), इलाहाबाद

संस्थान की शुरूआत वर्ष 1999-2000 के दौरान 60 छात्रों की क्षमता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में बी. टेक. कार्यक्रम के साथ की गयी थी। वर्तमान में इसमें 970 छात्र हैं। वर्तमान में यह संस्थान बी. टेक. (आई टी), बी. टेक. (इलैक्ट्रानिक और दूरसंचार) इंटेलीजेंट प्रणाली, साफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायोइन्फोरमेटिकस, वायरलैस दूरसंचार तथा कम्प्यूटिंग, डिजीटल डिजाइन और सिग्नल प्रसंस्करण में एम. टेक. पाठ्यक्रम चला रहा हैं। इसमें 377 (6 प्रारंभिक पाठ्यक्रमों सहित) और 48 स्नातकोत्तर कार्यक्रम शामिल हैं।

संस्थान ने बी. टेक. में 60 छात्रों की क्षमता के साथ वर्ष 2005-06 सत्र से अमेठी में एक विस्तार केन्द्र की भी स्थापना की है। वर्ष 2006-07 से नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र ने एम. बी. ए. (आई टी) और लघु-अवधि कार्यक्रमों की शुरूआत की है। इस प्रकार यह विस्तार केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह ग्रामीण विकासोन्मुखी है।

16. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

विशेष रूप से डिजाइन और विनिर्माण में अत्यंत कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। यह संस्थान एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है। संस्थान की परिकल्पना उत्कृष्टता के एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरने की है जोकि भारतीय उत्पादों और विश्व बाजार की विनिर्मितियों को सुकर बनाएगा और उनके प्रतियोगात्मक लाभों को बढ़ावा देगा।

यह संस्थान समूचे विश्व में उद्योग जगत के कला दृष्टिकोण, उपकरणों, प्रकिया तथा पद्धतियों का प्रयोग करते हुए डिजाइन तथा विनिर्माण को सम्मिलित करते हुए उत्पाद जीवन चक प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक अंतर शिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करेगा। यह आटोमोबाइल, एरोस्पेस तथा रक्षा, उद्योग मशीनरी, इंजीनियरिंग सेवाएं, उच्च-तकनीक इलैक्ट्रानिक, उपभोक्ता स्थायित्व इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति से निपटेगा।

छात्रों की कुल संख्या लगभग 1200 होगी। प्राध्यापकों की संख्या लगभग 120 होगी। विनिर्माण का पहला चरण जिसमें (i) लेक्चर हाल और ट्यूटोरियल कक्षा काम्पलेक्स (ii) लड़कों के 2 छात्रावास प्रत्येक 330 की क्षमता वाले, और (iii) प्रमुख प्रयोगशालाएं शामिल हैं। छात्रों के पहले बैच ने अप्रैल-मई, 2006 में अपने दूसरे

सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूरा किया। संस्थान ने 2006 में अपने स्नातकपूर्व छात्रों के दूसरे बैच की भर्ती कर ली है।

17. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर एस) कोलकाता तथा पुणे

प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने प्रो. सी. एन. आर. राव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 4 मार्च, 2005 को आयोजित अपनी पहली बैठक में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को समर्पित दो नए संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की जिनकी स्थापना पुणे तथा कोलकाता में की जानी है और उनके नाम 'भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान' रखे जाने हैं।

इन संस्थानों के दृष्टिकोण में उच्चतम विद्ववत्ता के अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना को शामिल किया गया है जिसमें मौलिक विज्ञान में अध्यापन तथा शिक्षा अनुसंधान के साथ पूर्णतः समेकित होगी। ये संस्थान अनुसंधान के एक बौद्धिक वातावरण में विज्ञान में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर अध्यापन में पूर्णतः समर्पित होंगे। ये संस्थान विज्ञान के समेकित अध्यापन तथा अध्ययन में अवसर उपलब्ध करवा कर मौलिक शिक्षा में शिक्षा तथा कैरियर को अधिक आकर्षक बनाएंगे और पारंपरिक शिक्षण के अवरोधों को तोड़ेंगे। इन संस्थानों के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः-

1. मौलिक विज्ञान में गुणवत्ता शिक्षा तथा अनुसंधान पैदा करना
2. उच्च-गुणवत्ता वाले शैक्षणिक प्राध्यापक वर्ग को आकर्षित करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना।

18. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. टी.)

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों का दिनांक 14 मई 2003 की राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थानों के रूप में पुनः नामकरण किया गया है। इन सभी संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्थानों के रूप में अपनाया गया था। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार ने 3 नए संस्थानों नामतः बिहार इंजीनियरिंग कालेज, पटना, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर और त्रिपुरा इंजीनियरिंग कालेज अगरतला की अपना लिया है और इन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार वर्ष 2006 तक एन आई टी की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है।

18.1 मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

संस्थान में आठ विभाग हैं। संस्थान सिविल, विद्युत, यांत्रिक, कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक्स, उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरी, केमिकल इंजीनियरिंग,

बायो-टैक्नोलॉजी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयक्षेत्रों में चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है। साथ ही, यह संस्थान 13 एम.ई. कार्यक्रमों, मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), मास्टर आफ मैनेजमेंट स्ट्डीज (एमएमएस) कार्यक्रमों की पेशकश भी करता है। अवरस्नातक धारा में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 530, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 350, एमसीए और एमबीए प्रत्येक में 60 तथा एमएमएस में 30 हैं। साथ ही, संस्थान में पीएचडी कार्यक्रम के लिए भी सुविधा है। संस्थान की वेबसाइट का पता www.mnnit.ac.in है।

18.2 मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

संस्थान में आठ विभाग हैं। यह संस्थान सिविल इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयक्षेत्रों में चार-वर्षीय बीई पाठ्यक्रमों की तथा पंचवर्षीय बी.आर्क पाठ्यक्रम की पेशकश करता है। अवर-स्नातक पाठ्क्रमों में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 450 है। चालू वर्ष के दौरान पांच नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। यह संस्थान 530 छात्रों की क्षमता के साथ नियमित तथा पार्ट-टाइम से 24 विशिष्ट एम.टेक. पाठ्यक्रम भी चलाता है। संस्थान ने वर्ष के दौरान एम.सी.ए. तथा एम.वी.ए. पाठ्यक्रमों में 120 छात्रों को प्रवेश दिया है। संस्थान ने उद्योग जगत में पेश आने वाली यथार्थ समस्याओं पर काम करने और अर्जित उपयोगी अनुभव को छात्रों तक पहुंचाने के लिए दो समस्योन्मुखी अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जिनमें से एक तरल यांत्रिकी और द्रवीय यांत्रिकी में और दूसरी भारी विद्युत यांत्रिकी में है। संस्थान में 1 लाख पुस्तकों सहित एक उत्तम पुस्तकालय मौजूद है। स्टाफ सदस्यों द्वारा विभिन्न विख्यात राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 90 अनुसंधान लेख प्रकाशित कराए गए। संस्थान द्वारा 17 अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। संस्थान की वेबसाइट का पता www.manit.nic.in है।

18.3 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

संस्थान के आठ विभाग हैं। संस्थान सिविल इंजीनियरी, केमिकल इंजीनियरी, वास्तुकला (आर्क) इंजीनियरी, विद्युत और इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी, उत्पादन इंजीनियरी तथा प्रबंध, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी में चार-वर्षीय अवस्नातक पाठ्यक्रम की और एक पंचवर्षीय बी. आर्क पाठ्यक्रम की पेशकश करता है। साथ ही, यह संस्थान 11 विभिन्न विशेषज्ञताओं में डेढ़ वर्षीय एम. टेक की डिग्री भी संचालित करता है। उपर्युक्त के अलावा, संस्थान तीन वर्षीय (6 सेमेस्टर) एमसीए कार्यक्रम भी चलाता

है। सिविल, सूचना, सुरक्षा, वी.एल.एस.आई. डिजाइन तथा कम्प्यूटर नियंत्रित औद्योगिक विद्युत के क्षेत्र में चार नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की भी स्वीकृती प्रदान की गयी है। संस्थान सभी विषयों में पीएच. डी कार्यक्रम संचालित करता है। संस्थान में सक सुसज्जित पुस्तकालय है, जिसमें 79,160 पुस्तकें और 7,802 बीआईएस विशिष्टियां हैं। यह संस्थान 261 विदेशी पत्रिकाएं, 95 भारतीय पत्रिका और समाचारपत्र मंगाता है। पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के एक अंग के रूप में डिजिट्ल पुस्तकालय शुरू किया गया है। पुस्तकालय के स्वचालित पुस्तकालय शुरू किया गया है। पुस्तकालय के स्वचालित पुस्तकालय और अभिलेखों का नेटवर्क अर्थात नालन्दा की शुरूआत से पुस्तकालय ने प्रयोक्ताओं को अधुनातन जानकारी प्रदान करनी शुरू कर दीं। इंजीनियरी विषयों पर इलेक्ट्रोनिक्स की 100 से अधिक पुस्तकों के पूर्ण पाठ नालन्दा वेबसाइट के माध्यम से सुलभ हैं। संस्थान की वेबसाइट का पता www.nitc.ac.in है।

18.4 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

यह संस्थान सिविल, विद्युत, यांत्रिकी, रासायनिक, धातुकर्मीय, इलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, बायोटेक्नोलाजी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों में चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान में एमबीए और एमसीए के विषयों में एम.टेक. पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान विदेशी छात्रों के लिए 120 सीटों वाला लड़कों का एक छात्रावास, 120 सीटों वाली प्राध्यापक वीथियों में से तीन, कम्प्यूटर केन्द्र विस्तार, विद्युत मशीन प्रयोगशाला, हैड विद्युत प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। इसके अलावा, सी-एनएएनसीई के तत्वावधान में रासायन शास्त्र और धातुकर्मीय इंजीनियरी विभाग द्वारा दो अलग पाठ्यक्रम चलाए गए। संस्थान की वेबसाइट की पता www.nitdgp.ac.in है।

18.5 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर

इस संस्थान में पांच विभाग हैं। संस्थान सिविल, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स और संचार, कम्प्यूटर विज्ञान तथा यांत्रिकी इंजीनियरी जैसे विषयक्षेत्रों में चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रम संचालित करता है। संस्थान ने 2000-2001 के दौरान एक बी.आर्क पाठ्यक्रम शुरू किया है। उसने 4 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किया है संस्थान में एक सुसज्जित पुस्तकालय है और दाखिल छात्रों की कुल संख्या 400 है।

18.6 मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर

संस्थान नौ अवरस्नातक पाठ्यक्रम और नौ पूर्णकालिक और पांच अंशकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान सिविल, रासायनिक, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स और संचार, सूचना, यांत्रिकी और धातुकर्मीय इंजीनियरी में चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रम तथा एक पंचवर्षीय बी. आर्क पाठ्यक्रम की पेशकश करता है। संस्थान 10 पाठ्यक्रमों के तीन सेमेस्टर के पूर्णकालिक और पांच सेमेस्टर के अंशकालिक (स्व-वित्तपोषित) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम और एमएमएस अध्ययनों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान इलेक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर इंजीनियरी में जनशक्ति के विकास हेतु इम्पेक्ट परियोजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक, स्विस विकास निगम और भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय पुस्तकालय में 1,12,000 पुस्तकें, 12,700 पत्रिकाएं और वीडियो देखने की सुविधाओं सहित 1,000 से अधिक वीडियो कैसेट, बीआईएस मानक और संस्थान के आठ विभागों के लिए सीडी-रोम डाटाबेस उपलब्ध है। संस्थान की वेबसाइट का पता www.mnit.ac.in है।

18.7 डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर

संस्थान में 13 विभाग हैं और वह इन विषयक्षेत्रों में चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: रासायनिक और जैव-इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी (संरचनात्मक इंजीनियरी तथा निर्माण प्रबंध), कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी, औद्योगिक इंजीनियरी, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा नियंत्रण इंजीनियरी, चमड़ा प्रौद्योगिकी, यांत्रिकी इंजीनियरी (अभियांत्रिकी मशीन डिजाइन और स्वचलन) चीनी तथा वस्त्र प्रौद्योगिकी अवरस्नातक धारा में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 2000 हैं।

18.8 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, जो पूर्व में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जमशेदपुर के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1960 में की गई थी और इसे 27 दिसम्बर, 2002 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान में 13 विभाग हैं। यह संस्थान सिविल इंजीनियरी, अभियांत्रिकी, विद्युत, धातुकर्मीय और कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरी में 285 छात्रों के दाखिले सहित चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रम चलाता है। साथ ही यह संस्थान 61 छात्रों के दाखिले सहित स्नातकात्तर पाठ्यक्रम और 80 सीटों सहित एमसीए पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान में लड़कों के लिए 9 और लड़कियों के लिए एक छात्रावास है। संस्थान में एक सुसज्जित पुस्तकालय है।

18.9 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र

यह संस्थान सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी, इलेक्ट्रोनिक्स औद्योगिकी इंजीनियरी तथा संचार इंजीनियरी और कम्प्यूटर इंजीनियरी में 540 छात्रों के दाखिले सहित सात अवर स्नातक पाठ्यक्रम चला रहा है। साथ ही, यह संस्थान इन विषयों में 369 छात्रों के दाखिले सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाता है। सम्प्रति, संस्थान में छात्रों की कुल संख्या 3500 है। संस्थान में फाइबर आप्टिक कम्पयूटर नेटवर्क निर्माण सहित एक सुसज्जित परिसर उपलब्ध है। संस्थान की वेबसाइट का पता www.reck.nic.in है।

18.10 विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

संस्थान में 13 विभाग हैं। संस्थान इन विषयों में चार-वर्षीय बीई पाठ्यक्रम की पेशकश करता हैः सिविल, रसायन, यांत्रिकी, विद्युत, धातुकर्मीय, खनन, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्यूटर विज्ञान, संरचनात्मक इंजीनियरी तथा पंचवर्षीय बी.आर्क पाठ्यक्रम। यह संस्थान अंशकालिक और नियमित पद्धति से 17 एम. टेक पाठ्यक्रम चलाता है। साथ ही, यह संस्थान औद्योगिक प्रबन्ध में एक एक-वर्षीय डिप्लोमा चलाता है। अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या 540 है जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या 280 है। लड़कों के लिए सात और लड़कियों के लिए एक छात्रावास है। संस्थान का उद्योग-संस्थान इंटरएक्शन सैल औद्योगिक क्षेत्र के साथ निकट तालमेल को बढ़ावा देने और पोषित करने और इसकी उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करता है। संस्थान की वेबसाइट का पता wwwvnitnagpur.ac.in है।

18.11 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

बिहार इंजीनियरी कालेज, पटना को केन्द्र सरकार द्वारा एक पूर्णतः वित्तपेषित संस्थान के रूप में अपने अधिकार में ले लिया गया है और 28 जनवरी, 2004 से इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना का नाम दे दिया गया है। आने वाले वर्षों में संस्थान का और आगे सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। संस्थान को अपने विकास के लिए योजनागत और योजनेतर स्कीम के अधीन अपेक्षित निधियां प्रदान कर दी गई हैं। वर्ष 2006-2007 में अवरस्नातक में दाखिल छात्रों की संख्या 183 से बढ़कर लगभग 800 हो गयी है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या 67 से बढ़कर 126 हो गयी है।

18.12 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, जो पूर्व में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1961 में की गई थी और इसे 26 जून, 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। संस्थान में 15 विभाग हैं और यह इन विषयक्षेत्रों में चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः रासायनिक सिविल, विद्युत, यांत्रिकी, धातुकर्मीय, खनन, अनुप्रयुक्त विज्ञान और इंजीनियरी तथा सिरेमिक इंजीनियरी। चार-वर्षीय बीई स्तर पर अवरस्नातक धारा में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 348 है। संस्थान 6 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा एक तीन-वर्षीय एमसीए की भी पेशकश करता है। संस्थान में लड़कों के लिए 6 और लड़कियों के लिए एक छात्रावास है। वर्ष 2006-07 के दौरान अवरस्नातक में 1500 और स्नातकोत्तर में 300 छात्रों को दाखिल दिया गया।

18.13 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर

यह संस्थान सिविल, विद्युत, यांत्रिकी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा दूरसंचार और कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी आदि जैसे विभिन्न इंजीनियरी विषयक्षेत्रों में ऐसे अवरस्नातक पाठ्यक्रम चला रहा है जिनके पूरा होने के बाद बीई/बी.टेक की डिग्रियां प्राप्त होती हैं। चालू वर्ष में संस्थान ने 300 नए छात्रों को दाखिला दिया जिसके साथ संस्थान में छात्रों की कुल संख्या 1200 तक पहुंच गई। संस्थान में सुसज्जित पुस्तकालय, कक्षाएं और प्रयोगशालाएं हैं।

18.14 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर

संस्थान इन विषयक्षेत्रों में चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः सिविल इंजीनियरी, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक तथा संचार इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी, रासायनिक और धातुकर्मी इंजीनियरी तथा संचार व रियाना प्रौद्योगिकी तथा यांत्रिकी प्रणाली डिजाइन एमई पाठ्यक्रम। यह संस्थान सभी विज्ञान विभागों और कुछ इंजीनियरी विभागों में एम.फिल तथा पीएच.डी कार्यक्रमों की पेशकश करता है। अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 400 है। पुस्तकालय और प्रशासन विभागों सहित विभिन्न विभाग प्रत्येक ब्लाक में 'नोवेल्ल नेटवेयर' के तहत अलग 'लान' नेटवर्क से जोड़ दिए गए हैं।

18.15 सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

संस्थान इन विषयों में चार-वर्षीय बी.ई. पाठ्यक्रम की पेशकश करता हैः सिविल, विद्युत यांत्रिकी, इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरी उत्पादन इंजीनियरी, कम्प्यूटर

इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी और रसायनिक इंजीनियरी। अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 510 है। यह संस्थान सात अलग-अलग विशेषज्ञताओं में प्रत्येक में 20 के दाखिले से एमई पाठ्यक्रमों की पेशकश भी करता है। विभागों में पीएच.डी कार्यक्रमों के लिए सुविधा है। संस्थान में लड़कों के लिए 6 और लड़कियों के लिए एक छात्रावास मौजूद है। संस्थान की वेबसाइट का पता www.svnit.ac.in है।

18.16 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरतकल

संस्थान इन विषय क्षेत्रों में 4 वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः सिविल, रसायनिकी, यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक, संचार इंजीनियरी, धातुकर्मी, खनन, कम्प्यूटर इंजीनियरी और सूचना प्रौद्योगिकी। आलोच्य वर्ष के दौरान अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 457 थी। संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी पेश करते है। इसमें 350 छात्रों ने दाखिला लिया। एमसीए कार्यक्रम में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 60 थी जबकि पीएच.डी कार्यक्रम में दाखिल छात्रों की संख्या 18 थी। संस्थान के पुस्तकालय में 1,00,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। संस्थान की वेबसाइट का पता www.nitk.ac.in है।

18.17 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली

संस्थान चार-वर्षीय अवरस्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः सिविल, कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरी, विद्युत और इलेक्ट्रोनिक्स, यांत्रिकी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार, धातुकर्मी और उत्पादन, रासायनिक इंजीनियरी, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा नियंत्रण इंजीनियरी और पांच-वर्षीय बी.आर्क पाठ्यक्रम। अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या लगभग 530 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 417 है। इस संस्थान को एआईसीटीई की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) योजना के अधीन विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और डाक्टरल कार्यक्रमों के लिए दूसरे शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षक लेने के लिए भी मान्यता प्रदान की है।

18.18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

संस्थान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की श्रृंखला में पहला संस्थान था। यह संस्थान इंजीनियरी में सात अवरस्नातक कार्यक्रमों और 24 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अलावा, इंजीनियरी, विज्ञान और मानविकी की सभी शाखाओं में पीएच.डी कार्यक्रमों की पेशकश करता है। संस्थान से अब तक लगभग 10,000 अवरस्नातक, 4200 स्नातकोत्तर और 240 पीएच.डी छात्र पास हुए है। आलोच्य वर्ष के दौरान छात्रों के लिए नियोजन कार्यक्रम में 60 कम्पनियों ने भाग लिया।

18.19 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर को केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्थान के रूप में अपना लिया गया है और 1 दिसम्बर, 2005 से इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर बना दिया गया है। वर्तमान में यह संस्थान स्नातक पूर्व स्तर पर 620 छात्रों वाले 12 पाठ्यक्रम और 132 छात्रों वाले 6 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है। स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर छात्रों की कुल संख्या 2744 है। संस्थान के पास 82 प्रयोगशालाएं है जो काफी बड़ी हैं। संस्थान के पुस्तकालय में 49,144 पुस्तकें हैं। कालेज में लड़कियों के छात्रावास सहित 6 छात्रावास हैं और इसमें दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की सुविधा मौजूद है। कालेज का प्राध्यापक वर्ग पूरी तरह से योग्य और अत्यधिक प्रेरित है, उनकी अधिकांश प्रयोगशालाएं और उपकरण ठीक हैं। संस्थान अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप भी करता है। संस्थान की वेबसाइट का पता www.gcetraipur.ac.in हैं।

18.20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज, अगरतला को केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्थान के रूप में अपनाया गया है और 1 अप्रैल, 2006 से इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला बना दिया गया है। यह संस्थान अपने स्नातकपूर्व स्तर से प्रतिवर्ष 266 छात्रों की क्षमता के साथ सात पाठ्यक्रम चलाता है। छात्रों की कुल संख्या 1064 है। संस्थान के पास 43820 पुस्तकों और 32 प्रयोगशालाओं वाला एक पुस्तकालय है। इसमें लड़कियों के लिए एक छात्रावास सहित तीन छात्रावास हैं। संस्थान की वेबसाइट का पता www.tec.nic.in है।

19. संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी), लोंगोवाल, संगरूर, पंजाब

संस्थान की स्थापना इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्व. संत हरचरण सिंह जी लोंगोवाल की याद में 1989 में की गयी थी। यह संस्थान 12 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों, 10 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और 8 डिग्री और 3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है। यह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय जालंधर से मान्यता प्राप्त है। इसमें 1025 छात्र वार्षिक तौर पर दाखिला लेते है।

20. पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान (एन ई आर आई एस टी), इटानगर

पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना शुरू में भारत सरकार द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी मानवशक्ति तैयार करने हेतु शिक्षा की एक प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए पूर्वोत्तर परिषद की एक परियोजना के रूप में की गयी थी। एन ई आर आई एस टी देश में अपने किस्म के एक अकेले संस्थान के रूप में आया जिसमें अपारम्परिक और नवाचारी शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल हैं। संस्थान का दृष्टिकोण 10+2 स्तर पर व्यावसायीकरण की नीति को प्रोत्साहन देना और केवल प्रेरित छात्रों को स्नातक स्तर के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देना है जबकि अन्य छात्रों को कुछ वर्षो के औद्योगिक अनुभव के साथ उनके व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए संस्थान के बाहर रहना चाहिए। यदि किसी भी समय वे अपनी योग्यता में सुधार करने के लिए वापस आने का निर्णय लेते हैं तो वे ऐसा कर सकेंगे। दिनांक 1 अप्रैल, 1994 से यह संस्थान पूर्णतः वित्तोषित है और सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन है। संस्थान का प्रबंधन एक प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ प्राप्त करने वाले सात राज्य, ए आई सी टी ई और प्रबुद्ध शिक्षाविद् शामिल हैं। यह संस्थान वर्ष 2005 में एक सम विश्वविद्यालय बन गया है। विभिन्न शाखाओं में वार्षिक क्षमता लगभग 1000 छात्रों की है।

21. भारतीय खनन स्कूल, धनबाद

इस अकादमिक सत्र से 8 नए पंचवर्षीय दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम और 1 बी टेक विद्युत इंजीनियरिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। छात्रों की कुल संख्या 1699 है। शैक्षणिक पाठ्यचर्या के एक अंग के रूप में विभिन्न उद्योगों/संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विनिर्माण और प्रक्रिया उद्योगों के लिए अनेक क्षेत्रीय दोरे और सैर आयोजित की जाती हैं। स्कूल में इस समय 6.99 करोड़ रूपए से अधिक के समग्र बाह्य वित्तपोषण सहित 22 बड़ी आर एवं डी परियोजनाएं चल रही हैं। खनन और तेल उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आई एस एम यू कार्यकारी विकास पाठ्यक्रम की भी पेशकश करता है।

22. राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यकम (यूएनडीपी) की सहायता से भारत सरकार द्वारा 1963 में स्थापित किया गया एक राष्ट्रीय संस्थान है। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईई), औद्योगिक सुरक्षा तथा पर्यावरणात्मक प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएसईएम), औद्योगिक प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम), सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध में स्नातकोतर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) तथा साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों से लिए गए वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लाभार्थ उत्पादनशीलता, विज्ञान और प्रबंध में बहुत बड़ी संख्या में प्रबंध विकास कार्यकमों (एमडीपी) का भी आयोजन करता है।

23. राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी), रांची

संस्थान का मुख्य उद्देश्य इन उद्योगों के संचालन और प्रबंध से जुड़े कार्मिकों को अत्यंत विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थान विभिन्न स्तरों के पाठ्यकमों की पेशकश करता है, जो इस प्रकार हैं: गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण इंजीनियरी में एम.टेक पाठ्यकम; विनिर्माण इंजीनियरी तथा धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरी में बी.टेक पाठ्यकम; गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा पाठ्यकम; उद्योगों द्वारा प्रयोजित सहभागियों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अल्पकालीन पुनश्चर्या पाठ्यकम तथा उद्योगों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा संस्थानों के अनुरोध पर अल्पावधि के यूनिट-आधारित कार्यकम। यह संस्थान उद्योग को इन रूपों में परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है: व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना; उपकरण और मशीनरी कर मूल्यांकन; कच्चे माल और उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण।

24. आयोजना और वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली

एसपीए वास्तुकला, आयोजना, डिजाइन तथा मानवीय आवास के विभिन्न पक्षों तथा वातावरण के क्षेत्रों में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। एसपीए दो स्नातक-पूर्व पाठ्यकम चलता है: वास्तुकला में स्नातक तथा आयोजना में स्नातक तथा निम्न में दस मास्टर डिग्री कार्यकम: (i) वास्तुकला संरक्षण; (ii) शहरी डिजाइन; (iii) औद्योगिक डिजाईन; (iv) भू-क्षेत्र वास्तुकला; (v)

पर्यावरणात्मक आयोजना; (vi) आवास; (vii) क्षेत्रीय आयोजना; (viii) परिवहन आयोजना; (ix) शहरी आयोजना; तथा (x) भवन इंजीनियरी और प्रबंध। स्कूल में उपलब्ध विषय-क्षेत्रों में डाक्टरल कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं जिन्हें पूरा करने के बाद पीएच.डी की डिग्री प्राप्त होती हैं।

स्कूल के संकाय ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सौंपी गई व्यवसायिक/संस्थानात्मक परामर्शी परियोजनाएं हाथ में ली। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में अनेक अनुसंधान और उन्नत केन्द्र स्थापित किए गए हैं। स्कूल ने सामयिक रुचि के विषयों पर तथा स्कूल के शैक्षणिक ध्यातव्य क्षेत्रों पर अल्पकालीन पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, विशेषज्ञतापूर्ण कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

26. राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआरएस)

भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई और चंडीगढ़ स्थित चार राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान हैं। एन आई टी टी टी आर एस का उद्देश्य क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर पोलिटेक्निकों, इंजीनियरिंग कालेजों, व्यावसायिक प्रबंधन शिक्षा सहित समूची तकनीकी शिक्षा को शामिल करते हुए ग्राहक प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार अध्यापकों के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करना है। एन आई टी टी टी आर एस सहयोगी शिक्षा योजना पर उद्योगों में तकनीकी अध्यापकों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण का प्रबंध करता है। वे तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण प्रणालियों और इसके प्रबंधन का विकास करने के लिए अनुसंधान संबंधी इनपुट प्रदान करने हेतु योजनाबद्ध अनुसंधान भी करता है। इसके अतिरिक्त, एन आई टी टी टी आर एस मल्टी मीडिया अध्ययन साम्रियों के उत्पादन, पाठ्यपुस्तकों जैसे अध्ययन संसाधनों का विकास और प्रसार, प्रयोगशाला मैनूयल्स, वीडीयो कार्यक्रम, तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों और अन्य संस्थाओं को कम्प्यूटर समर्थित निदेशात्मक मल्टी मीडिया पैकेज प्रदान करना, कला प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से दूरस्थ अध्ययन मोड में तकनीकी तथा व्यावसायिक अध्यापकों के लिए कार्यक्रम चलाने हेतु नई निदेशात्मक प्रणाली और नीतियों का डिजाइन करता है।

27 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)

अहमदाबाद, कोलकाता, बंगलौर, लखनऊ, इन्दौर तथा कोझीकोड़ में स्थापित भारतीय प्रबंध संस्थान उत्कृष्टता के संस्थान हैं जिनकी स्थापना उच्च स्तरीय प्रबंध शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान करने और परामर्शी सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से की गई थी।

ये आईआईएम इन पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं; प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (एमबीए के समकक्ष), प्रबंध में अध्येतावृति कार्यक्रम (पीएच.डी. के समकक्ष), अल्पकालीन प्रबंध विकास और संगठन-आधारित कार्यक्रम तथा उद्योग के लिए अनुसंधान और परामर्श। ये संस्थान गैर-निगमित तथा अल्प-प्रबंधित क्षेत्रों, जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास, लोक प्रणाली प्रबंध, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसंधान संचालित करते हैं।

आईआईएम देश की प्रबंधकीय जनशक्ति विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। इन संस्थानों को ऐसे शीर्षरथ प्रबंध संस्थानों के रूप में मान्यता दी जाती है जोकि अध्ययन, अनुसंधान तथा उद्योग के साथ वैचारिक आदान-प्रदान के लिए विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के मुकाबले के हैं। भूमिका प्रतिरूप होने के कारण आईआईएम ने प्रबंध शिक्षा में अपनी गुणवतत्ता और स्तरों को सुधारने में अन्य संस्थानों के साथ ज्ञान और कौशलों का आदान-प्रदान किया है। अपने पूर्व छात्रों की गुणवत्ता के लिए आईआईएम ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है।

सरकार ने देश में सातवें आईआईएम की स्थापना के लिए शिलांग (मेघालय) का चयन किया है।

शैक्षणिक सत्र 2006-07 के दौरान आईआईएम में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी) और समकक्ष पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्र शामिल हैं, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

आई आई एम एस में स्नातकोतर कार्यक्रमों (पीजीपी) तथा समकक्ष पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों सहित दाखिल छात्र 2006-07

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग	कुल
आईआईएम, अहमदाबाद	पीजीपी	194	34	15	05	248
	पीजीपी-एबीएम	23	03	–	–	26
	कुल	217	37	15	05	274
आईआईएम, बंगलौर	पीजीपी	194	40	11	08	253
	कुल	194	40	11	08	253
आईआईएम, कोलकाता	पीजीडीएम	196	48	20	11	275
	पीजीडीसीएम	47	–	–	–	47
	कुल	243	48	20	11	322
आईआईएम, लखनऊ	पीजीपी	201	43	11	02	257
	पीजीपी-एबीएम	30	–	–	–	30
	कुल	231	43	11	02	287
आईआईएम, इन्दौर	पीजीपी	172	03	–	02	177
	शैक्षणिक सत्र 2005-06 के पीजीपी में दोबारा बैठने वाले छात्र	–	02	–	–	02
	कुल	172	05	–	02	179
आईआईएम, कोझीकोड़े	पीजीपी	141	29	12	04	186
	योग	141	29	12	04	186

28. केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (सी आई टी), कोकराझार, असम

दिनांक 10.2.2003 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर (बी एल टी) के मध्य हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, ई एफ सी/सी सी ई एक अनुमोदन से असम के कोकराझार जिले में वर्ष 2005 में एक केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सी आई टी) कोकराझार की स्थापना की गयी थी। एन ई आर आई एस टी, इटानगर और डी टी ई, असम की सहायता से सी आई टी के पहले शैक्षणिक सत्र की पहले ही शुरूआत हो गयी है।

व्यय की प्रवृत्तियां

उच्चतर शिक्षा विभाग

मांग सं.. 57

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय			संशोधित अनुमान की प्रतिशतता		
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
2002-2003	2124.25	2762.61	**4886.86**	1942.33	2789.61	**4731.94**	1909	2704.96	**4613.96**	98.28	96.97	**97.51**
2003-2004	2124.15	2832.40	**4956.55**	2000.00	2832.40	**4832.40**	1938.19	2802.11	**4740.30**	96.91	98.93	**98.09**
2004-2005	2224.15	2833.24	**5057.39**	2224.15	3000.00	**5224.15**	2187.03	2973.59	**5160.62**	98.33	99.12	**98.78**
2005-2006	2710.50	3090.00	**5800.50**	2510.00	3290.00	**5800.00**	2561.38	3267.10	**5828.48**	102.05	99.30	**100.49**
2006-2007 (दिसम्बर 2006 तक)	3616.00	3366.28	**6982.28**	3616.00	3500.00	**7116.00**	2336.37	2500.30	**4836.67**	64.61	71.44	**67.97**

उच्चतर शिक्षा विभाग

बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की संपूर्ण प्रवृत्तियां

योजनागत

(रु. लाख में)

योजना	2002-2003			2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-2007		
योजना/कार्यक्रम/ परियोजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसम्बर 2006 तक वास्तविक
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.सचिवालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.माध्यमिक शिक्षा	64711.00	52503.00	57451.18	66900.00	65943.00	63799.40	69300.00	58824.00	65229.00	78751.00	75940.00	87487.60	106700.00	106700.00	69333.11
3. विश्वविद्यालयी शिक्षा	55350.00	56941.00	61911.72	61500.00	56622.00	56043.52	64000.00	71095.00	81065.00	78946.00	78880.00	84357.79	140350.00	139855.00	97222.98
4. भषाएं	10260.00	10123.00	10335.88	11400.00	10540.00	10366.76	12129.00	10330.00	9898.00	11255.00	10274.00	10745.54	16500.00	16835.00	10089.27
5. छात्रवृत्तियां	720.00	90.00	25.66	800.00	100.00	14.64	700.00	90.00	72.19	990.00	790.00	835.69	1300.00	1300.00	202.06
6. पुस्तक प्रोन्नति	1080.00	680.00	613.31	1200.00	1091.00	628.99	671.00	468.00	366.00	954.00	1404.00	1123.93	2700.00	2250.00	1649.88
7. आई.एन.सी./यूनेस्को यूनिट	189.00	287.00	244.83	200.00	433.00	184.98	259.00	236.00	185.00	388.00	248.00	144.99	430.00	344.00	98.97
8. आयोजना के मानदंड	374.00	310.00	281.83	415.00	271.00	274.54	356.00	338.00	314.00	321.00	321.00	324.59	620.00	1095.00	285.47
9. तकनीकी शिक्षा	58230.00	53788.00	60035.69	70000.00	65000.00	62506.08	75000.00	59792.00	61574.00	73340.00	58093.00	71118.24	93000.00	93221.00	54755.47
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान *	21511.00	19511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21242.00	0.00	26105.00	25050.00		**35393.00	**35393.00	
कुलः उच्चतर शिक्षा विभाग	212425.00	194233.00	190900.10	212415.00	200000.00	193818.91	222415.00	222415.00	218703.19	271050.00	251000.00	256138.37	361600.00	361600.00	233637.21

* संबद्ध स्कीमों/कार्यक्रमों में हुआ व्यय

** इस राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान शामिल नहीं है परन्तु सामान्य के आगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दर्शायी गई राशि सामान्य राशि में पहले ही शामिल है।

माध्यमिक शिक्षा															
एन.सी.ई.आर.टी.	1260.00	1505.00	1540.00	1400.00	1800.00	1790.29	1900.00	1710.00	1776.00	1710.00	1710.00	1900.00	3500.00	3500.00	690.00
नवोदय विद्यालय	32400.00	32400.00	36000.00	36000.00	43956.00	43956.00	39200.00	38520.00	44900.00	49500.00	47400.00	57100.00	65000.00	65350.00	48750.00
केंद्रीय विद्यालय संगठन	7650.00	7650.00	8500.00	8500.00	10357.00	10357.00	8500.00	10080.00	11200.00	16470.00	16470.00	18300.00	23500.00	23500.00	17625.00
शिक्षा का व्यावसायिकरण*	4500.00	1000.00	1156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00					
स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	9990.00	2490.00	2450.77	11100.00	2500.00	900.00	9700.00	2430.00	1939.00	4500.00	4500.00	4510.43	6700.00	6700.00	282.47
स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	3150.00	3150.00	3377.71	3500.00	3850.00	3846.01	3900.00	3420.00	3649.00	4050.00	4050.00	4144.56	6000.00	6000.00	1346.55
विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	2070.00	2070.00	1843.15	2600.00	780.00	1113.09	2000.00	1260.00	513.00	900.00	400.00	368.71			
तिब्बती शरणार्थी बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं (सी.टी.एस. ए.)	270.00	270.00	245.00	300.00	297.00	293.12	300.00	270.00	300.00	360.00	360.00	360.00	450.00	450.00	324.75
जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम (ई.ए.पी.)**	203.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान	1350.00	800.00	533.00	1500.00	700.00	900.00	700.00	540.00	540.00	360.00	360.00	360.00	450.00	450.00	120.00
पहुँच और समानता	1800.00	1000.00	1782.77	2000.00	1651.00	591.89	3000.00	540.00	372.00	900.00	640.00	393.90	1000.00	650.00	194.34
[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	100.00	54.00	40.00	1.00	50.00	50.00	100.00	100.00	
[illegible]	68.00	68.00	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
कुल माध्यमिक	**64711.00**	**52503.00**	**57451.18**	**66900.00**	**65943.00**	**63799.40**	**69300.00**	**58824.00**	**65229.00**	**78751.00**	**75940.00**	**87487.60**	**106700.00**	**106700.00**	**69333.11**
यू.जी.सी.	46508.00	50809.00	55976.00	51675.00	51675.00	51675.00	54175.00	62527.00	71975.00	70882.00	70972.00	78630.00	126980.00	126980.00	88832.00
इग्नू	6030.00	3530.00	3199.00	6700.00	2000.00	1656.00	6700.00	6030.00	6665.00	5400.00	5400.00	3024.00	10000.00	9505.00	6800.00
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	1575.00	1575.00	1739.66	1750.00	1750.00	1729.96	1750.00	1575.00	1575.00	1575.00	1575.00	1780.00	2050.00	2050.00	1073.75
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद	252.00	252.00	251.83	280.00	280.00	250.39	280.00	252.00	260.00	252.00	252.00	250.43	380.00	380.00	189.00
भारतीय विश्वविद्यालय संघ	45.00	36.00	24.53	40.00	40.00	40.00	50.00	45.00	45.00	45.00	45.00	49.50	50.00	50.00	25.00
ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना	81.00	0.00	0.00	80.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	90.00	24.00	24.00	90.00	90.00	0.00
डॉ० जाकिर हुसैन स्मारक कॉलेज, दिल्ली	45.00	10.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	36.00	0.00	36.00	36.00	39.60	150.00	150.00	36.23
आई.आई.ए.एस. शिमला	247.00	272.00	254.80	275.00	275.00	251.29	275.00	247.00	184.00	180.00	180.00	164.00	200.00	200.00	100.00
अखिल भारतीय महत्व की उच्च अध्ययन संस्थाओं को अनुदान	90.00	60.00	83.00	130.00	130.00	73.23	100.00	30.00	60.00	90.00	90.00	99.00	90.00	90.00	0.00
आई.सी.पी.आर.	216.00	216.00	212.40	240.00	240.00	198.56	240.00	180.00	131.00	180.00	180.00	144.66	200.00	200.00	47.00
भारतीय, दर्शन और संस्कृति के इतिहास की परियोजना	171.00	171.00	170.50	190.00	190.00	169.09	190.00	171.00	170.00	126.00	126.00	152.60	160.00	160.00	120.00
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में अधिकारों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	90.00	10.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
अन्य कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00												0.00
कुल विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	**55350.00**	**56941.00**	**61911.72**	**61500.00**	**56622.00**	**56043.52**	**64000.00**	**71095.00**	**81065.00**	**78946.00**	**78880.00**	**84357.79**	**140350.00**	**139855.00**	**97222.98**

भाषाओं का विकास															
हिंदी निदेशालय	495.00	550.00	538.32	550.00	650.00	634.10	734.00	661.00	699.00	661.00	661.00	687.20	800.00	800.00	479.25
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	189.00	189.00	187.93	210.00	170.00	146.86	210.00	188.00	192.00	189.00	207.00	189.35	350.00	350.00	152.76
हिंदी शिक्षण मंडल आगरा को अनुदान	517.00	567.00	567.00	575.00	250.00	250.00	300.00	270.00	288.00	270.00	270.00	300.00	450.00	450.00	305.00
भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	1035.00	1035.00	1140.00	1150.00	1150.00	1110.28	1300.00	1440.00	1487.00	1440.00	1440.00	1538.00	2000.00	2000.00	1955.41
मानवीय मूल्यों में शिक्षा हेतु एजेंसियों को सहायता	810.00	200.00	201.78	900.00	250.00	300.00	300.00	270.00	274.00	270.00	270.00	287.23	300.00	375.00	214.43
क्षेत्र गहन एवं मदसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम	2835.00	2835.00	2844.58	3150.00	2900.00	2900.00	2900.00	2160.00	2205.00	2610.00	2610.00	2646.13	5000.00	5000.00	2779.45
क्षेत्रीय भाषा केंद्र**	142.00	142.00	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद	877.00	950.00	950.00	975.00	1025.00	975.00	1100.00	990.00	1100.00	990.00	990.00	1153.01	1400.00	1660.00	974.50
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर एवं आर.एल. सी. (भारतीय भाषा संस्थान)	396.00	394.00	418.60	598.00	650.00	607.12	795.00	806.00	790.00	806.00	806.00	837.31	1100.00	1183.00	662.18
राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नति परिषद	36.00	36.00	31.00	40.00	40.00	40.00	85.00	76.00	76.00	77.00	77.00	60.00	100.00	100.00	65.00
अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों तथा अंग्रेजी के जिला केंद्रों को वित्तीय सहायता की योजना***	90.00	90.00	90.00	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
अंग्रेजी के क्षेत्रीय संस्थानों को वित्तीय सहायता***	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान एवं अन्य संगठन***	36.00	36.00	15.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
सी.आई.ई.एफ.एल योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	360.00	400.00	360.00	360.00	377.50	400.00	400.00	163.86
तमिल भाषा का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	50.00	47.72	100.00	282.00	100.29

राष्ट्रीय भारतीय भाषा आयोग	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00					
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	1356.00	1823.00	2004.00	1507.00	1550.00	1550.00	1950.00	1530.00	1530.00	1557.00	1557.00	1557.00	2730.00	2629.00	2111.04
राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान	270.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	250.00	135.00	135.00	225.00	25.00	25.00	170.00	170.00	85.00
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संस्कृत शिक्षा का विकास	1171.00	1171.00	1121.41	1300.00	1500.00	1473.40	1800.00	1440.00	722.00	1710.00	951.00	1040.09	1600.00	1436.00	41.10
कुल भाषाओं का विकास	**10260.00**	**10123.00**	**10335.68**	**11400.00**	**10540.00**	**10366.76**	**12129.00**	**10330.00**	**9898.00**	**11255.00**	**10274.00**	**10745.54**	**16500.00**	**16835.00**	**10089.27**
सामान्य छात्रवृत्तियाँ															
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएँ **	450.00	54.00	24.89	500.00	60.00	12.42	400.00	54.00	30.19	0.00					
प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ **	270.00	36.00	0.77	300.00	40.00	2.22	300.00	36.00	42.00	0.00					
राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	790.00	835.69	1300.00	1300.00	202.06
कुल छात्रवृत्तियां	**720.00**	**90.00**	**25.66**	**800.00**	**100.00**	**14.64**	**700.00**	**90.00**	**72.19**	**990.00**	**790.00**	**835.69**	**1300.00**	**1300.00**	**202.06**

पुस्तक उन्नयन															
राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/पुस्तक उन्नयन संस्थाओं को अनुदान	603.00	380.00	350.00	670.00	670.00	300.00	300.00	180.00	180.00	324.00	974.00	950.00	2000.00	1797.00	1450.00
पुस्तक उन्नयन और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान	90.00	70.00	75.37	100.00	120.00	109.67	120.00	108.00	107.00	180.00	130.00	132.76	200.00	53.00	28.52
पुस्तक उन्नयन और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान (अंशदान)	0.00	0.00	0.00												2.87
इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी एजुकेशन, अनुसंधान और सार्वजनिक पहुँच के लिए योजना	252.00	160.00	187.94	280.00	300.00	219.32	250.00	180.00	79.00	450.00	300.00	41.17	500.00	400.00	168.49
शैक्षिक पुस्तकालय	45.00	30.00	0.00	50.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00					
डब्ल्यू.टी.ओ. अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना*	90.00	40.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
कुल पुस्तक प्रोन्नति	**1080.00**	**680.00**	**613.31**	**1200.00**	**1091.00**	**628.99**	**671.00**	**468.00**	**366.00**	**954.00**	**1404.00**	**1123.93**	**2700.00**	**2250.00**	**1649.88**
आई.एन.सी./यूनेस्को															
ओरोविले प्रबंधन	121.00	121.00	121.00	135.00	370.00	155.00	194.00	174.00	170.00	331.00	229.00	129.25	367.00	281.00	81.75
बाह्य अकादमिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण	45.00	55.00	21.39	50.00	50.00	28.97	50.00	50.00	15.00	45.00	15.00	14.28	50.00	50.00	13.01
आई.एन.सी. पुस्तकालय का पुनर्गठन	9.00	2.00	0.03	10.00	10.00	0.03	10.00	9.00	0.00	9.00	1.00	0.21	10.00	10.00	3.21
समितियों/कांफ्रेंस आदि की बैठकें आयोजित करना	9.00	14.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
यूनेस्को के कार्यक्रम और क्रियाकलापों में लगे स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण	5.00	5.00	1.90	5.00	3.00	0.98	5.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.25	3.00	3.00	1.00
भारत शिक्षा कोष	0.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
कुल आई.एन.सी./यूनेस्को	**189.00**	**287.00**	**244.83**	**200.00**	**433.00**	**184.98**	**259.00**	**236.00**	**185.00**	**388.00**	**248.00**	**144.99**	**430.00**	**344.00**	**98.97**
आयोजना मानक															
राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन संस्थान	203.00	240.00	230.03	225.00	235.00	234.91	265.00	284.00	261.00	239.00	239.00	243.71	500.00	500.00	250.00
अध्ययन सेमिनार/पर्यवेक्षण आदि की योजना	81.00	70.00	51.80	90.00	35.00	39.63	90.00	54.00	53.00	81.00	81.00	80.88	120.00	100.00	35.47
राज्यों में सांख्यिकी मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	90.00	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
सांख्यिकी	0.00	0.00	0.00								1.00				
एजुकेशन पोर्टल के विकास के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00											495.00	
कुल आयोजना मानक+ सांख्यिकी	**374.00**	**310.00**	**281.83**	**415.00**	**271.00**	**274.54**	**356.00**	**338.00**	**314.00**	**321.00**	**321.00**	**324.59**	**620.00**	**1095.00**	**285.47**
तकनीकी शिक्षा															
सामुदायिक पालिटेक्निक	6300.00	3500.00	2933.19	7000.00	2000.00	1975.54	2923.00	3171.00	2078.00	2610.00	1510.00	1308.77	2900.00	1000.00	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुदान	12600.00	15000.00	22402.00	14000.00	21440.00	21440.00	20000.00	18000.00	20000.00	19800.00	23600.00	29200.00	30000.00	30000.00	23800.00

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुदान	7200.00	7200.00	7200.00	8000.00	9000.00	8000.00	8000.00	7200.00	7800.00	8100.00	8100.00	8787.95			
बी.ओ.ए.टी.–प्रशिक्षु प्रशिक्षण–छात्रवृत्तियों और वजीफों के लिए कार्यक्रम	1350.00	1350.00	1275.00	1500.00	1100.00	1100.00	1500.00	1350.00	1350.00	1825.00	1825.00	1825.00	2025.00	3795.00	1555.00
भारतीय प्रबंधन संस्थानों को अनुदान	2250.00	2250.00	2120.00	2500.00	1000.00	1000.00	1500.00	2250.00	2500.00	3151.00	3151.00	3151.00	4001.00	4001.00	1865.00
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	1080.00	800.00	422.50	1200.00	800.00	767.50	1200.00	1080.00	970.00	1080.00	1170.00	1170.00	1200.00	1570.00	815.00
राष्ट्रीय औद्योगिक, इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	450.00	200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	300.00	270.00	100.00	360.00	360.00	360.00	600.00	600.00	300.00
राष्ट्रीय फाउंडरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	315.00	93.00	0.00	350.00	300.00	300.00	300.00	270.00	200.00	360.00	360.00	360.00	400.00	400.00	197.50
आयोजना और वास्तुकला स्कूल	360.00	360.00	180.00	400.00	400.00	400.00	400.00	360.00	255.00	360.00	360.00	360.00	400.00	400.00	200.00
संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी	270.00	270.00	270.00	300.00	300.00	300.00	300.00	270.00	200.00	270.00	270.00	270.00	300.00	300.00	75.00
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान	1530.00	3000.00	3000.00	1700.00	3000.00	3000.00	3000.00	2700.00	2700.00	2800.00	3300.00	8900.00	7300.00	8500.00	5475.00
एडसिल में निवेश	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00			1.00	1.00	
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	9000.00	9000.00	9000.00	10000.00	5000.00	5000.00	6000.00	5400.00	5400.00	9148.00	7648.00	9148.00	21000.00	22905.00	15150.00
प्रौद्योगिकी विकास मिशन	720.00	0.00	0.00	800.00	400.00	20.00	400.00	360.00	360.00	360.00	170.00	21.83	500.00	1.00	
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर	0.00	400.00	300.00	300.00	900.00	900.00	300.00	225.00	150.00	1.00	1.00	400.00	500.00	910.00	499.19
प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर	135.00	135.00	125.00	150.00	100.00	100.00	150.00	135.00	135.00	200.00	200.00	200.00	225.00	364.00	136.25
व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	225.00	225.00	225.00	250.00	250.00	250.00	250.00	112.00	0.00	217.00	217.00	60.00	242.00	47.00	
गर्वनमेंट कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, जम्मू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1.00	1.00		1.00	1.00	
आई.आई.आई.टी, इलाहाबाद	225.00	225.00	225.00	250.00	800.00	800.00	500.00	450.00	450.00	900.00	1100.00	1100.00	1200.00	1500.00	300.00
विकलांग बच्चों के लिए पालिटेक्निक	540.00	400.00	400.00	600.00	500.00	500.00	400.00	180.00	188.00	360.00	360.00	345.00	400.00	400.00	
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	225.00	225.00	225.00	250.00	250.00	250.00	500.00	135.00	485.00	540.00	340.00	340.00	600.00	600.00	300.00

केंद्रीय संस्थाओं और आश्र.ई.सी. /एन.आई.टी. को सीधे केंद्रीय सहायता	4500.00	4500.00	3793.00	5000.00	3510.00	3510.00	3500.00	990.00	3315.00	3.00					
भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद	540.00	540.00	540.00	600.00	600.00	600.00	300.00	270.00	299.00	450.00	650.00	650.00	1000.00	1700.00	1000.00
तकनीकी शिक्षा-भारत सरकार का गुणवत्त सुधार कार्यक्रम	4500.00	2500.00	4500.00	5000.00	10047.00	10047.00	10000.00	10000.00	8250.00	10000.00	500.00	499.00	8000.00	8000.00	400.00
अनुसंधान और सूचना सेवाएं	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00	
इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के अप्रलन का आधुनिकीकरण और उनको हटाना	0.00	0.00	0.00										1.00	1.00	
तकनीकी शिक्षा के मुख्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00										1.00	1.00	
नए और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को सहायता	450.00	200.00	450.00	500.00	500.00	492.00	376.00	100.00	112.00	0.40		300.40	1.00	1.00	
अनौपचारिक सेक्टर विकास	13.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित अध्ययन के लिए सहायता	450.00	200.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	440.00	500.00	0.30				597.00	597.00
संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए संस्थाओं की नेटवर्किंग के लिए सहायता	13.00	13.00	0.00	14.00	1.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.30					
राष्ट्र स्तरीय प्रवेश परीक्षा और प्रतियोगिता आधारित मूल्यनिरूपण सेवाओं के लिए सहायता	90.00	90.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
शिक्षा प्रशासन के विकास के लिए सहायता	9.00	9.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन	9.00	9.00	0.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग	90.00	90.00	0.00	100.00	100.00	44.18	100.00	63.00	63.00	90.00		74.60	100.00	80.00	
शिक्षा का व्यावसायीकरण	0.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	709.86	5000.00	1080.00	2814.00	1800.00	1300.00	1086.69	2000.00	2000.00	265.53
नए भारतीय सूचना संस्थान	0.00	0.00	0.00										500.00	1.00	
नया आयोजना और वास्तुकला स्कूल	0.00	0.00	0.00										500.00	1.00	
नए पालिटेक्निकों में विद्यमान के उन्नयन/स्थापना के लिए राज्यों को सहायता	0.00	0.00	0.00										500.00	41.00	
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और निर्माण संस्थान, कांचीपुरम	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1000.00	90.00	0.00	900.00			100.00	1.00	
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1000.00	90.00	400.00	900.00	600.00	600.00	1000.00	1000.00	500.00
नए पालिटेक्निकों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.00	0.00	5400.00	1.00				
पालिटेक्निकों में अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	1350.00	1.00				
केंद्रीश प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		500.00	500.00	300.00
भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान, पुणे और कोलकाता	0.00	0.00	0.00								600.00	600.00	5000.00	2000.00	1025.00
अन्य कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00								396.00				
कुल तकनीकी शिक्षा	58230.00	53788.00	60035.69	70000.00	65000.00	62506.08	75000.00	59792.00	61574.00	73340.00	58093.00	71118.24	93000.00	93221.00	54755.47

उच्चतर शिक्षा विभाग

हाल के वर्षों में बजट अनुमान/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की संपूर्ण प्रवृत्तियां

योजनेतर
(रू. लाख में)

योजनेतर	2002-2003			2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-2007		
योजना/कार्यक्रम/ परियोजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसम्बर 2006 तक वास्तविक
10				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. सचिवालय	2429.00	2405.00	2156.77	2625.00	3242.00	2638.36	2758.00	3021.00	2760.00	2923.00	3013.00	2892.17	2985.00	3135.00	2366.68
2. माध्यमिक शिक्षा	71841.00	71620.00	71341.90	73938.00	73838.00	73901.53	74127.00	77218.00	77152.00	80410.00	86389.00	86386.79	87708.00	90104.00	70104.50
3. शारीरिक शिक्षा	65.00	65.00	59.30	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
4. विश्वविद्यालय शिक्षा	114458.00	117896.00	113272.12	115664.00	118318.00	120110.63	115664.00	129022.00	128835.00	131880.00	148959.00	148784.30	151356.00	160256.00	112381.06
5. भाषाएं															
क. हिंदी	1275.00	1235.00	1174.54	1340.00	1269.00	1248.80	1314.00	1365.00	1317.00	1409.00	1425.00	1340.84	1438.00	1438.00	1116.88
ख. एम.आई.एल.	972.00	855.00	813.29	842.00	813.00	795.29	860.00	860.00	822.00	900.00	900.00	862.38	862.00	862.00	565.32
ग. संस्कृत	1453.00	1526.00	1526.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1650.00	1750.00	1650.00	1785.00	1785.00	910.76
6. छात्रवृत्तियां	235.00	105.00	70.20	218.00	123.00	61.58	222.00	216.00	120.00	224.00	241.00	157.91	230.00	251.00	39.50
7. पुस्तक प्रोन्नति	740.00	708.00	702.86	940.00	892.00	891.35	740.00	740.00	733.00	1000.00	1000.00	752.22	850.00	850.00	420.00
8. आई.एन.सी./ यूनेस्को एकक	721.00	807.00	756.70	790.00	802.00	766.11	748.00	737.00	670.00	843.00	913.00	721.45	811.00	848.00	33.61
9. आयोजना मानक	238.00	248.00	248.00	255.00	255.00	253.25	265.00	339.00	339.00	492.00	482.00	430.34	480.00	480.00	242.50
10. प्रशासन	373.00	373.00	355.50	471.00	471.00	366.52	471.00	471.00	350.00	471.00	471.00	324.01	471.00	471.00	17.94
11. तकनीकी शिक्षा	81461.00	81118.00	78018.91	84492.00	81552.00	77512.71	84490.00	84346.00	82596.00	86733.00	83392.00	82342.56	87652.00	89520.00	61831.35
कुलः माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	276261.00	278961.00	270496.09	283240.00	283240.00	280211.13	283324.00	300000.00	297359.00	309000.00	329000.00	326709.97	336628.00	350000.00	250030.10

10				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
). माध्यमिक शिक्षा															
एन.सी.ई.आर.टी.	3500.00	3500.00	3500.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3625.00	3600.00	4613.00	5613.00	5613.00	5903.00	5903.00	3000.00
केंद्रीय विद्यालय संगठन	54477.00	54477.00	54477.00	55900.00	55800.00	55800.00	55949.00	58149.00	58149.00	59894.00	63994.00	63994.00	64600.00	65936.00	54423.40
नवोदय विद्यालय	12260.00	12260.00	12260.00	13000.00	13000.00	13000.00	13100.00	13966.00	13966.00	14385.00	15085.00	15085.00	15515.00	16515.00	11411.00
तिब्बती शरणार्थी बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं (सी.टी.एस. ए.)	1471.00	1250.00	1010.00	1300.00	1300.00	1399.00	1340.00	1340.00	1340.00	1380.00	1530.00	1530.00	1530.00	1560.00	1123.13
अन्य कार्यक्रम	133.00	133.00	94.90	138.00	138.00	102.53	138.00	138.00	97.00	138.00	167.00	164.79	160.00	190.00	146.97
कुल माध्यमिक शिक्षा	71841.00	71620.00	71341.90	73938.00	73838.00	73901.53	74127.00	77218.00	77152.00	80410.00	86389.00	86386.79	87708.00	90104.00	70104.50
शारीरिक शिक्षा (योग का संवर्द्धन)	65.00	65.00	59.30	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
कुल माध्यमिक और शारीरिक शिक्षा	71906.00	71685.00	71401.20	74003.00	73903.00	73966.53	74192.00	77283.00	77217.00	80475.00	86454.00	86451.79	87708.00	108369.00	82785.60
विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा															
यू.जी.सी.	110000.00	110139.00	110000.00	111380.00	111230.00	113230.00	111380.00	118285.00	118285.00	121835.00	138961.00	138961.00	146070.00	156070.00	109552.50
इग्नू	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	1.00	3799.00	0.00	100.00	3039.00	3039.00	100.00	5900.00	5900.00	5800.00	5800.00	5800.00	1000.00	0.00	0.00
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	2400.00	2400.00	1775.71	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2370.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	1800.00
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	575.00	450.00	432.93	500.00	500.00	396.91	500.00	480.00	396.00	500.00	500.00	460.93	500.00	500.00	358.59
भारतीय विश्वविद्यालय संघ	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50
डा0 जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली	40.00	40.00	38.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	22.50
शास्त्री इण्डो कनाडियन संस्थानों को अनुदान	200.00	200.00	200.00	193.00	193.00	193.00	193.00	213.00	213.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	59.94
आई.आई.ए.एस., शिमला	450.00	375.00	366.03	400.00	400.00	329.72	400.00	380.00	374.00	400.00	400.00	330.00	400.00	400.00	200.00
अखिल भारतीय महत्व की उच्च अध्ययन संस्थाओं को अनुदान	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
आयकर की वसूली	30.00	30.00	21.14	30.00	30.00	30.40	30.00	33.00	33.00	35.00	42.00	42.00	35.00	35.00	
राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर	45.00	10.00	0.90	45.00	10.00	2.16	45.00	45.00	15.00	45.00	45.00	7.15	40.00	40.00	21.03
अन्य मदें	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.26	1.00	1.00	
लघुकालिक अमरीकन शिक्षा कार्यक्रम										0.00					
आई.सी.पी.आर.	280.00	217.00	202.41	240.00	240.00	214.44	240.00	235.00	200.00	250.00	250.00	222.96	250.00	250.00	108.00
प्राप्त न हुए ऋण को खरिज करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	774.00	0.00					
राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय की स्थापना	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00
कुल-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	114458.00	117896.00	113272.12	115664.00	118318.00	120110.63	115664.00	129022.00	128835.00	131880.00	148959.00	148784.30	151356.00	160256.00	112381.06

भाषाओं का विकास															
क. हिंदी															
हिंदी विश्वकोश	537.00	510.00	451.22	550.00	491.00	474.69	524.00	553.00	516.00	572.00	572.00	538.76	576.00	576.00	486.25
वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	138.00	125.00	123.32	140.00	128.00	124.11	140.00	142.00	131.00	147.00	163.00	146.23	157.00	157.00	111.63
हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा को अनुदान	600.00	600.00	600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	670.00	670.00	690.00	690.00	655.85	705.00	705.00	519.00
कुल-हिंदी प्रभाग	**1275.00**	**1235.00**	**1174.54**	**1340.00**	**1269.00**	**1248.80**	**1314.00**	**1365.00**	**1317.00**	**1409.00**	**1425.00**	**1340.84**	**1438.00**	**1438.00**	**1116.88**
ख. एम.आई.एल. प्रभाग															
क्षेत्रीय भाषा केंद्र*	595.00	513.00	487.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और आर. एल.सी.	297.00	262.00	245.93	762.00	733.00	715.29	780.00	780.00	742.00	820.00	820.00	782.38	787.00	787.00	500.32
क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों का उत्पादन	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	75.00	75.00	65.00
कुल-एम.आई.एल. प्रभाग	**972.00**	**855.00**	**813.29**	**842.00**	**813.00**	**795.29**	**860.00**	**860.00**	**822.00**	**900.00**	**900.00**	**862.38**	**862.00**	**862.00**	**565.32**
ग. संस्कृत प्रभाग															
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	1453.00	1526.00	1526.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1650.00	1750.00	1650.00	1785.00	1785.00	910.76
कुल-संस्कृत प्रभाग	**1453.00**	**1526.00**	**1526.00**	**1600.00**	**1600.00**	**1600.00**	**1600.00**	**1600.00**	**1600.00**	**1650.00**	**1750.00**	**1650.00**	**1785.00**	**1785.00**	**910.76**
कुल-भाषा का विकास	**3700.00**	**3618.00**	**3513.83**	**3782.00**	**3682.00**	**3644.09**	**3774.00**	**3825.00**	**3739.00**	**3959.00**	**4075.00**	**3853.22**	**4085.00**	**4085.00**	**2592.96**
सामान्य छात्रवृत्तियां															
गैर-हिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	150.00	50.00	15.35	150.00	49.31	10.37	148.31	150.00	82.00	150.00	150.00	101.13	150.00	150.00	15.63
ऋण छात्रवृत्ति योजनाओं को खारिज करना	2.00	4.00	8.70	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00		2.00	2.00	
विदेश में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
विदेश जाने वाले भारतीय शिक्षाविद्-विदेशी सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियां दिया जाना	80.00	48.00	46.15	65.99	69.99	50.21	69.99	60.30	37.00	70.00	80.00	49.78	70.00	82.00	23.87
अन्य मदें	2.00	0.00	0.00	0.01	1.70	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	7.00			
अन्य प्रभार-वाई.एम.सी.ए.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	3.69	0.00	1.99	8.99		8.00	17.00	
कुल-छात्रवृत्तियां	**235.00**	**105.00**	**70.20**	**218.00**	**123.00**	**61.58**	**222.00**	**216.00**	**120.00**	**224.00**	**241.00**	**157.91**	**230.00**	**251.00**	**39.50**
पुस्तक प्रोन्नति															
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास/संस्थाओं को पुस्तक प्रोन्नति के लिए अनुदान	700.00	678.00	673.91	900.00	860.00	860.00	700.00	700.00	700.00	960.00	960.00	752.22	850.00	850.00	420.00
अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनियन-डब्ल्यू.आई.पी.ओ. को भारत का अंशदान	40.00	30.00	28.95	40.00	32.00	31.35	40.00	40.00	33.00	40.00	40.00				
कुल-पुस्तक प्रोन्नति	**740.00**	**708.00**	**702.86**	**940.00**	**892.00**	**891.35**	**740.00**	**740.00**	**733.00**	**1000.00**	**1000.00**	**752.22**	**850.00**	**850.00**	**420.00**
आई.एन.सी./ यूनेस्को	721.00	807.00	756.70	790.00	802.00	766.11	748.00	737.00	670.00	843.00	913.00	721.45	811.00	848.00	33.61

आयोजना मानक															
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान	238.00	248.00	248.00	255.00	255.00	253.25	265.00	275.00	275.00	265.00	277.00	271.94	270.00	270.00	135.00
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	227.00	205.00	158.40	210.00	210.00	107.50
कुल- आयोजना मानदंड	**238.00**	**248.00**	**248.00**	**255.00**	**255.00**	**253.25**	**265.00**	**339.00**	**339.00**	**492.00**	**482.00**	**430.34**	**480.00**	**480.00**	**242.50**
प्रशासन															
सेमिनार, समितियों, बैठकों इत्यादि पर व्यय टी.ए./डी.ए.-गैर सरकारी सदस्य	35.00	35.00	22.79	35.00	35.00	28.53	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	14.58	35.00	35.00	17.94
विदेश में स्थित शैक्षणिक संस्थान	338.00	338.00	332.71	436.00	436.00	337.99	436.00	436.00	315	436.00	436.00	309.43	436.00	436.00	
कुल-प्रशासन	**373.00**	**373.00**	**355.50**	**471.00**	**471.00**	**366.52**	**471.00**	**471.00**	**350.00**	**471.00**	**471.00**	**324.01**	**471.00**	**471.00**	**17.94**
तकनीकी शिक्षा															
समुदाय पालिटेक्निक	200.00	200.00	160.67	200.00	200.00	87.10	200.00	80.00	0.00	100.00			0.00	0.00	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	43800.00	43800.00	43365.00	44902.00	44902.00	43515.00	44902.00	43702.00	43862.00	42800.00	41800.00	41759.00	43000.00	42100.00	29735.75
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	11813.00	11813.00	11802.00	13669.00	13669.00	13669.00	15642.00	19560.00	19560.00	19566.00	19546.00	19258.50	0.00	0.00	
बोट्स-प्रशिक्षु प्रशिक्षण का कार्यक्रम-छात्रवृत्तियां तथा वजीफा	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	997.96	1000.00	1049.00	1000.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1220.00	810.00
भारतीय प्रबंधन संस्थान को अनुदान	4973.00	4973.00	2837.00	4973.00	4973.00	2505.00	3000.00	2200.00	1302.00	3000.00	1791.00	1790.17	3000.00	3900.00	1534.25
तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन-राज्यों में संस्थानों/प्रकोष्ठों को सहायता	50.00	62.00	0.00	2.00	62.00	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00					
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान	8000.00	8000.00	8000.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00	8300.00	8200.00	8200.00	8300.00	8300.00	6225.00
ए.आई.सी.टी.ई.	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	448.00	0.00	21000.00	22183.00	16000.00
प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	186.02	200.00	218.00	218.00	218.00	258.00	257.44	258.00	318.00	193.68
एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक	25.00	25.00	10.24	25.00	25.00	19.98	25.00	25.00	13.00	26.00	35.00	6.80	26.00	36.00	
अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	1.00	0.00	1.00	1.00		1.00	1.00	
एन.आई.आई.ई., बम्बई	800.00	650.00	650.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	567.00	800.00	800.00	705.41	1100.00	1700.00	514.32
एन.आई.एफ.एफ.टी., रांची	600.00	395.00	364.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	317.75
एस.पी.ए., नई दिल्ली	600.00	600.00	410.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	620.00	600.00	300.00

राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	1600.00	1600.00	1470.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1640.00	1640.00	1700.00	1675.00	1672.24	1770.00	1770.00	1252.85
भारतीय खनन संस्थान, धनबाद	1450.00	1450.00	1450.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1545.00	1561.00	1561.00	1600.00	1665.00	1170.00
आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	
एस.एल.आई.ई.टी., संगरूर	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	900.00	1200.00	900.00	830.00	1200.00	1000.00	437.00
आई.आई.आई.टी.एम, ग्वालियर	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	113.00	463.00	463.00	463.00	463.00	493.00	315.75
इंजीनियरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संघ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00
एन.ई.आर.आई.एस.टी., ईटानगर	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1100.00	1025.00	1100.00	1100.00	825.00
कुल-तकनीकी शिक्षा	**81461.00**	**81118.00**	**78018.91**	**84492.00**	**81552.00**	**77512.71**	**84490.00**	**84346.00**	**82596.00**	**86733.00**	**83392.00**	**82342.56**	**87652.00**	**89520.00**	**61831.35**

लक्ष्य शीर्षवार व्यय

2005-06

(राशि रू. करोड़ में)

मद शीर्ष	योजनागत	योजनेतर	कुल	कुल व्यय की प्रतिशतता
वेतन	0.43	27.58	28.01	0.48
समयोपरि भत्ता	0.01	0.18	0.19	0.00
चिकित्सा	0.07	0.58	0.65	0.01
घरेलू यात्रा व्यय	0.45	1.39	1.84	0.03
विदेश यात्रा व्यय	0.00	0.92	0.92	0.02
कार्यालय व्यय	2.80	10.19	12.99	0.22
प्रकाशन	1.97	0.22	2.19	0.04
बैंक रोकड लेन देन कर	0.00	0.01	0.01	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	0.50	0.39	0.89	0.02
विज्ञापन तथा प्रचार	0.04	0.43	0.47	0.01
व्यवसायिक सेवाएं	0.60	0.00	0.60	0.01
सहायता अनुदान	2526.45	3197.81	5724.26	98.21
अंशदान	0.00	8.66	8.66	0.15
छात्रवृत्ति/वजीफे	18.25	10.80	29.05	0.50
एक मुश्त प्रावधान	0.90	0.79	1.69	0.03
अन्य प्रभार	8.91	7.14	16.05	0.28
बट्टे खाते में डालाना			0.00	0.00
कुल	**2561.38**	**3267.09**	**5828.47**	**100.00**

31 मार्च, 2004 तक जारी अनुदानों/ऋणों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र

मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	निहित राशि (रू. करोड़ में)	प्राप्त उपयोग पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग पत्रों के संबंध में निहित राशि (रू. करोड़ में)	31.12.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	बकाया उपयोग पत्रों के संबंध में निहित राशि (रू. करोड़ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4652	5510.85	1749	4975.23	2903	535.62

31 मार्च, 2005 तक जारी अनुदानों/ऋणों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र

मार्च 2004 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	निहित राशि (रू. करोड़ में)	प्राप्त उपयोग पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग पत्रों के संबंध में निहित राशि (रू. करोड़ में)	31.12.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	बकाया उपयोग पत्रों के संबंध में निहित राशि (रू. करोड़ में)
7.	8.	9.	10.	11.	12.
6906	10460.53	4422	10165.94	2484	294.59

मांग संख्या- 57

1-4-2005 और 1-4-2006. की स्थिति अनुसार राज्य सरकारों तथा अन्य कियान्वयन एजेंसियों के पास शेष अव्ययित राशि की स्थिति

1-4-2005 & 30.09.2005 की स्थिति अनुसार

(रू0 करोड में)

	01.04.1005			30.09.2005		
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के पास अव्ययित शेष राशि	164.93	0.00	164.93	180.07	0.00	180.07
अन्य कियान्वयन एजेंसियों/स्वायत्त निकायों के पास अव्ययित शेष राशि	241.89	98.71	340.60	503.91	244.88	748.79
कुल :-	**406.82**	**98.71**	**505.53**	**683.98**	**244.88**	**928.86**

1-4-2006 & 30.09.2006 की स्थिति अनुसार

(रू0 करोड़ में)

	01.04.2006			30.09.2006		
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के पास अव्ययित शेष राशि	282.78	0.00	282.78	143.65	0.00	143.65
अन्य कियान्वयन एजेंसियों/स्वायत्त निकायों के पास अव्ययित शेष राशि	252.75	162.29	415.04	326.68	399.88	726.56
कुल :-	**535.53**	**162.29**	**697.82**	**470.33**	**399.88**	**870.21**